खण्ड-507, अंक-02
बुधवार, 17 माघ, शक संवत् 1940
(06 फरवरी, 2019 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2019)

(खण्ड 507 में 10 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2019

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थिति सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-69
उ0 प्र0 विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्‌गार	69-70
औचित्य के प्रश्न की सूचना	70
नियम-301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना का उत्तर 90 दिनों के अन्दर सम्बन्धित सदस्यों को दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	70-72
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	72-73
जनपद सहारनपुर के गांगनौली के बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किसानों का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	74
जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर में जीर्ण-शीर्ण अतिथि गृह को लोक निर्माण विभाग द्वारा पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	74
जनपद बांदा में खाद्य एवं रसद विभाग के अधीन संभागीय खाद्य नियंत्रक एन0एफ0एस0ए0 योजना में हो रही अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	75
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के कतिपय पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	75
जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर अन्तर्गत भोगनीपुर एवं बहेड़ी में शवदाव केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	76
जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद के अन्तर्गत कतिपय मार्गों की मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	76
कृषि उत्पादन शुल्क समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	76-77
उ0 प्र0 के सभी जनपदों के अन्तर्गत सभी ग्राम पंचायतों, न्याय पंचायतों एवं विकास खण्डों में शवदाह केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	77
जनपद अम्बेडकरनगर अन्तर्गत अकबरपुर-इल्तिफातगंज मार्ग की मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	77
जनपद आमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज अन्तर्गत ग्राम आमगांव से अरनौला तक मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	77-78

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड अकबरपुर अन्तर्गत ग्राम सभा सैदापुर, सम्मनपुर से मोहिउद्दीन दलित बस्ती तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	78
जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड जलालपुर अन्तर्गत मालीपुर रेलवे स्टेशन से जलालपुर कस्बा तक मार्ग का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	78
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	79-80
जनपद कुशीनगर के यू0 पी0 शुगर कम्पनी लिमिटेड, सेवरही में कार्यरत दैनिक मजदूरों का बोनस एवं मजदूरी में की गयी कटौती बहाल कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	80
जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी अन्तर्गत ग्राम दतियाना कच्चा नाला का पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	80
जनपद प्रयागराज के अन्तर्गत ग्राम खजूरी कला, तहसील कोरांव की द्वितीय चक्र की त्रुटिपूर्ण चकबन्दी वर्ष 2013 प्रथम चक्र 1977-78 के बन्दोबस्ती भूचित्र पर न होने के कारण चकबन्दी निरस्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	81
जनपद बलिया के तहसील बेल्थरा रोड अन्तर्गत थाने एवं पुलिस चौकी को सुचारु रूप से चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	82
जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महराजगंज में ग्राम सभा नेता नगरी, तहसील सगड़ी में पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	82
जनपद फिरोजाबाद में सफेद मिट्टी का तेल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	82-83
जनपद बांदा में चीनी मिल की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	83
पांच करोड़ की विधायक निधि के अन्तर्गत विधायक द्वारा प्रस्ताव दिये जाने के दो माह उपरान्त भी स्टीमेट न बनाये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न	84-85
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव	85-93
नेता विरोधी दल द्वारा अस्वस्थतता के कारण अपने स्थान पर उज्जवल रमण सिंह को संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया जाना	93-119
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	119-120
नत्थी	121-127

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 06 फरवरी, 2019 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-342

1. अक्षयवर लाल गोंड, श्री — बहराइच
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
3. अजय कुमार, डॉ0 — इलाहाबाद
4. अजय कुमार लल्लू, श्री — कुशीनगर
5. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
6. अजय प्रताप सिंह, ''लल्ला भइया'' कुंवर — गोण्डा
7. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री — सम्भल
8. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
9. अजीत पाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
10. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
11. अनिल कुमार मौर्य, डा0 — सोनभद्र
12. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
13. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
14. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
15. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकरनगर
16. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
17. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
18. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
19. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
20. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
21. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
22. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
23. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
24. अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
25. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
26. अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
27. अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0) — वाराणसी
28. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
29. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
30. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
31. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
32. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
33. आर0 के0 सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
34. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
35. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
36. आशीष कुमार सिंह ''आशू'', श्री — हरदोई
37. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
38. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
39. इकराम कुरैशी, हाजी — मुरादाबाद
40. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री — फैजाबाद
41. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
42. उज्जवल रमण सिंह, श्री — इलाहाबाद
43. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
44. उपेन्द्र सिंह, श्री — बाराबंकी
45. उमाशंकर सिंह, श्री — बलिया
46. उमेश मलिक, श्री — मुजफ्फरनगर
47. ओमकार सिंह, श्री — बदायूं

48. ओमकुमार, श्री बिजनौर
49. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
50. कमल रानी, श्रीमती कानपुर नगर
51. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
52. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
53. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
54. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
55. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
56. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
57. काली प्रसाद, श्री देवरिया
58. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
59. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
60. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
61. केसर सिंह, श्री बरेली
62. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
63. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
64. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
65. गंगा, श्री कुशीनगर
66. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
67. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
68. गौरी शंकर, श्री जालौन
69. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
70. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
71. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
72. चेतन चौहान, श्री अमरोहा
73. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
74. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
75. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
76. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
77. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
78. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
79. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
80. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
81. जय प्रकाश निषाद, श्री देवरिया
82. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
83. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
84. जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू, श्री मेरठ
85. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
86. जी0 एस0 धर्मेश, श्री आगरा
87. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
88. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
89. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
90. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 नाम-निर्देशित
91. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
92. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
93. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
94. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
95. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
96. दल बहादुर, श्री रायबरेली
97. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
98. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीरनगर
99. दिनेश खटीक, श्री मेरठ
100. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
101. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
102. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
103. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
104. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
105. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
106. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
107. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
108. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली

109. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
110. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य उर्फ पप्पू भइया, श्री बदायूं
111. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
112. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
113. नईम उल हसन, श्री बिजनौर
114. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
115. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
116. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
117. नरेन्द्र पाल सिंह, कुं0 जालौन
118. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
119. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
120. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
121. नसीर अहमद खां, श्री रामपुर
122. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
123. नाहिद हसन, श्री शामली
124. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
125. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
126. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
127. नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
128. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
129. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
130. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
131. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
132. पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री कुशीनगर
133. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
134. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
135. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
136. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
137. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
138. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
139. प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर
140. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
141. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
142. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
143. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
144. प्रवीण कुमार सिंह, श्री इलाहाबाद
145. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
146. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
147. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
148. फागू चौहान, श्री मऊ
149. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
150. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
151. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
152. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
153. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
154. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
155. बावन सिंह, श्री गोण्डा
156. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
157. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
158. बृजभूषण राजपूत उर्फ गूड्डू भइया, श्री महोबा
159. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
160. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
161. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
162. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
163. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
164. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
165. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
166. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
167. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
168. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
169. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली

170. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
171. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
172. मन्जू शिवाज, डॉ0 गाजियाबाद
173. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
174. मसूद अखतर, श्री सहारनपुर
175. महबूब अली, श्री अमरोहा
176. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
177. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
178. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
179. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
180. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
181. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
182. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
183. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
184. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
185. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
186. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
187. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
188. मो0 आजम खां, श्री रामपुर
189. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
190. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
191. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
192. मौ0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
193. मौहम्मद अब्दुल्ला आजम खां, श्री रामपुर
194. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
195. योगेश धामा, श्री बागपत
196. योगेश वर्मा, श्री खीरी
197. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
198. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
199. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
200. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
201. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
202. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
203. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
204. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
205. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
206. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
207. रवि शर्मा, श्री झांसी
208. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
209. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
210. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
211. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
212. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
213. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीरनगर
214. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
215. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
216. राजबाला, श्रीमती रामपुर
217. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
218. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
219. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया, श्री बदायूं
220. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
221. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
222. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
223. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
224. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
225. राधा कृष्ण शर्मा, पं0 बदायूं
226. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
227. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
228. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
229. रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
230. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
231. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
232. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी

233. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
234. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
235. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
236. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
237. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
238. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
239. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
240. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
241. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
242. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
243. रितेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकरनगर
244. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
245. लाखन सिंह, श्री औरैया
246. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
247. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
248. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
249. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
250. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
251. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
252. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
253. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
254. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
255. विजय पाल (आढ़ती), श्री हापुड़
256. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
257. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
258. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
259. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
260. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
261. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
262. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
263. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
264. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
265. वीरेन्द्र, श्री एटा
266. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
267. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
268. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
269. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
270. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
271. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
272. शीतला प्रसाद ''पप्पू पटेल'', श्री कौशाम्बी
273. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
274. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
275. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
276. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
277. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
278. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
279. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
280. श्री राम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
281. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
282. संगम लाल गुप्ता, श्री प्रतापगढ़
283. संग्राम यादव, श्री आजमगढ़
284. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
285. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
286. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
287. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
288. संजय यादव, श्री बलिया
289. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
290. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
291. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
292. संजीव राजा, श्री अलीगढ़

293. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकरनगर
294. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
295. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
296. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
297. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
298. सत्य प्रकाश अग्रवाल, ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
299. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
300. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
301. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
302. सहेन्द्र सिंह चौहान, श्री बागपत
303. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
304. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
305. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
306. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
307. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
308. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
309. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
310. सुनील दत्त द्विवेदी, श्री फर्रुखाबाद
311. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
312. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
313. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
314. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
315. सुरेश कुमार, श्री शामली
316. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
317. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
318. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
319. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
320. सुरेश राही, श्री सीतापुर
321. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
322. सुशान्त कुमार सिंह, कुं0 बिजनौर
323. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
324. सुशील सिंह, कुं0 चन्दौली
325. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
326. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
327. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
328. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
329. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
330. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
331. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
332. सौरभ सिंह, श्री खीरी
333. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
334. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
335. हरगोविन्द भार्गव, डा0 सीतापुर
336. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
337. हरिओउम यादव, श्री फिरोजाबाद
338. हरीराम, श्री सोनभद्र
339. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
340. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
341. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
342. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

श्री अध्यक्ष-

हम प्रश्न लेते हैं। पहला अल्पसूचित तारांकित प्रश्न श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्री राकेश प्रताप सिंह तथा श्री संजय गर्ग जी का है।

(11.00)

प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

प्रदेश की सभी बन्द चीनी मिलों को पुनः चालू कराने के सम्बन्ध में

****1-श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्री राकेश प्रताप सिंह तथा श्री संजय गर्ग-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना किसानों का दिसम्बर, 2018 तक कितना बकाया है ? प्रदेश में कितनी बन्द चीनी मिलों को सरकार ने चालू करवाया है तथा कितनी अवशेष हैं ? क्या सरकार गन्ना की खेती से प्राप्त लाभ को दृष्टिगत रखते हुए अवशेष सभी बन्द चीनी मिलों को पुनः चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें एवं औद्योगिक विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सुरेश राणा)-

प्रदेश के गन्ना किसानों का विभिन्न पेराई सत्रों का दिनांक 31.12.2018 तक रु0 6,054.23 करोड़ गन्ना मूल्य भुगतान हेतु बकाया है।

वर्तमान सरकार द्वारा निगम क्षेत्र की दो चीनी मिलों पिपराईच (गोरखपुर) व मुण्डेरवा (बस्ती) में नई चीनी मिल स्थापित कर पुनः संचालित कराये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र की 03 बन्द चीनी मिलों यथा गागलहेड़ी, मझावली व बुलन्दशहर को उनके निजी प्रबन्ध तन्त्र के माध्यम से पेराई सत्र, 2017-18 में संचालित कराया गया है। वर्तमान में भारत सरकार के अधीन 04, सहकारी क्षेत्र की 04, निगम क्षेत्र की 08 एवं निजी क्षेत्र की 20 कुल 36 चीनी मिलें बन्द हैं।

प्रदेश में गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बन्द चीनी मिलों को यथासम्भव पुनः संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में उन चीनी मिलों को चिन्हित किया गया है, जहां गन्ना विकास कार्य कराये जाने के पश्चात् मिलों की आवश्यकतानुसार पेराई हेतु आवश्यक गन्ना उपलब्ध होने की सम्भावना है तथा जहां चीनी मिलों में कोजनरेशन व आसवनी हेतु अविवादित पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। निजी क्षेत्र की चीनी मिलों का अपना प्रबन्ध तंत्र होता है जिनके द्वारा मिल को चलाये जाने का निर्णय उनके द्वारा स्वयं लिया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

(श्री सुरेश राणा, राज्य मंत्री (स्व0प्र0) चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का उत्तर पढ़ा गया)

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार ने यह वायदा किया था कि हम किसानों की आय दोगुना करेंगे लेकिन जब से यह सरकार आई है तब से किसान बदहाल है और खून के आंसू रो रहा है। इस सरकार ने कहा था कि हम गन्ने के मूल्य का भुगतान 14 दिन में करेंगे और यदि 14 दिन के भीतर गन्ने का भुगतान नहीं होगा तो हम ब्याज सहित किसानों को पैसा देने का काम करेंगे। माननीय मंत्री जी जिस जनपद से आते हैं वह जनपद है शामली, जिसमें गन्ना किसानों का 408 करोड़ रुपया बकाया है। महोदय, इतना ही नहीं माननीय मंत्री जी खुद जहां से विधायक हैं वहां पर 190 करोड़ रुपये का बकाया है। यही नहीं जनपद मुजफ्फरनगर में 490 करोड़, जनपद कुशीनगर में 152.87 करोड़ और दिनांक 31.12.2018 तक कुल 6054 करोड़ रुपये अभी तक गन्ना मूल्य भुगतान का बाकी है। महोदय, इस सरकार ने तीस सालों का रिकार्ड तोड़ा है और इस सरकार ने एक रुपये का भी गन्ना मूल्य बढ़ाने का काम नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष-

आप हमारा सहयोग करिए और खूब सवाल पूछकर सरकार को घेरिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, 1 रुपया भी इस सरकार ने नहीं बढ़ाया है। आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने वर्ष 2012 में 220 रुपया भारत सरकार का मूल्य निर्धारित किया था। यह सरकार वर्ष 2014 में आई और 2016 तक एक भी पैसा बढ़ाने का काम इस सरकार ने नहीं किया है। आज भी गन्ना मूल्य 315 तथा 325 रुपया निर्धारित है। आपके माध्यम से मैं सरकार से सवाल करना चाहूंगा कि क्या सरकार बकाए गन्ने मूल्य का भुगतान और ब्याज सहित इनको जो पैसा देना है जिसको हाईकोर्ट ने भी अभी कहा है कि दो महीने के अंदर सरकार बताए कि वह गन्ना मूल्य कैसे देगी तो क्या सरकार बकाए गन्ने मूल्य का भुगतान और ब्याज सहित जो पैसा देना है उसको कब तक दे देगी उसकी कोई समय सीमा निर्धारित की है ? क्या सरकार गन्ने का रेट 400 रुपया क्विंटल निर्धारित करेगी और नम्बर तीन लोक संकल्प-पत्र में सरकार ने वादा किया था कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो बन्द चीनी मिलें चलेंगी ? जिसमें 36 चीनी मिलें बन्द हैं। मा0 प्रधानमंत्री जी पडरौना में गये थे और चुनावी सभा में उन्होंने कहा था कि पडरौना की चीनी मिलें हम चलाएंगे जो कि आज तक नहीं चली हैं। कटकुइयां में भी चीनी मिले नहीं चली हैं तथा देवरिया की बेतालपुर में भी नहीं चली हैं जहां मुख्य मंत्री जी ने चीनी मिलें चलाने का वादा किया था। क्या सरकार के पास जो 36 चीनी मिलें बन्द पड़ी हैं उनको चलाने की कोई योजना है ? मेरे इन सवालों का जवाब सरकार दे दे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 गन्ना मंत्री जी।

श्री सुरेश राणा-

मान्यवर, आदरणीय 'लल्लू' जी हमारे मित्र भी हैं और गन्ना भुगतान को लेकर इन्होंने जिस तरह की बात की है उसमें थोड़ा सा आंकड़ा इनके सामने रखूंगा तो मुझे लगता है कि

इनके ज्ञान चक्षु खुलेंगे। यह पहली सरकार है और इसके लिए मैं मा0 योगी जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आजादी के बाद अब तक यदि सर्वाधिक गन्ना भुगतान हुआ है तो वह 2017-18 के सत्र में ही हुआ है (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) और इसका आंकड़ा मैं अपने मित्र को दूंगा। वर्ष 2014-15 में कुल भुगतान हुआ 20 हजार 623 करोड़ का और वर्ष 2015-16 में भुगतान हुआ 18 हजार 3 करोड़ रुपये का पूरे प्रदेश के अंदर। वर्ष 2016-17 में भुगतान हुआ 25 हजार 338 करोड़ रुपये का और 2017-18 में जिसके बारे में 'लल्लू' जी चिंता कर रहे हैं अब तक हम 34 हजार 411 करोड़ रुपये का भुगतान करा चुके हैं। कुल गन्ना 2017-18 में हमने जो खरीदा था उसमें 1 हजार 53 करोड़ रुपया अभी बकाया है तथा 97 प्रतिशत भुगतान हम लोग कर चुके हैं। यह भुगतान यूं ही संभव नहीं हुआ है। यह भुगतान प्रतिबद्धता के आधार पर संभव हुआ है। सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है कि केंद्र में जो आदरणीय मोदी जी की सरकार चल रही है उसमें मैं जानकारी भी दे रहा हूं और अपने मित्र जी से यह पूछ भी रहा हूं कि क्या कभी सत्तर सालों में चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य तय हुआ है? यह पहली सरकार है जिसने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के रेट को देखते हुए 2900 रुपया मिनिमम सपोर्ट प्राइज तय किया है। यह मिनिमम सपोर्ट प्राइज तय करने का परिणाम है कि आज पूरे देश में गन्ना किसान कहीं न कहीं अपने पैरों पर खड़ा हुआ है।

वरना जो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी का रेट है। इस समय सब जानते हैं कि परिस्थिति का निर्माण क्या होता। दूसरा विषय इसी सदन में मा0 मुख्य मंत्री जी के द्वारा गम्भीरता के साथ गन्ना किसानों के भुगतान की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए 5535 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गयी थी। और इसके लिए मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधायी देता हूं। उसका परिणाम है कि हमने जो चार हजार करोड़ रुपया साफ्ट लोन के रूप में मिलों को दिया दिया था ताकि इससे गन्ना किसान का सीधे भुगतान हो जायेगा और उसकी शर्त यह थी कि पूरे पैकेज का पैसा सीधे गन्ना किसानों के खाते में जायेगा। मान्यवर, चार हजार करोड़ रुपये में से 2605 करोड़ रुपया हम सीधा गन्ना किसानों के खाते में दे चुके हैं और साथ ही जो 500 करोड़ रुपया हमने अनुदान के रूप में मिलों को दिया था। उसमें भी शर्त यह थी कि सीधा गन्ना किसान के खाते में जायेगा। उसमें से भी 419 करोड़ रुपया हम सीधा गन्ना किसानों के खाते में दे चुके हैं। इन्होंने बन्द मिलों की भी बात कही। क्योंकि इन्हें आजकल गन्ना किसानों की ज्यादा चिंता हो रही है। मैं पहले 2007-2012 तक बन्द चीनी मिलों की चर्चा करूंगा। 2007 से 2012 तक प्रदेश में 19 चीनी मिलें बन्द हुयी। और 2012 से 2017 तक 10 चीनी मिलें बन्द हुयी। और यह हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं इन्हें बता रहा हूं कि हमारी सरकार आने के बाद हमने बुलन्दशहर की वेव शुगर मिल बरसों से बन्द थी। किसान परेशान था। धरना प्रदर्शन होते थे। हमने बुलन्दशहर की वेव शुगर मिल चलायी। चन्दौसी की वीनस चीनी मिल 09 साल से बन्द थी, निजी प्रबंध तंत्र से बात करके उसको हमने चलाया। दया शुगर मिल सहारनपुर पिछले साढ़े नौ साल से बन्द थी दया शुगर मिल हम लोगों ने चलायी। बरसों से मांग है कि शाकुम्बरी शुगर मिल चलायी जाये। शाकुम्बरी शुगर मिल को भी इसी सत्र में हम लोग चलाने वाले हैं। यह हम लोगों ने तय कर लिया है। लगातार तमाम विषयों पर पूरी गंभीरता के साथ सरकार काम कर रही है और मैं कह सकता

हूं कि हमने गन्ना किसानों के भुगतान को सुनिश्चित किया है। बेहतरी के साथ काम किया है। इसी का परिणाम चाहे क्षेत्रफल हो चाहे पैदावार हो उसके रूप में दिखायी दे रहा है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि 70 साल के इतिहास में पहली बार चीनी का रेट निर्धारण किया है। अध्यक्ष जी, 70 साल के इतिहास में पहली बार इस सरकार ने पाकिस्तान से चीनी आयात किया। यह इस सरकार की उपलब्धि है। अध्यक्ष जी, जहॉ तक चीनी मिल चलाने और गन्ना मूल्य निर्धारण की बात है। सरकार ने स्वयं माना है कि 06 हजार 54 करोड़ बकाया है। 08 महीने बाद इन्होंने भुगतान दिया उस पर यह पीठ थपथपा रहे हैं। पिछले सत्र की अपेक्षा इस साल गन्ने का पैदावार ज्यादा हुआ था उसी के अनुसार गन्ना का रेशियो ज्यादा था उसका पैसा बकाया था। 07 महीने बाद इन्होंने पैसा दिया। ब्याज सहित पैसा देने का वायदा इसी सदन में मा0 मंत्री जी ने किया था। मैं आपके माध्यम से इनसे दो प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या ब्याज सहित भुगतान देने की सरकार की कोई योजना है। क्योंकि हाईकोर्ट ने भी आदेश किया है। दूसरा, देवरिया में बेतालपुर चीनी मिल को लेकर वहां किसान आन्दोलन कर रहे हैं। पडरौना के किसान आन्दोलन कर रहे हैं। कठकुइयां के चीनी मिल को चलाने के लिए किसान आन्दोलन कर रहे हैं। क्या यह सरकार इन चीनी मिलों को चलायेगी और ब्याज सहित भुगतान देने का काम करेगी। इन दो सवाल का जवाब दे दें।

श्री सुरेश राणा-

मान्यवर, मैं लल्लू जी का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि इन्होंने अभी पाकिस्तान की चीनी का जिक्र किया है लल्लू जी को थोड़ा अध्ययन बढ़ाना चाहिए। मैं यह सूचना दे रहा हूं कि यदि यह पढ़ेंगे तो इनको इस बात की जानकारी होगी। मुझे याद है कि जब देश में आदरणीय मोदी जी की सरकार आई थी तब पूरे उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का एक प्रतिनिधिमण्डल मोदी जी से मिलने गया था और उन्होंने मांग की थी कि चीनी की इम्पोर्ट ड्यूटी 15 प्रतिशत है। इम्पोर्ट ड्यूटी का मतलब है कि यदि 2000 रुपये की चीनी पाकिस्तान से चलेगी तो उस पर 300 रुपये टैक्स लगेगा, वह चीनी हिन्दुस्तान में आकर 2300 रुपये की हो जायेगी। इस पर किसानों ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम यू0पी0ए0 में लगातार 10 साल से गुजारिश कर रहे हैं कि इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया जाये, आप इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ा करके 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत कर दीजिए। इस पर मा0 प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि इससे क्या फायदा होगा? तो किसानों ने कहा कि फायदा यह होगा कि जब इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ जायेगी तो बाहर से चीनी नहीं आयेगी। इस पर मा0 प्रधानमंत्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं इसे 25 प्रतिशत क्यों, 40 प्रतिशत क्यों न कर दूं। ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। यदि इसका जवाब आपके पास है तो आप सदन को बतायें कि यू0पी0ए0 के समय में 15 प्रतिशत इम्पोर्ट ड्यूटी थी और आज देश में 100 प्रतिशत इम्पोर्ट ड्यूटी है जिसको आज तक कोई तय नहीं कर पाया है। 100 प्रतिशत इम्पोर्ट ड्यूटी का मतलब है कि यदि 3000 रुपये की चीनी बाहर से आयेगी और 100 प्रतिशत इम्पोर्ट ड्यूटी होगी तो उस चीनी की कीमत हिन्दुस्तान में 6000 रुपये होगी। अगर आपकी नीयत साफ थी तो फिर आपने इम्पोर्ट ड्यूटी क्यों नहीं बढ़ाई ? जबकि किसान लगातार मांग करता रहा। आपने इम्पोर्ट ड्यूटी इसलिए

नहीं बढ़ाई क्योंकि रोज चीनी मंगा करके और उसे रिफाइंड करके किसान को बर्बाद करना था इसलिए आपने इम्पोर्ट ड्यूटी को नहीं बढ़ाया। आप आकंड़े उठाकर देखिये कि आपने 5 लाख मीट्रिक टन चीनी का आयात किया लेकिन यह पहली सरकार है जिसने इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया है और एक्सपोर्ट ड्यूटी पर भी सब्सिडी को बढ़ाया है। पूर्वांचल को चीनी का कटोरा कहा जाता था लेकिन मैं गठबंधन की बात नहीं करूँगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि पिछले 15 सालों में पूर्वांचल के चीनी उद्योग को तबाह कर दिया है। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि पूर्वांचल चीनी का कटोरा था, चीनी का कटोरा था लेकिन यह सरकार पूर्वांचल को फिर चीनी का कटोरा बना करके छोड़ेगी। उन्होंने इस प्रकार के प्रयास किये हैं।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से केवल एक बात पर मा0 मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराते हुए प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हाईकोर्ट के निर्देश पर जैसा कि मा0 अजय जी ने भी सवाल किया लेकिन मा0 मंत्री जी उनके सवाल को टाल गये कि पेमेण्ट पर ब्याज देंगे या नहीं देंगे। वह सवाल इस बात के साथ है चूंकि हाईकोर्ट का निर्देश है। अभी मा0 मंत्री जी ने अपनी पीठ थपथपाते हुए बहुत लम्बा भाषण दिया है। हमने क्या किया है उसी बात के कारण हम यहां बैठे हैं। परन्तु इन्होंने वादा किया था कि हम 14 दिनों के अंदर पेमेण्ट कर देंगे। आज किसान आत्महत्या कर रहा है, उसके ऊपर लाठी-चार्ज हो रहा है और भुगतान के लिए वह धक्के भी खा रहा है। लेकिन मा0 मंत्री जी कह रहे है कि हमने 96 प्रतिशत भुगतान कर दिया है। लेकिन अभी तक कापरेटिव फेडरेशन और प्राइवेट इण्डस्ट्रीज ने मात्र 48.62 प्रतिशत भुगतान किया है, निश्चित रूप से वह चिंता का विषय है। मा0 मुख्य मंत्री जी क्या कह रहे हैं लेकिन हमारे क्षेत्र में जाकर उन्होंने यह भी कहा है कि क्या गन्ना किसानों के पास गन्ने की फसल बोने के अलावा कोई दूसरी फसल नही है। यह स्थिति निश्चित रूप से इस बात का एहसास कराती है कि गन्ना किसान फटे-हाल सड़क पर आने के लिए मजबूर है। अभी 3 दिन पहले बिजनौर में लाठी-चार्ज हुआ है, शामली में बुरे हालात हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप प्रश्न करिए।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो 14 दिन के अन्दर भुगतान की बात कही गयी थी क्या वह भुगतान की बात केवल जुमला थी और आपने मिल मालिकों को जो पैसा दिया उसमें कोई पैसा किसानों को नहीं मिला है। मिल मालिकों ने अपने ब्याज के अन्तर्गत उसे व्यवस्थित करने का काम किया है, इसलिए सरकार इसके प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि टोडलपुर शुगर मिल के लोग पिछले एक साल से धरने पर हैं, उनकी भी समस्या का समाधान किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका प्रश्न आ गया है, राकेश जी भी प्रश्न पूछ लें तो दोनों के उत्तर साथ ही आ जाएंगे।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में किसानों को ताज पर बैठा दिया गया है। एक तरफ माननीय मंत्री जी कह रहे है 97 प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है और दूसरी तरफ एक संस्था कह रही है कि केवल 48.23 प्रतिशत भुगतान हुआ है। मैं सीधे-सीधे प्रश्न पर आता हूं कि क्या सरकार सदन को बताएगी जो यह छः हजार चौवन करोड़ रूपए किसानों का बकाया है इसका ब्याज के साथ भुगतान करेगी और भुगतान करेगी तो कब तक करेगी। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार सहकारी निगम की बन्द चीनी मिलों को अपने अथवा केंद्र सरकार से अनुदान देकर चलाएगी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी इस पर बोलेंगे। 11:20 हो गया है, अब इस प्रश्न पर और प्रश्न नहीं किए जाएंगे।

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, संजय गर्ग जी के बारे में मेरी धारणा बहुत अच्छी है और मानता था कि वे काफी पढ़-लिखकर सवाल पूछते हैं, लेकिन आज इन्होंने जैसा सवाल पूछा है और मैं तो ये भी कहूंगा कि इतने महत्वपूर्ण सदन में, जिसे पूरा प्रदेश सुनता है, पूरे प्रदेश देखता है, इन्होंने बोला है कि जो हमने पैसा दिया है वो शुगर मिलों ने अपने ब्याज में एडजेस्ट कर लिया है। एक रुपया भी ये तर्क के साथ बता दें और मैं इन्हें बता रहा हूं कि ये पहली सॉफ्ट लोन की पहली स्कीम है जिसकी शर्त यह थी पैसा सीधा गन्ना किसान के खाते में जाएगा और सीधा डी0बी0टी0 से पैसा गया है। मैं इनके पड़ोस की चीनी मिलों के नाम बता दूं जो सात से बारह के बीच में बन्द हुई थीं इसमें कमलापुर, बैतालपुर, शाहगंज.....

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने से व्यवधान)

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन को गुमराह कर रहे हैं, केवल यह बताएं कि ब्याज सहित पैसा देंगे या नहीं। इतिहास गवाह है जब-जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है किसानों का कोई हित इस सरकार ने नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठिए, उत्तर आने दीजिए।

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, जो शुगर मिलें इन्होंने बन्द की उनके नाम पढ़ रहा हूं तो इन्हें क्यों परेशानी हो रही है। प्रदेश का किसान इनके कामों को जान तो जाएगा।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आप विज्ञ है यह भाषण देने का अवसर नहीं है, यह प्रश्नोत्तर का समय है।

श्री अध्यक्ष-

आपका कोई प्रश्न हो तो बताइए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं वही पूछना चाहता हूं मेरे दो प्रश्न हैं।

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा मुझे कहने दीजिए इन्होंने कहा भाषण देने का मंच नहीं है तो क्या इस बात का मंच है कि बिना तर्क के आरोप लगा दिया जाएगा कि सारा पैसा अनुदान में चला जाएगा। केवल एक घटना बता दें, केवल एक रुपया बता दें तो उनकी बात पुष्ट हो जाएगी, हम भी हंस करके स्वीकार कर लेंगे और सरकार ने चार हजार करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन दिया हो और छब्बीस सौ करोड़ रुपया डिस्बर्स हुआ, सीधा पैसा गन्ना किसानों के खाते में गया।

श्री अध्यक्ष-

25 मिनट हो गया है, अंतिम प्रश्न वर्मा जी पूछ लीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरे दो प्रश्न हैं, केवल दो प्रश्न मैं करना चाहूंगा। मान्यवर, महत्वपूर्ण विषय है, मा0 मंत्री जी ने स्वीकार किया कि 6 हजार करोड़ रुपया बकाया है, मान्यवर, मैं केवल प्रश्न करूंगा, कोई भाषण नहीं करूंगा। माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि 34411 का भुगतान किया गया। माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि 52 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, दोनों में सत्य क्या है, एक तो प्रश्न यह है। दूसरा मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने संकल्प-पत्र में भी और माननीय हाईकोर्ट ने भी कहा है कि अगर 14 दिन में भुगतान नहीं होता है तो ब्याज सहित भुगतान कराया जाए। मैं आपके माध्यम से केवल स्पेशिफिक प्रश्न करना चाहता हूं। जो इन्होंने अपने संकल्प-पत्र में भी कहा था कि 14 दिन में गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जायेगा। जो 14 दिन से अधिक समय का भुगतान बाकी है, क्या माननीय मंत्री जी ब्याज सहित उसका भुगतान कराने की कृपा करेंगे ? मान्यवर, तीसरा प्रश्न मेरा है कि आज प्रदेश में गन्ने का उत्पादन बढ़ा है और जो मिलें चल रही हैं, उनकी क्षमता उस ढंग की नहीं हो पा रही है, जिसके कारण डेढ़ सौ रुपये में क्रेशरों पर गन्ना बेचने के लिए किसान विवश हो रहा है। इन्होंने अपने संकल्प-पत्र में भी यह कहा था कि हम प्रत्येक किसान का सम्पूर्ण गन्ना खरीदवाने का प्रयास करेंगे तो क्या सभी गन्ने को खरीदने की व्यवस्था माननीय मंत्री जी करेंगे ? मान्यवर, हमारे तीन प्रश्न हैं, इसका माननीय मंत्री जी स्पेशिफिक जवाब दें, हॉ या नहीं में, बाकी महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जब चर्चा का समय आए तो भाषण दे लेना।

श्री अध्यक्ष-

आधा घण्टा हो गया है। माननीय नेता विरोधी दल खड़े हैं।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी हमारे मित्र हैं और भाषण में भी माहिर हैं। इसी हाउस में कई बार उन्होंने उदाहरण दिया है कि इस सन् में इतना भुगतान हुआ, इस सन् में इतना भुगतान हुआ, इस सन् में इतना भुगतान हुआ। चाहे बसपा की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, गन्ना भुगतान के मामले में किसी ने अपने घोषणा-पत्र में नहीं लिखा, आपने अपने संकल्प-पत्र में लिखा। घोषणा-पत्र और संकल्प-पत्र में जो बातें लिखी जाती हैं, वह पार्टियों के लिए गीता और रामायण से कम नहीं हैं। हमको फक्र है कि आप कहते कि हॉ हम भुगतान कर देंगे, दो साल हो गया है। श्रीमन् 3 से 7 तक जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, निजी क्षेत्र में 27 चीनी मिलों को लगाने का काम किया था। (सपा के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं), अभी जो पिछली जो माननीय अखिलेश यादव की सरकार थी, आजमगढ़ में नयी चीनी मिल लगी, बहुत बड़ी चीनी मिल। संसदीय कार्य मंत्री जी, एक बात प्रचलित हो गयी है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ को इतना दोहराती है कि लोग उसको सच मान जायें। यह किसानों का मामला है और कहते हैं कि हमें किसानों से हमदर्दी है। आप कब से किसान के हमदर्द हो गए? किसान के नेता इस देश में सर्वमान्य चौधरी चरण सिंह रहे हैं और चौधरी चरण सिंह के उत्तराधिकारी किसान के सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह यादव जी रहे हैं और मुलायम सिंह यादव के बाद इस प्रदेश और देश के किसानों के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव हैं, आप कहॉ से किसानों के नेता हैं ?

श्री अध्यक्ष-

बहस पोलिटिकल हो गयी, माननीय रामगोविन्द जी, आप प्रश्न से बाहर चले गए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मंत्री जी भी मित्र हैं, पूरा सदन मित्र है हमारा, सवाल केवल भुगतान का है, इसमें भाषण देने की कहॉ आवश्यकता है, इसमें केवल भुगतान की बात है तो क्या माननीय मंत्री जी जो भी गन्ना भुगतान का पैसा है, 01 महीने के अन्दर भुगतान करा देंगे ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी आपने किसानों के हितैषी होने की बात कही। मान्यवर, यह पूरा देश जानता है, स्वायल टेस्टिंग से लेकर और फसल बर्बाद होने पर फसल बीमा योजना तक जितना माननीय मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी, एन0डी0ए0 की सरकार ने किया है, आज तक मान्यवर, किसी ने नहीं किया और हमने यह वादा किया था, हमने 22 फसलों का ड्योढ़ा दाम घोषित भी किया और उसको दिलाया भी।

आपके जमाने में गेंहू की खरीद कितनी हुई ? आपके जमाने में धान की खरीद कितनी हुई ? किसानों को जितना ज्यादा आपकी सरकार में लूटा गया उतना कभी नहीं लूटा गया। हमने जितना किसानों से गेंहू और धान का वायदा किया उतनी हमने खरीद की।

श्री अध्यक्ष-

माननीय गन्ना मंत्री जी भुगतान वाले प्रश्न का उत्तर दे दें।

(मंत्री जी के अनुपूरक उत्तर से असन्तुष्ट होकर नेता विरोधी दल व नेता बसपा अपने-अपने दल सहित सदन से बहिर्गमन कर गये।)

श्री सुरेश राणा-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि अच्छा होता राम गोविन्द जी यहां बैठते और सुनते, मैं उनके सवाल का जवाब देता। सदन भी सुनता और वह भी सुनते। वह वही सुन रहे हैं मैं उन्हें जवाब दे रहा हूं आदरणीय वर्मा जी ने पूछा था कि महामहिम जी ने कहा है 52 हजार करोड़ और आप बता रहे हैं 34 हजार 4 सौ 11 करोड़। मैंने कहा 2017-18 में हमने 34 हजार 4 सौ 11 करोड़ रुपये का भुगतान अब तक कर दिया है जो इतिहास का सबसे ज्यादा है। 22 महीने में योगी सरकार ने आज तक का सबसे ज्यादा भुगतान कराया है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का अब तक 52 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया है। 2007 से 2012 तक पूरे प्रदेश में गन्ना किसानों का भुगतान हुआ था 57 हजार 7 सौ 52 करोड़ रुपये का। पांच साल में कितना 57 हजार 7 सौ 52 करोड़ और 22 महीने में कितना 52 हजार करोड़। उन्होंने कहा कि श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता हैं। मैं एक सवाल उनसे पूछना चाहता हूं। अरे पूरा देश उन्हें किसानों का नेता मानता है। आपके सामने उनके कर्म क्षेत्र बागपत के किसानों ने आकर के मांग की कि हमारी शुगर मिल चला दो और आपने नहीं सुनी। किसान बोलता रहा अखिलेश जी से बोला मुलायम सिंह जी से बोला किसी ने नहीं सुनी। मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी जी को कि उन्होंने उनके कर्म क्षेत्र की रामाला सहकारी शुगर मिल को चलाने के बारे में सोचा। किसानों ने कहा कि हम तीस साल से इंतजार कर रहे हैं। हमने चार सौ करोड़ रुपये की लागत से अध्यक्ष जी रामाला शुगर मिल को डबल करने का काम किया, हमारी सरकार ने किया। इसके लिए मैं योगी जी को बधाई देना चाहता हूं। यह लोग बार-बार ब्याज की बात कर रहे थे मैं पूछना चाहता हूं कि यह ब्याज माफी का काम किसकी सरकार ने किया था। वह बताएंगे क्या? ब्याज जो बना था 22 सौ करोड़ रुपये माफ करने का काम किसकी सरकार ने किया था? वह समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था मैं उन्हें जानकारी देना चाहता हूं और उन्हें जानकारी है कि यह सरकार किसानों के भुगतान के लिए कटिबद्ध है। यह किसानों की सरकार है, किसान हमारे एजेण्डे का हिस्सा है। प्रमुखता से किसान हमारे एजेण्डे में है इसलिए मा0 अध्यक्ष जी, हम किसानों का पूरा भुगतान तय करेंगे और पूरा भुगतान दिलाएंगे।

श्री अध्यक्ष-

वेल से कही गई कोई बात रिकार्ड नहीं होगी। वेल से कही गई बात हम नहीं सुन रहे हैं। आप जो भी यहां से बोल रहे हैं यह कार्यवाही का भाग नही है।

(तत्पश्चात् कांग्रेस के नेता ने दल सहित सदन से बहिर्गमन किया।)

नत्थी 'ख'

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में वन विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 व 2018-19 में वृक्षारोपण में हुए खर्च के सम्बन्ध में विवरण

***1-श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-**

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 में वृक्षारोपण कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है ? क्या सरकार उक्त कार्य हेतु खर्च धनराशि का जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान मंत्री (श्री दारा सिंह चौहान)-

प्रदेश में वन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 (माह जनवरी, 2019 तक) में वृक्षारोपण कार्यों पर व्यय धनराशि निम्नानुसार है :-

क्र0-सं0	वर्ष	व्यय धनराशि (रु0 लाख में)
1	2017-18	28289.86
2	2018-19 (माह जनवरी, 2019 तक)	21914.54

जी हां, संलग्न[†] है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से दो-तीन सवाल करना चाहता हूं। पहला सवाल यह कि वर्ष 2017-18 और 2018-19 में ये जो पैसे विभिन्न जनपदों में खर्च हुए दर्शाये गए हैं, इस पैसे से वन विभाग की नर्सरियों में कितने वृक्ष तैयार किए गए और कितने वृक्ष बाहर से खरीदे गए? उसका कोई लेखा-जोखा यदि सरकार के पास हो तो हम उसकी जानकारी चाहते हैं। दूसरा सवाल यह कि सरकार द्वारा इस पैसे से जिलेवार विभिन्न जिलों में जो पौधे लगाए गए, इन दोनों वर्षों के वे कितने पौधे अब तक जीवित हैं और कितने पौधे समाप्त हो चुके हैं ? क्या सरकार के पास इसकी कोई जानकारी है, हम यह पूछना चाहते हैं। तीसरा सवाल यह कि क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मा0 अखिलेश यादव जी मुख्य मंत्री थे तो उस समय एक नीति बनी थी कि 10-12 फीट के पौधे वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण में लगाए जाएंगे और वे पौधे अधिकांशतः लग भी जाते थे। अभी जो इन पिछले दो वर्षों में वृक्षारोपण किया गया है तो एक-एक फीट, दो-दो फीट और तीन-तीन फीट के पौधे लगा दिए गए और ये पौधे अधिकांशतः विलुप्त हो गए या मृत हो गए तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या आपकी ऐसी कोई नीति है कि एक निश्चित लम्बाई तक के पौधे ही लगाए जाएँ क्योंकि उससे नीचे के पौधे लगाने के बाद समाप्त हो जाते हैं इसलिए वह न लगाए जाएँ। क्या ऐसी कोई नीति सरकार के पास है ?

[†] देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ-121-123 पर।

श्री दारा सिंह चौहान-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने जो पूछा था, मैंने उसका उत्तर दे दिया है। आपने वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए पूछा था कि कितनी धनराशि खर्च हुई, मैंने उसका उत्तर दे दिया। आपने पूरे 75 जनपदों के लिए पूछा था कि कितना पैसा खर्च हुआ तो उसकी पूरी डिटेल सदन के पटल पर रख दी गई है और जो आपने पूछा कि पिछले साल कितने पौधे बाहर से लिए गए थे तो हमने कोई पौधा बाहर से नहीं खरीदा था, हमने सब पौधे अपनी नर्सरी में तैयार किए थे। पिछले साल तो हमारा 09 करोड़ का लक्ष्य था, इस साल हम 22 करोड़ पौधे लगाने जा रहे हैं। (सदन में मेजों की थपथपाहट) और ये सबके सब पौधे हम अपनी नर्सरी में तैयार कर रहे हैं। हम पूरे प्रदेश में हर गांव-गांव में जा करके माइक्रो प्लान तैयार कर रहे हैं। हम हर गांव में जा करके वृक्ष गार्जियन बना रहे हैं, गांव के प्रधान, वहां के सम्मानित बी0डी0सी0 या अन्य लोगों को मिलाकर हम ऐसा करने वाले हैं। साथ ही जो पेड़ की लम्बाई है तो हम निश्चित लम्बाई के पेड़ को लगाते हैं और हमने पूर्व की भांति एक भी पेड़ बाहर से नहीं खरीदा है। हमने सारे पेड़ अपनी नर्सरी में तैयार किए हैं। इसी नाते हम अगले साल के लिए भी 22 करोड़ पौधे अपनी नर्सरी में तैयार कर रहे हैं। मैं मा0 मुख्य मंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार उन्होंने 100 करोड़ रुपया नर्सरी तैयार करने के लिए दिया है। इससे पहले आकस्मिक निधि से वृक्षारोपण हेतु नर्सरी के लिए कभी किसी सरकार ने पैसा नहीं दिया है। ऐसा पहली बार है कि हमारी सरकार ने 100 करोड़ रुपया कण्टिनजेन्सी फण्ड से दे करके नर्सरी तैयार की है और आने वाले दिनों में हम बिना बाहर से खरीदे हुए अपनी नर्सरी के निश्चित लम्बाई के 22 करोड़ पौधे पूरे प्रदेश में लगाने का काम करेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में विगत दो वर्षों में विभाग द्वारा कितने वृक्ष लगाये गये हैं और उसमें से कितने वृक्ष जीवित हैं ?

श्री दारा सिंह चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, विभाग के द्वारा वर्ष 2017-18 में 4 करोड़ 53, वर्ष 2018-19 में 4 करोड़ 58 पौधे लगाये गये हैं और जो जीवित पौधे हैं जिन्हें पहले वर्ष जीवित का जो मानक माना जाता है वह 95 प्रतिशत हैं तथा द्वितीय वर्ष में 91 प्रतिशत और तृतीय वर्ष में 83 माना जाता है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो इनका अनुमानित निर्णय है कि इतने पौधे जीवित होने चाहिए, क्या इनकी माननीय मंत्री जी जांच कराएंगे और क्या जितना जिन्दा पौधा होना चाहिए इतने पौधे जिन्दा हैं ? मैं यह जानना चाहता हूं कि जो पौधे लगाये गये यदि यह वन विभाग की नर्सरियों में पैदा किये गये तो निश्चित रूप

से एक वर्ष के अन्दर यह पौधे 12 फीट या 10 फीट के नहीं हो सकते हैं। यह व्यावहारिक ज्ञान तो आपको हमसे ज्यादा है।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा टोकाटाकी करने पर व्यवधान।)

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक मेरी जानकारी है किसी भी प्रश्न का जवाब देना मंत्रिमण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। किसी भी प्रश्न का जवाब कोई मंत्री दे सकता है लेकिन आजकल इधर एक नयी परिपाटी बन गयी है कि जो कुछ लोग बेचारे वेटिंग में हैं वह वेटिंग वाले ज्यादा जवाब देते हैं। अध्यक्ष जी, आपकी तरफ से एक निर्णय आना चाहिए। कोई माननीय मंत्रिमण्डल का सदस्य सवाल का जवाब दे वह तो बात अच्छी है लेकिन यह वेटिंग वाले जो हमारे साथी जवाब देते हैं तो उससे व्यवधान पैदा होता है। अध्यक्ष जी, आप जरा इनको समझा दीजिए कि जो मंत्रिमण्डल के साथी हों वही जवाब दें यह वेटिंग वाले जरा धैर्य रखें।

श्री अध्यक्ष-

आप घरेलू बातें करने लगे तो हमको लग रहा है कि सवाल नहीं पूछना चाहते हैं।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवधान चारों तरफ से आता है तो क्या किया जाये। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल अभी रह गया है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं व्यवधान बिल्कुल नहीं है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सवाल है कि जो पौधे लगाये गये हैं अगर वह पौधे मानक से कम लगाये गये हैं और ज्यादा संख्या में पौधे लापरवाही से, गड़बड़ी से, छोटे पौधे लगाने से मर गये हैं तो क्या इसमें सरकार जांच कराकर संबंधित जिलों के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी और क्या यह जानकारी सदन के पटल पर रखने का काम करेगी ?

श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा भी इससे सम्बन्धित प्रश्न है। मैं सरकार से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपना उत्तर दिया और ठीक उत्तर दिया कि 91 प्रतिशत या इतने प्रतिशत पौधे जीवित होने चाहिए, नर्सरियों से पेड़ भी लगाये गये। मेरा प्रश्न है कि क्या पिण्डी बेसिस पर पेमेण्ट हो रहे हैं उसके हिसाब से कितने हुए, 8 से 12 फीट की ऊँचाई तक पेड़ों के कितने प्रतिशत के भुगतान अब तक किए गये, यह जानकारी सदन के समक्ष रखें। दूसरी बात, हमारी मांग यह है कि हमारे बाराबंकी में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने महादेवा में इस वृक्षारोपण का शुभारम्भ किया था, क्या इसमें माननीय मंत्री जी जांच कराएंगे कि महादेवा में जहां आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने वृक्षारोपण का शुभारम्भ किया था वहां कितने प्रतिशत पेड़ अभी तक जीवित बचे हैं ?

श्री दारा सिंह चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, हालांकि इनका मूल प्रश्न से कोई संबंध नहीं है परंतु इसके बावजूद मैं उत्तर दूँगा। जो जांच मूल्यांकन समिति विभाग की होती है वह बराबर जांच करती रहती है उसका आंकलन निकला है कि इतने प्रतिशत पेड़ हमारे जीवित हैं। हमारी सरकार ने पहली बार चूंकि परम्परा रही है और यह माननीय सदस्य का कहना सही है कि जो सालभर में पौधे पैदा होते हैं इसीलिए हमने एक दूरगामी दृष्टिकोण रखते हुए कि आने वाले दिन में जिस तरह से पहले कुछ प्रजाति के पौधे लगाये जाते थे लेकिन अब उसमें आम, महुआ, जामुन है जो लम्बे समय में प्रजाति तैयार होती है उसके लिए भी हमारी सरकार ने पहल की है और उसे नर्सरी में हम तैयार करने जा रहे हैं।

मा0 विधायक जी ने जो कहा कि बाराबंकी के महादेवा में, मैं भी उस समय मौजूद था। मुझे याद है कि आपको सारी बात याद है। मैं बधाई दूंगा उसी महादेवा में मा0 मुख्य मंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपील की है उत्तर प्रदेश की जनता से, कि वन मैन वन ट्री, एक व्यक्ति एक वृक्ष और उसी से प्रभावित होकर के, और इतना ही नहीं उन्होंने अपील किया था पूरे प्रदेश की जनता से और यही कारण है कि एक दिन में नौ करोड़ का जो लक्ष्य था जो कठिन था उसको हमने पूरा किया और उसी दिन मा0 मुख्य मंत्री जी ने यह भी अपील किया था कि पूरे प्रदेश को प्रदूषण से मुक्ति के लिए हम प्लास्टिक को पूरी तरीके से 0.5 एम0एम0 पालिथीन को बन्द करेंगे। वही अपील से आज पूरे प्रदेश में इस पर भी हमने पाबन्दी लगाने का काम किया है।

श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

इतना कह दे कि हम जांच करायेंगे। महादेवा की ही जांच करा लें जहां हमारे मुख्य मंत्री जी गये थे, जिनके हाथों से जो पेड़ लगाये गये थे।

श्री दारा सिंह चौहान-

मा0 अध्यक्ष जी, वैसे जांच कराना विभाग की एक प्रक्रिया है। जांच होती रहती हैं। हमारे सारे जो अधिकारी हैं जांच करते रहते हैं, इसके बावजूद अगर आपको कहीं भी अगर किसी बात की शिकायत है, अगर हमारे संज्ञान में लायेंगे तो निश्चित ही उसकी जांच कराऊंगा।

श्री अध्यक्ष-

अगला प्रश्न ले रहे हैं।

प्रदेश के सभी वर्तमान विधान मण्डल सदस्यों को आवासीय जमीन आवंटन करने विषयक

***2-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के वर्तमान विधान मण्डल सदस्यों को पूर्व की भांति आवासीय भूमि का आवंटन सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आवास एवं विकास परिषद् तथा विकास प्राधिकरणों के पास लैण्ड बैंक नगण्य है।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

मा0 अध्यक्ष जी, पूर्व की सरकारों ने मा0 विधायकों को गाजियाबाद, नोयडा तथा लखनऊ में प्लाट अथवा मकान दिया था। मा0 सदस्य अपने राजनीतिक, सामाजिक एवं जनहित कार्य के लिए दर-दर ठोकरें खाता है और लखनऊ उसको आना पड़ता है। यह प्रश्न मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं लगाया हूं। मैं कतरा होकर तूफानों से जंग लड़ता हूं, मुझे बचाना समुंदर की जिम्मेदारी है। मा0 अध्यक्ष जी, हम लोगों के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी समुन्दर ही हैं। आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से या मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मानवीय आधार पर सभी मा0 सदस्यों के लिए भूमि का आवंटन अथवा विला देने पर विचार करेंगे। उसमें आपको भी पाना है मा0 अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष-

आप एक घर मांग रहे हैं कि दो।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

मा0 अध्यक्ष जी, यह पूरा परिवार आज टकटकी लगाये इस आशय से एवं पूर्ण विश्वास के साथ अपने मुखिया को प्यार की निगाहों से देख रहा है कि आज रियल स्टेट में मन्दी का दौर चल रहा है और मा0 सदस्यों को किश्तों में भुगतान देना पड़ता है, ऐसी स्थिति में मा0 अध्यक्ष जी या मा0 मुख्य मंत्री जी इस मा0 सदन में पूरा परिवार बैठा हुआ है इनको विला देने पर क्या कठिनाई आ रही है ? दोनों प्रश्नों का उत्तर मा0 अध्यक्ष जी दिला दें। इसमें मा0 सदस्यों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि अगर सब लोग चाहते हैं तो मेजे थपथपाकर हमारा समर्थन करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, उत्तर मान्यवर, न में आ गया। अब इसके बाद कोई प्रश्न पैदा तो होता नहीं। जो मा0 सदस्य की मंशा थी, उसमें उत्तर न में आ गया मान्यवर। कोई अलग से व्यवस्था है नहीं मान्यवर।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें उत्तर आना-न-आना का सवाल नहीं है। उत्तर तो आ ही जायेगा। हम लोग मान भी लेंगे। यह जनहित से जुड़ा हुआ मामला है। जनहित मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितने माननीय सदस्य यहां बैठे हैं वह जनता के सेवक हैं। पहले तो हम लोग सोचते थे कि यहॉ मकान क्या होगा, क्योंकि हम लोग गॉव की राजनीति करते थे लेकिन अब सारी राजनीति केन्द्रित हो गयी लखनऊ और दिल्ली में आज के जमाने में। तो जिन माननीय सदस्यों के पास लखनऊ में मकान नहीं है, वह अगर चुनाव हार जाता है तो 7-8 हजार का मकान भाड़े पर लेना पड़ता है और इतना उसे पेंशन नहीं मिलती। तो जान-बूझकर अपने घर जाकर सो जाता है और राजनीति उसकी खत्म हो जाती है। इसलिये अध्यक्ष जी, बिल्कुल यह

जनहित का मामला है और सोचने का मामला है। दूसरी और सरकारों ने भी दिया है, बसपा ने भी दिया, हमारी सरकार ने भी दिया, आपकी सरकार में भी मिला बल्कि आपकी सरकार ने तो विधायकों का इतना ख्याल रखा कि विधायक निधि भी कायम की, केन्द्र से लेकर प्रदेश तक। तो अब इस मामले में क्यों भाग रहे हैं दया कीजिये, छाती को ऊॅचा कीजिये। चूंकि आज माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं हैं आप ही हैं वहॉ, तो मेरा करबद्व आपसे निवेदन है कि आप इस पर व्यवस्था दे दीजिये कि उनके लिये जमीन आवंटन होगा जिन माननीय सदस्यों के पास मकान नहीं है। दूसरी बात, बड़े सहृदय मित्र हमारे हैं इसी सदन में माननीय अध्यक्ष जी घोषणा हुयी कि सभी माननीय विधायकों को 5 करोड़ रुपये दिये जायेंगे। अब हमसे क्यों नाराजगी, जो हम लोगों को नहीं मिल रहा है। कौन सा ऐसा हम लोग पाप कर दिये हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी गवाह हैं जब नेताजी मुख्य मंत्री थे माननीय मुलायम सिंह यादव तो उन्होंने 5 किमी0 सड़क सभी सदस्यों को दी थी उसमें कोई भाजपा का नहीं कह सकता कि हमको नहीं मिला। इसके अलावा सभी माननीय सदस्यों को 5-5 गांव विद्युतीकरण के लिये दिया गया था तो आज दुराव क्यों, अरे हम दुश्मन थोड़े हैं। आप हृदय को चौड़ा कीजिये और जिन माननीय सदस्यों के पास लखनऊ में आवास नहीं है उनको आवास की व्यवस्था आप कृपापूर्वक करें। इस संबंध में आप यहां पर व्यवस्था दे दीजिये नहीं तो कक्ष में बुलाकर इस काम को कराइये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जब माननीय योगी जी की सरकार यहॉ आई तो हमने जो प्रदेश में आवास विहीन लोग थे उन लोगों को केन्द्र सरकार के सहयोग से आवास देने का फैसला किया और लगभग 30 लाख एप्लीकेशंस आई और उसमें से लगभग 14 लाख एप्लीकेशंस पर पात्र लोग पाये गये। मुझे आज सदन के सामने यह कहते हुये प्रसन्नता हो रही है कि लगभग 9 लाख 33 हजार आवास शहरी क्षेत्र में स्वीकृत हो चुके हैं। अभी भी बहुत से गरीब लोग जिनके पास अपनी पक्की छत नहीं हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके लिये मान्यवर, हमारी प्राथमिकता हैं। हम चाहते हैं कि उन लोगों को पहले आवास मिले जिन लोगों के पास अपनी पक्की छत नहीं है। क्योंकि रोजी-रोटी कमाने के बाद व्यक्ति की एक ही इच्छा होती है कि वह अपनी छत के नीचे सांस ले सके। हमारी प्राथमिकता पहले वह है और दूसरी बात, आपने कहा कि जब इनकी सरकार थी इन्होंने यह किया, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने यह किया। विधायक निधि किसने प्रारम्भ की थी और विधायक निधि हम सबको दी गयी थी, जब बढ़ाई गयी तो वह भी सबके लिये बढ़ाई गयी। ऐसा नहीं है मुख्य मंत्री जी ने कल भी कहा कि इस्टीमेट दे दीजिये। इसलिये जहां तक सवाल आवास का है तो आवास विकास का एक शासनोदश है पहले से ही। उस पर 5 प्रतिशत विधायकों और सांसदों के लिये मान्यवर, आरक्षण की व्यवस्था है 1999 के शासनादेश में।

मान्यवर, तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लिया कहीं पर किसी योजना में है और उस योजना में 5 परसेण्ट का आरक्षण भी है, लेकिन फिलहाल जो परिस्थिति है और मजबूरी थी, वह भी बता दी कि अगर हमारे पास जमीन हो तो पहले प्राथमिकता के आधार पर हम उन गरीब और बेसहारा लोगों को, जिनके पास अपनी छत नहीं है, हमारी प्राथमिकता वह होगी और उसके बाद अगर लैण्ड होगी तो मान्यवर, इस पर भी विचार कर लेंगे।

श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

अध्यक्ष जी, हम विधायकों के लिए थोड़ा सा अनुरोध जरूर करना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। इस विषय को अलग से ले लेंगे।

(श्री राम गोविन्द चौधरी के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर।)

माननीय नेता विरोधी दल बोलें। हम लोग चाहते हैं कि आप बहुत स्वस्थ रहें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री जी का जो उत्तर आया, शिरोधार्य है। जिस माननीय सदस्य का लखनऊ में घर नहीं है, वह भी छत विहीन ही तो है। तो विधायकों की अगर इतनी ही कीमत समझ रहे हों तो जो गरीब लोगों को दिये हैं, उसी में दे दीजिए। (हंसी के साथ सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)। क्योंकि मैंने आज ही अखबार में पढ़ा कि 8-8, 9-9 साल से मकान गरीबों के लिए बने हैं और आवंटन नहीं हुआ है, यह आज अखबार में है कि जो पुरानी बिल्डिंगें आवास विकास ने गरीबों के लिए बनाई हैं, उनका आवंटन नहीं हुआ है और नये-नये बन रहे हैं। तो हमारे माननीय सदस्यों की आपके हिसाब से इतनी ही हैसियत है, आपने खुद कहा कि छत विहीन, तो जिन माननीय सदस्यों के लखनऊ में मकान नहीं हैं, वह छत विहीन हैं। लखनऊ में जो छत विहीन है तो मान्यवर, विधायक गरीब है कि नहीं है? विधायक से गरीब कौन है, चाहे वह किसी पार्टी का विधायक हो। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, विधायकों को जो विधान सभा से मिलता है, उससे उसका काम चलने वाला नहीं है। काली की पूजा में जाइये, पैसा दीजिए, क्रिकेट में जाइये, पैसा दीजिए, कोई आपके दरवाजे पर आता है तो खाना खिलाइये, चाय पिलाइये, कहीं जाइये, कोई मर रहा है तो उसको पैसा दीजिए।

(सदस्यों द्वारा मेंजे थपथपाई गईं)

श्री अध्यक्ष-

चलिए, इस विषय पर आप लोग नेताओं की बैठक में चर्चा कर लें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, यह स्थिति विधायकों के सामने आ गई है कि किसी आदमी की मृत्यु होती है, वह वहां हमदर्दी में जाता है तो वहां लोग बोलते हैं कि ये विधायक जी, इनको कुछ आर्थिक मदद नहीं देंगे ? (हँसी) और विधायक भी मुँह बा कर खड़े हो जाते हैं। मान्यवर, विधायक गरीब है, जनता का सेवक है और मैं फिर कहूंगा कि मुख्य मंत्री जी से बात करके, माननीय अध्यक्ष जी से बात करके, जब सब सरकारों ने दिया है और आप भी दिये हैं तो सबको दे दीजिए, यह आग्रह है, यह कोई हम लोगों का हक नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसमें व्यवस्था आ गई, इस पर दलीय नेताओं की बैठक में बात करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

हमने कह दिया कि इस पर नेताओं की बैठक में चर्चा कर लेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, चर्चा नहीं, इसको करवा देंगे।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष-

नेताओं की बैठक में तो आप रहते ही हैं।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर अपनी बात करने का प्रयास करने पर।)

श्री अध्यक्ष-

यह विषय अब यहां चर्चा के लिए नहीं है। कोई चर्चा नहीं हो रही है।

प्रश्न संख्या 3 मो0 फईम इरफान का है, माननीय वन एवं वन्य मंत्री जी।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर।)

अब आप बैठें, उस विषय पर चर्चा नहीं हो रही है। आप सब बैठें। विधायकों की उपलब्धियों पर चर्चा नहीं हो रही है, आप कृपया बैठें। वन मंत्री जी खड़े हैं, आप उनको सुनिये। उस पर अलग से बात होगी। यह प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल होने दीजिए, इसमें और कोई विषय नहीं आयेगा, आप लोग बैठें।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर।)

यह प्रश्नकाल है इस समय प्रश्नों के अलावा और विषय नहीं आयेगा। आपका कोई वर्जन नहीं लिखा जायेगा, यह आपका प्रश्न नहीं है एजेण्डे में जो प्रश्न लगा है हम उसे ले रहे हैं। प्रश्नों के समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है इसलिए आप सभी मा0 सदस्य कृपया बैठ जाएं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, सरकार के सहयोगी दल की पीड़ा को सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

विधायकों की सुविधाओं पर चर्चा नहीं हो रही है। आप एक मिनट बैठ जाएं, हमारी बात को कृपया सभी मा0 सदस्य सुन लें। यह विषय अचानक एक प्रश्न से उठा उस पर अनेक मा0 सदस्यों के विचार आये, मा0 नेता प्रतिपक्ष ने भी अपने विचार रखे तो बात पूरी हो गई। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी का पक्ष आ गया, मैंने कहा कि इस विषय को नेताओं की बैठक में विचार में लेंगे। यह प्रश्नकाल है और प्रश्नकाल में व्यवस्था के प्रश्न नहीं उठते।

(विपक्ष के सदस्यों के पुनः खड़े होने पर।)

फिर से वही बात, हम इसे नहीं सुनेंगे।

प्रदेश के मार्गों के किनारे पेड़ों को सुरक्षित व लम्बा जीवन देने के उद्देश्य से विभिन्न एहतियाती उपाय करने सम्बन्धी सुझाव

***3-श्री मो0 फईम इरफान-**

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विभिन्न राजमार्गों, शहरी व ग्रामीण मार्गों के मध्य या किनारों पर लगे पेड़ों को सुरक्षित व लम्बा जीवन देने के उद्देश्य से पेड़ों में विज्ञापन बोर्ड लगाने जैसे कार्यों के लिए कीलें ठोंकना प्रतिबन्धित करके दण्डनीय बनाने और पुरानी कीलों को उखाड़ने हेतु सरकार कानून बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

प्रश्नगत प्रकरण विद्यमान विधिक व्यवस्था से आच्छादित होने के कारण पृथक से कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय वन अधिनियम, 1927 वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 तथा उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 यथा संशोधित के सुसंगत प्राविधानों में प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित व्यवस्था विद्यमान है।

श्री मो0 फईम इरफान-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार विभिन्न मार्गों के किनारे लगे पेड़ों में विज्ञापन या बधाई के बोर्ड, जिनके लगने से कीलें जो बहुत बड़ी गुल्मों की होती हैं उनके ठोकने की घटनाओं को मानती है या स्वीकार करती है। अगर स्वीकार करती है तो मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मा0 वनमंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसी घटनाओं को लेकर वर्तमान कानून के अन्तर्गत बीते दो वर्षों के मध्य दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई के कितने मामले प्रकाश में आये ? एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के संज्ञान में उक्त के अतिरिक्त मार्गों के किनारे लगे वृक्षों को किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा नष्ट कर राजमार्ग की भूमि को अपने निजी और व्यावसायिक प्रयोग में लाने की घटनाएं भी हैं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक आखिरी प्रश्न मा0 वन मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्योंकि पेड़ों को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बहुत काम किया है उन्होंने करोड़ों पेड़ लगाकर काफी बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। अभी आपने भी बताया कि आपने पेड़ों को लेकर बहुत बड़ी व्यवस्था की और आप लोगों ने मा0 मुख्य मंत्री जी के माध्यम से बहुत बातें बतायी हैं इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग खास तौर पर मेरी विधान सभा संख्या 509 जो पूर्व में क्रान गेट पर बिलारी और चन्दौसी के मध्य स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र बिलारी के ठीक सामने एक व्यक्ति द्वारा बड़ी संख्या में पेड़ काटकर राजमार्ग की भूमि पर धर्मकांटा आदि स्थापित करने के मामले में क्या सरकार जांचोंपरान्त प्रभावी दण्डात्मक कार्रवाई करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

जो आपका मूल प्रश्न है उसमें आपने अपने क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया था इसका उल्लेख आपने अब किया है इसलिए मा0 मंत्री जी के पास आपके क्षेत्र की सूचना नहीं होगी फिर भी मैं मा0 मंत्री जी से कहूंगा कि वह आपके पूरे प्रकरण पर जांच करायेंगे, आप उन्हें लिख करके दे दीजिए।

श्री मो0 फईम इरफान-

मैं माननीय वन मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्तमान कानून के अन्तर्गत प्रदेश में ऐसी घटनाओं को लेकर बीते दो वर्षों के मध्य दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई के कितने मामले प्रकाश में आये हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा पूरे प्रदेश के पेड़ों/वृक्ष की सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में जो सरकारी/ प्राइवेट नव निर्माण हो रहे हैं, वहां पर पेड़ काटने के स्थान पर क्या सरकार उनको उखाड़ करके, ट्रांसप्लांट करके, दूसरी जगह लगाने पर विचार करेगी ?

श्री दारा सिंह चौहान-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। मैं मा0 सदस्य की चिंता से पूरी तरीके से वाकिफ हूं और मैंने बताया भी कि जो एक्ट/प्राविधान हमारे हैं, मैंने पढ़कर आपको बता दिया है कि अगर इस एक्ट का कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने बहुत सारे वृक्षों पर जो प्रश्न किया है, उस पर बताना चाहता हूं कि जो मोटे छाल के पेड़ होते हैं अगर उसमें कोई पतली कील लगा देता है तो उस पेड़ का नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर पतले छाल वाले पेड़ पर कोई कील लगा देता है तो उस पेड़ को नुकसान पहुंचता है। पेड़ के प्रति आज लोग बहुत जागरूक हो गये हैं और पेड़ों की सुरक्षा करना अपना कर्तव्य समझते हैं, इसलिए अब ज्यादातर होर्डिंग या बैनर तार बांधकर लगाते हैं। इसके बावजूद हमारे विभाग के अधिकारी भी इसकी समीक्षा करते रहते हैं। अगर इस एक्ट के तहत कोई दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई भी की जाती है। मा0 सदस्य यदि अपने क्षेत्र की कोई घटना मेरे संज्ञान में लायेंगे तो निश्चित रूप से दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, आपका उत्तर आ गया।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा उत्तर नहीं आया है। यह पेड़ों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। मैंनें यह अनुरोध किया था कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जो सरकारी/प्राइवेट नव निर्माण हो रहे हैं वहां पर पेड़ काट दिये जाते हैं, क्या विभाग कोई ऐसी योजना बनायेगा कि पेड़ो को काटने के बजाय उनको ट्रांसप्लांट कर, उखाड़ कर दूसरी जगह रोपित कर दिया जाए ?

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, यह शोध जैसा विषय है, मा0 मंत्री जी ने कहा है कि आपने बहुत सुन्दर बात कहीं है।

***04-श्रीमती सुषमा पटेल-**

तारांकित प्रश्न संख्या-04 [04थे मंगलवार के ता0प्र0सं0-6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उ0 प्र0 में इलेक्ट्रानिक कचरे के निस्तारण की कार्य योजना

***5-श्री उज्जवल रमण सिंह-**

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इलेक्ट्रानिक कचरे के निस्तारण के लिए सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हां।

ई-वेस्ट के समुचित प्रबन्धन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ई-वेस्ट (प्रबन्धन) नियम, 2016 अधिसूचित किये गये हैं, जो दिनांक 01.10.2016 से प्रदेश में लागू हैं।

प्रदेश में ई-वेस्ट के निस्तारण के लिए 39 इकाईयां स्थापित हैं। उक्त में से 10 इकाइयों में ई-वेस्ट का एकत्रण किया जाता है, जिनमें से 08 इकाईयों की क्षमता 17,091 टन प्रतिवर्ष तथा शेष 02 इकाइयों की क्षमता 10,000 नग प्रतिवर्ष है। 13 इकाइयों में ई-वेस्ट का एकत्रण, पुनः चक्रण एवं भंजन किया जाता है, जिनकी संयुक्त क्षमता 92,051.50 टन प्रतिवर्ष है। शेष 16 इकाइयों में ई-वेस्ट का एकत्रण एवं भंजन किया जाता है, जिनकी संयुक्त क्षमता 99,425 टन प्रतिवर्ष है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री उज्ज्वल रमण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, उनकी या सरकार की मंशा पर हमारा सवाल नहीं है लेकिन प्रदूषण के मामले में चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कचरे का मामला हो, सरकार जो इस सदन में बोलती है उसका क्रियान्वयन इनके अधिकारी नहीं करते हैं। लगता है कि अधिकारियों पर सरकार का प्रभावी रूप से अंकुश नहीं है जिसके कारण माननीय मुख्य मंत्री जी और मा0 मंत्री जी के कहने के बावजूद भी प्रभावी कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से इस पर यह प्रश्न है कि पूरे प्रदेश में प्रतिवर्ष इलेक्ट्रॉनिक कचरे का कितना उत्सर्जन हो रहा है और कितने की आपने निस्तारण की व्यवस्था कर रखी है? तो मेरा पहला प्रश्न है कि प्रदेश में प्रतिवर्ष कितना इलेक्ट्रॉनिक कचरे का उत्सर्जन हो रहा है और कितने के ट्रीटमेण्ट की आपने व्यवस्था कर रखी है? दूसरा मैं सभी मा0 सदस्यों के ज्ञान के लिये मा0 मंत्री जी से चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे में आप किन-किन चीजों को मानते हैं कि ये-ये इलेक्ट्रॉनिक कचरा है ?

श्री अध्यक्ष-

आधे प्रश्न का उत्तर तो लिखित उत्तर में है जिसमें मा0 मंत्री जी द्वारा संयुक्त क्षमता बतायी गयी है।

श्री दारा सिंह चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य हमारे इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं और पूर्व में इस विभाग का दायित्व इनके पास रहा है इसलिए यह बखूबी जानते भी हैं। आज पूरे प्रदेश में जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है वह 25,586 घन मीटर, लगभग 25,000 मीट्रिक टन के करीब है और करीब 23,200 मीट्रिक टन के करीब उसका निस्तारण हो रहा है। मान्यवर, पिछले समय में यह जो काम अभी तक होता रहा इलेक्ट्रॉनिक कचरे का, माननीय सदस्य की चिंता सही है और निश्चित रूप से यह गम्भीर मामला है और उसके निस्तारण के लिए 39 ई-वेस्ट इकाइया स्थापित हैं जिससे इसका निस्तारण किया जाता है। पिछले डेढ़ महीने में 23,200 मीट्रिक टन के करीब हमने ई-वेस्ट का निस्तारण किया है। मुझे लगता है कि कुछ दिन में जो ई-वेस्ट बचा हुआ है उसका भी हम लोग निस्तारण कर देंगे। माननीय सदस्य ने जो पूछा कि ई-वेस्ट क्या-क्या हैं ? तो मैं बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रिकल उपकरण जो प्रयोग में उपयुक्त नहीं होते हैं उसे हम ई-वेस्ट कहते हैं जैसे-मोबाइल, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन जो खराब हो जाते हैं, उपयोग में नहीं आते हैं ये सब आते हैं। इसके अलावा ई-वेस्ट में अनुपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कम्प्यूटर, मोबाइल फोन आदि भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा मा0 सदस्य की जो जिज्ञासा होगी मैं निश्चित रूप से उसका उत्तर दूंगा।

अमृत योजना अन्तर्गत प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्वीकृत सीवर लाइन विछाये जाने का विवरण

***6-श्री नाहिद हसन-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अमृत योजना के अन्तर्गत कुल कितने नगरों में सीवर लाइन बिछाने की परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं व कितनी परियोजनाओं के सापेक्ष धनराशि कार्यदायी संस्थाओं को स्थानान्तरित कर दी गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि सहारनपुर मण्डल व मेरठ मण्डल के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष उन्हें आवंटित धनराशि व कार्यदायी संस्थाओं का नाम तथा परियोजना पूरी होने की अन्तिम तिथि का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

प्रदेश में अमृत योजना के अन्तर्गत 31 नगरों में सीवर हेतु 95 परियोजनाओं के लिए अनुमानित लागत रु0 6749.64 करोड़ की स्वीकृति राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

उक्त परियोजनाओं में से 82 परियोजनाओं हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष रु0 1339.59 करोड़ की धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जा चुकी है।

अमृत योजनान्तर्गत सहारनपुर मण्डल हेतु स्वीकृत कुल 03 सीवरेज योजनाओं हेतु स्वीकृत धनराशि रु0 182.20 करोड़ के सापेक्ष रु0 49.53 करोड़ की धनराशि दिनांक 30.01.2019 तक कार्यदायी संस्था, उ0 प्र0, जल निगम को अवमुक्त की जा चुकी है। मेरठ मण्डल हेतु स्वीकृत कुल 19 सीवरेज योजनाओं हेतु स्वीकृत धनराशि रु0 1372.34 करोड़ के सापेक्ष रु0 340.17 करोड़ की धनराशि दिनांक 30.01.2019 तक अवमुक्त की जा चुकी है। उक्त स्वीकृत कुल 22 सीवर योजनाओं के कार्य मार्च, 2020 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नाहिद हसन-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आज ड्रेनेज की प्राब्लम हर बड़े शहर हो या छोटे शहर हो सबमें देखी जा रही है और पानी की निकासी का कोई सही उपाय नहीं है। बड़े शहर से पानी निकलता है तो वह कहीं किसी गांव या किसी जमीन पर इकट्ठा हो जाता है। उसका कोई प्रापर सॉल्यूशन नहीं है। गन्दा पानी चूंकि जमीन ऑब्जर्व कर लेती है और उसकी वजह से कई सारी बीमारियॉं कस्बे में और जो जहॉं आस-पास पानी इकट्ठा हो रहा है वहां कई सारी बीमारियॉं कैंसर आदि फैल रही है। हाईजीन के हिसाब से बहुत सारी बीमारियॉं हो रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कुछ योजनाओं में सिर्फ पैसा स्वीकृत हुआ है और किसी में नहीं हुआ है। यह सारे काम कागजों पर हैं। हम लोग जमीनी स्तर पर अपने सहारनपुर मण्डल में, चाहे शामली जिला है या मुज्जफरनगर है कहीं ऐसा कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं बनाया गया जिससे यह गन्दा पानी या जो ट्रीटमेंट प्लान्ट है उसके जरिये या इसका कोई ऐसा उपाय होना चाहिए ताकि इस गंदे पानी की वजह से जो बीमारियां फैल रही हैं उनकी रोकथाम हो सके। वह तो मंत्री जी बतायेंगें कि उन्होंने क्या सोचा हुआ है। मेरा सवाल तो यह है कि गंदे पानी से बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। कागजों में योजनाएं चल रही हैं और धरातल पर नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि जिसमें पैसा स्वीकृत हो गया है उसमें जल्दी से जल्दी काम लगा लीजिये और जिलेवाइज इन्वेस्टीगेट करके जांच करा लीजिये कि कहां-कहां पानी इकट्ठा हुआ है और उसकी एक योजना बना दीजिये ताकि लोगों को इससे भुगतना न पड़े।

श्री अध्यक्ष-

आपका सुझाव अच्छा है प्रश्न तो है नहीं। अगला प्रश्न माननीय उमाशंकर सिंह जी का।

प्रदेश में गरीब आवास विहीन लोगों हेतु योजना के अन्तर्गत गरीबों को आवास के आवंटन में हो रही अनियिमितता के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण

***7-श्री उमाशंकर सिंह-**

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीब आवास विहीन लोगों हेतु चलायी जा रही आवास योजनाओं में आवास आवंटित होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में गरीब बेसहारा आवास विहीन लोगों को अभी तक आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

†छापा नहीं गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं, प्रदेश में गरीब आवास विहीन लोगों को राजीव आवास योजनान्तर्गत 4309 आवासों, आसरा आवास योजनान्तर्गत 11346 आवासों, बी0एस0यू0पी0 योजनान्तर्गत 45170 आवासों तथा आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत 30637 आवासों का आवंटन किया जा चुका है। आसरा योजनान्तर्गत 10062 अनावंटित आवासों का आवंटन जनपद स्तर पर प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आवास विहीन लोगों को छत मुहैया कराया जा रहा है। इस योजना में अद्यतन 836002 आवासों की स्वीकृति भारत सरकार से करायी जा चुकी है तथा 75113 आवासों को पूर्ण कर हस्तगत किये जा चुके हैं। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रह जाये।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, समय कम है और मंत्री जी का उत्तर आ ही गया है इसलिये मैं प्रश्न कर लूं।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि चूंकि उत्तर आपका आ गया है और समय कम है, आप उत्तर न पढ़ें। मैं प्रश्न कर लूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

कर लें।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर को पढ़ा हुआ माना गया।

श्री उमाशंकर सिंह-

धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं हालांकि समय बहुत कम है और चूंकि इस सवाल का जवाब भी इस सदन के एक माननीय सदस्य मेरे अनुपूरक का जवाब देंगें जिनके मार्गदर्शन में हम लोग सीखते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सवाल था कि क्या नगर विकास मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीब आवास विहीन लोगों हेतु चलाई जा रही आवास योजनाओं में आवास आवंटित होने के बावजूद, यानि हमने कहा है कि आवास आवंटित हो रहा है उसके बावजूद भी अभी तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें आवास उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। मतलब अभी तमाम पात्र लोग ऐसे हैं जिनको आवास नहीं मिला है। मंत्री जी ने जो भी जवाब अधिकारियों द्वारा बनाकर दिया है हमारे पूरे प्रश्न को खारिज करके आपका जवाब आ गया कि जी नहीं। यानि इस जी नहीं के शब्द से यह आश्वस्त हो गया कि अब उत्तर प्रदेश में कोई भी गरीब व्यक्ति आवास विहीन नहीं है। इस पर मेरी क्वैरी है। इसके आगे माननीय मंत्री जी के जवाब में आया है। यह अपने जवाब को फिर आगे कैसे बढ़ा रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने आगे कहा है कि गरीब आवास विहीन

लोगों को राजीव आवास योजनान्तर्गत 4309, आसरा आवास योजनान्तर्गत 45170 आवास यानि विभिन्न योजनान्तर्गत आवास देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यानि दिया नहीं गया है अभी प्रक्रियाधीन है। आगे मंत्री जी ने अगले अपने जवाब में दिया है।

श्री अध्यक्ष-

अब तो समय खत्म हो रहा है।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिये तो मैंने कहा कि बड़ा इन्टरेस्टिंग सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

अब उत्तर देने दीजिये।

श्री उमाशंकर सिंह-

तो माननीय अध्यक्ष जी, मेरा मुख्य सवाल यह था कि क्या अभी माननीय मंत्री जी ने कोई सर्वे करवाया है। उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे पात्र लोग हैं जिन्हें आवास की आवश्यकता है ? और उन्हें कब तक आवास दे दिया जाएगा ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जितने आवास के पात्र लोग पाए गए थे, उसमें से बड़ी संख्या में आवास स्वीकृत किए गए हैं। मान्यवर, मैंने जैसा कहा कि चौदह लाख लोगों को चिन्हित किया गया था उनके पास अपना पक्का आवास नहीं है शहरी क्षेत्र में, तीस लाख प्रार्थना पत्र आए थे और उसमें से नौ लाख तैंतीस हजार छः सौ इक्यानवे आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसलिए मैंने कहा कि बड़ी संख्या पर एतराज है। आधे से ज्यादा लोगों के आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं जिन्होंने आवेदन किया था जो पात्र पाए गए, जिनका प्रार्थना-पत्र सही पाया गया। इसलिए मैंने जी नहीं कहा, उसमें बाकायदा यह दिया गया है कि कितने आवास हमने किस-किस योजना के तहत दिए। इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को इस बात के लिए संतुष्ट हो जाना चाहिए और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को अवगत कराना चाहता हूं कि यह योजना तो 2015 से लागू है ''प्रधानमंत्री आवास योजना'' इसमें डेढ़ लाख रुपया भारत सरकार का है और एक लाख रुपया उत्तर प्रदेश सरकार का है हम ढाई लाख रुपया सब्सिडी दे रहे हैं और यह सब्सिडी हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी सब्सिडी है जो आवास के क्षेत्र में दी जा रही है।

(मेजें थपथपाई गईं)

नौ लाख तैंतीस हजार आवास हमने स्वीकृत कर दिए हैं। एक लाख से ज्यादा आवास बन चुके हैं। पूरी बात आपको बताई थी।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

नोट-तारांकित प्रश्न संख्या-7 के बाद प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रदेश के नगर निगमों तथा नगर पालिका परिषदों में कूड़ा निस्तारण के सम्बन्ध में

***8-सुश्री अदिति सिंह-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगर निगमों तथा नगर पालिका परिषदों में कूड़ा निस्तारण हेतु कौन-कौन सी योजना वर्तमान में लागू की गयी हैं ? क्या सरकार द्वारा सभी महानगरों, नगरों तथा नगर पालिका क्षेत्रों में समुचित कूड़ा निस्तारण का लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

उत्तर प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा दीर्घकालिक योजना तैयार की गयी है। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त 652 नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की कार्यवाही की जा रही है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी महानगरों, नगरों तथा नगर पालिका क्षेत्रों में घर-घर से कूड़ा उठाने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 15500 टन कूड़ा जनित होता है, जिसमें अधिकांश कूड़े का निस्तारण वर्तमान में किया जा रहा है। शेष कूड़े के निस्तारण की कार्य योजना प्रगति पर है।

प्रदेश में राजकीय नलकूपों के संचालन तथा बर्स्ट नलकूपों को रिबोर किया जाना

***9-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने राजकीय नलकूप लगे हुए हैं तथा उसमें से कितने वर्तमान में संचालित हैं व कितने बोर बर्स्ट होने के कारण बन्द हैं ? क्या सरकार उक्त बर्स्ट नलकूपों को रिबोर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई एवं सिंचाई (यांत्रिक) (श्री धर्मपाल सिंह)-

अवगत कराना है कि दिनांक 01.04.2018 की स्थिति के अनुसार प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कुल 40906 राजकीय नलकूप स्थापित किये गये। इसके सापेक्ष वर्तमान में 33077 राजकीय नलकूप संचालित एवं सिंचाईरत् हैं तथा 2685 राजकीय नलकूप असफल की श्रेणी में वर्गीकृत हैं।

उक्त असफल राजकीय नलकूपों में से वर्तमान वर्ष 2018-19 में 1101 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण हेतु रु0 283.26 करोड़ लागत की परियोजना का मा0 मंत्रि-परिषद् से अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है। उक्त परियोजना नाबार्ड से वित्त पोषित है, जिसे आगामी 02 वर्षों (31.03.2021 तक) में पूर्ण किया जाना है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में नवीन जसराना नहर परियोजना का कार्य पूर्ण कराने एवं लापरवाही में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में

***10-श्री मनीष असीजा-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद नवीन जसराना नहर परियोजना का 90% के लगभग कार्य पूर्ण हो चुका है किन्तु अवशेष 10 प्रतिशत कार्य पूर्ण न होने के कारण लगभग 175-200 करोड़ रुपये की धनराशि लगाने के बावजूद किसानों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवशेष कार्य पूर्ण कराकर देरी के लिए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र जसराना एवं शिकोहाबाद के अन्तर्गत जसराना नवीन नहर परियोजना रु0 197.78 करोड़ की स्वीकृत थी जिस पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु0 167.24 करोड़ व्यय किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 2.00 करोड़ का प्राविधान था, जिसके सापेक्ष कार्य पूर्ण कराकर व्यय किया जा चुका है। इस प्रकार परियोजना पर अब तक कुल रु0 169.24 करोड़ व्यय किया जा चुका है। परियोजना की भौतिक प्रगति 98 प्रतिशत एवं वित्तीय प्रगति 85.57 प्रतिशत है। आगामी वित्तीय वर्ष में बजट प्राविधान के अनुसार परियोजना के अवशेष कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं। वर्तमान में मुख्य नहर में पानी का संचालन कर शहर फिरोजाबाद को 50 क्यूसेक पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

परियोजना के अवशेष कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं। प्रकरण में देरी के लिए कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में किसानों से उड़द, मूंगफली व तिल आदि के नैफेड के माध्यम से पीसीएफ तथा सहकारिता द्वारा खरीद के लम्बित देयकों के भुगतान के सम्बन्ध में

***11-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों से उड़द, मूंगफली व तिल आदि के नैफेड के माध्यम से पीसीएफ तथा सहकारिता द्वारा खरीद के लम्बित देयकों के भुगतान सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री मुकुट बिहारी वर्मा)-

जी हां।

पीसीएफ द्वारा क्रय केन्द्रों पर खरीदे गये उर्द एवं मूंगफली की फीडिंग एवं सत्यापन के उपरान्त ऑनलाइन भुगतान किये जाने का प्राविधान है। तत्क्रम में कृषकों को ई-समृद्धि पोर्टल से सत्यापन के उपरान्त नियमित रूप से सीधे खाते में ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पेराई सत्र 2019-20 में गन्ना समर्थन मूल्य भुगतान एवं किसानों को डेढ़ गुना मूल्य दिलाने विषयक

***12-श्री राकेश प्रताप सिंह-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पेराई सत्र 2019-20 में गन्ना समर्थन मूल्य में विगत सत्र की अपेक्षा कितने रुपयों की बढ़ोत्तरी की गयी है तथा वर्तमान में गन्ना उत्पादन लागत क्या है ? क्या सरकार गन्ना किसानों को उनकी लागत का डेढ़ गुना मूल्य दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

पेराई सत्र 2019-20 हेतु राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य का निर्धारण नहीं हुआ है। वर्तमान में गन्ना उत्पादन लागत रु0 297.85 प्रति कुन्तल आंकलित की गई है।

राज्य सरकार गन्ना उत्पादन में आने वाली लागत तथा चीनी मिलों एवं गन्ना कृषकों के पक्षों को सुनकर तत्समय सुसंगत पहलुओं पर विचार करते हुए गन्ना कृषकों के व्यापक हितों के दृष्टिगत पेराई सत्र 2019-20 के लिए राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य का निर्धारण करेगी।

उपरोक्तानुसार।

पश्चिमी उ0 प्र0 की हिण्डन, कृष्णा तथा काली नदी को प्रदूषण मुक्त करने की कार्य योजना विषयक

***13-श्री संजय गर्ग-**

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हिंडन-कृष्णा तथा काली नदी को प्रदूषण मुक्त करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हां।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हिण्डन नदी, काली नदी व कृष्णा नदी में जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कार्य योजना बनायी गयी है। उक्त कार्य योजना में कार्यवाही के कुल 28 बिन्दु निर्धारित किये गये हैं तथा कुल 12 विभागों एवं एजेन्सियों को कार्यवाही का उत्तरदायित्व दिया गया है। कार्य योजना में जल प्रदूषणकारी उद्योगों हेतु भूजल की खपत में कमी, शुद्धिकृत उत्प्रवाह का पुनः प्रक्रिया व सिंचाई में उपयोग, भूगर्भ जल को सिंचाई किये जाने हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना तथा उद्योगों का नियमित अनुश्रवण कर उल्लंघनकारी उद्योगों के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना आदि हैं।

कार्य योजना में घरेलू जल-मल के आंकलन एवं उक्त के सापेक्ष पर्याप्त क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना किये जाने की कार्यवाही का बिन्दु भी निर्धारित किया गया है। उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत नदियों के फ्लड जोन में वृहद् नवीकरण एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट के भण्डारण को प्रतिबंधित किये जाने का भी कार्य योजना में प्राविधान है।

उक्त कार्य योजना के अनुसार कार्यवाही हेतु राज्य सरकार के अतिरिक्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ0 प्र0 जल निगम, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सम्बन्धित जिला प्रशासन, सिंचाई विभाग, केन्द्रीय एवं राज्य ग्राउण्ड वाटर बोर्ड, वन विभाग, स्थानीय निकाय तथा कृषि विभाग आदि का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है।

उक्त कार्य योजना मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा अनुमोदित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन की स्थानान्तरण नीति के आधार पर उक्त अभियन्ताओं को उनके मूल विभाग में तैनाती के सम्बन्ध में

***14-श्री लाल जी वर्मा-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के अवर अभियन्ताओं को लगभग दस वर्ष से सेन्टेज (प्रतिनियुक्ति) पर यमुना प्राधिकरण/ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में तैनात किया गया है ? यदि हां, तो शासन की स्थानान्तरण नीति के आधार पर उक्त अभियन्ताओं को उनके मूल विभाग में तैनाती की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

जी हां।

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अभियन्ताओं को कार्यमुक्त करने हेतु शासन के पत्र दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 तथा 24 जनवरी, 2019 द्वारा निर्देश दिये जा चुके हैं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में फल, सब्जियों व अन्य चीजों को रखने के लिए कोल्ड रूम बनाने वालों को प्रोत्साहित करने के कार्य योजना विषयक

***15-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फल, सब्जियों व अन्य ऐसी चीजें जो माइनस व प्लस कोल्ड रूम में रखी जाती हैं, को प्रोत्साहित करने की व कोल्ड रूम बनाने वालों को छूट दिये जाने के साथ-साथ कोल्ड रूम के मालिकों की अपने रूम में रखे जाने वाले सामान को उत्पादकों से मेल-मिलाप ''व्यापार'' कराने की कोई कार्य योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

प्रदेश में उत्पादित फल, सब्जियों व अन्य कृषि उत्पादों के भण्डारण हेतु शीतगृहों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन एवं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अन्तर्गत योजनायें संचालित हैं।

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 लागू होने के कारण शीतगृहों में रखे जाने वाले कृषि उत्पाद को उत्पादकों से मेल-मिलाप व्यापार कराने की कोई योजना नहीं बनाई गयी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

भारत-नेपाल सीमा योजना के सम्बन्ध में

***16-श्री अमन मणि त्रिपाठी-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत-नेपाल सीमा पर बन रहे बार्डर रोड योजना जो कई वर्षों से बन्द है, को पुनः संचालित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री, लोक निर्माण (श्री केशव प्रसाद मौर्य)-

इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित मार्ग की वास्तविक लम्बाई 570 किमी है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा 252 किमी लम्बाई में निर्माण कार्य स्वीकृत है, जिसमें से 15 किमी लम्बाई वन/वन्य जीव क्षेत्र से आच्छादित होने के कारण 237 किमी लम्बाई में निर्माण कार्य प्रगति में है और रु0 478.00 करोड़ की धनराशि व्यय कर 106 किमी की लम्बाई में सरफेसिंग लेवेल तथा कुल 154 किमी लम्बाई में मिट्टी का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उक्त कार्य माह दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

शेष 318 किमी लम्बाई में भारत सरकार से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होना शेष है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बस्ती के वि0स0क्षे0 रुधौली में डी0वी0टी0 योजना के संचालन के सम्बन्ध में जानकारी

1-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में भी डी0बी0टी0 योजना संचालित है ? यदि हां, तो क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र रुधौली के किसानों को उक्त योजना का लाभ दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वि0स0 क्षेत्र गरौठा में बेतवा नदी पर पक्का पुल का निर्माण कराने हेतु

2-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के गरौठा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बेतवा नदी के खिरियाघाट पर बने रपटा के स्थान पर जनहित में पक्का पुल का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में सरकारी नलकूपों एवं नहरों से सम्बन्धित शिकायतों को आनलाइन दर्ज कराने की व्यवस्था

3-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी नलकूपों तथा नहरों से सम्बन्धित शिकायतों को आनलाइन दर्ज कराने के लिए सरकार कोई व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

प्रदेश में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत सरकारी नलकूपों तथा नहरों से संबंधित शिकायतों को दर्ज कराने के लिए टोल फ्री विभागीय हेल्पलाइन नं0 1800-180-5450 की व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-91 के कि0मी0 सं0 50 से 54 के बीच अण्डर ब्रिज तथा साइड लेन का निर्माण करवाने के संबंध में

4-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-91 के कि0मी0, सं0-50 से 54 के बीच अन्डर ब्रिज तथा साइड लेन का निर्माण न होने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में भारी मानव क्षति हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ब्रिज तथा साइड लेन का निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत प्रकरण में कार्यवाही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाना अपेक्षित है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार स्थिति निम्नवत् है :-

राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-91 के गाजियाबाद-अलीगढ़ सेक्शन किमी0 50 से 54 के बीच अण्डर ब्रिज तथा साइड लेन के निर्माण का प्रावधान रियायतग्राही अनुबन्ध/डी0पी0आर0 में प्रस्तावित नहीं था।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-91 को वर्ष 2019 से 2022 तक 6 लेन में निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में ग्रामवासियों एवं मा0 सदस्य द्वारा अण्डर ब्रिज की निरन्तर मांग, दुर्घटनाओं एवं आवागमन की असुविधा को ध्यान में रखते हुए अण्डर ब्रिज व दोनों ओर सर्विस रोड निर्माण को प्रस्तावित मार्ग के 6 लेन निर्माण में सम्मिलित कर वर्ष 2022 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

जनपद लखनऊ के रतन खण्ड आवासीय योजना के अन्तर्गत नगर निगम जोन-8 में पार्क संख्या-10 व 9 में घासों की कटाई एवं झूले ठीक कराने एवं सौन्दर्यीकरण कराने के सम्बन्ध में

5-श्री पारसनाथ यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के रतन खण्ड आवासीय योजना जो नगर निगम जोन-8 में है, के पार्क संख्या-10 व 9 में दीवार/बाउण्ड्री खराब है तथा झूले पार्क में टूटे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्कों की सफाई, रंगाई, पुताई मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

उक्त पार्कों के सुधार एवं मरम्मत कार्य हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया है। पार्कों की क्षतिग्रस्त दीवार/बाउण्ड्रीवाल के सुधार, रंगाई-पुताई आदि के कार्य के साथ-साथ पाथ-वे एवं झूले आदि के प्रस्तावित कार्य हेतु पार्क सं0 10 पर रु0 18.56 लाख एवं पार्क सं0 9 पर रु0 12.40 लाख का व्यय होना प्रस्तावित है। कार्य को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृतोपरान्त कराया जाना सम्भव होगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के महाप्रबन्धक जलकल नगर निगम द्वारा की जा रही अनियमितता की जांच कराने विषयक

6-श्री पारसनाथ यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महाप्रबन्धक जलकल नगर निगम, गोरखपुर द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए कई वर्षों से कुछ फर्मों को ही निविदायें देना, श्रमिकों का ठेका कागजों पर ही दर्शाना और पाइप टोटी मरम्मत में धन का दुरुपयोग करना श्रमिकों को भत्ता कम देना आदि की शिकायतें सरकार के संज्ञान में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों को चिन्हित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के नगर पंचायत, महराजगंज में डम्पिंग ग्राउण्ड की व्यवस्था कराया जाना

7-श्री नफीस अहमद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के नगर पंचायत, महराजगंज में डम्पिंग ग्राउण्ड न होने से क्षेत्र में कराये जाने वाले विभिन्न कार्यों में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार नगर पंचायत के लिए डम्पिंग ग्राउण्ड की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं। नगर पंचायत, महराजगंज के कूड़े के निस्तारण हेतु ग्राम करमहा डिंगुरपुर में श्री ओम प्रकाश चौबे की भूमि संख्या-862 रकबा 0.1950 हे0 में से उनके हिस्से की भूमि किराये पर ली गयी है, जहां पर कूड़े का निस्तारण किया जाता है।

स्थाई डम्पिंग ग्राउण्ड के लिए ग्राम देवारा हरखपुर की नवीन परती खाते की आराजी संख्या 63 रकबा 0.345 हे0 भूमि चयनित की गयी है। स्थाई डम्पिंग ग्राउण्ड हेतु चयनित भूमि के पुनर्ग्रहण की कार्रवाई की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के वि0स0 क्षेत्र गोपालपुर में सत्र 2017-18 में गड्ढा मुक्त योजना के अन्तर्गत हुए खर्च के सम्बन्ध में जानकारी

8-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में वर्ष 2017-18 में गड्ढा मुक्त योजना के अन्तर्गत कितना धन खर्च हुआ है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में वित्तीय वर्ष 2017-18 में गड्ढा मुक्त कार्य पर रु0 53.00 लाख का व्यय किया गया है।

जी हां। विवरण संलग्न†है।

प्रश्न नहीं उठता।

†देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ-124-127 पर।

जनपद आजमगढ़ के वि0 स0 क्षेत्र गोपालपुर में सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित मार्गों के मरम्मत कराने के सम्बन्ध में

9-श्री नफीस अहमद-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में सिंचाई विभाग के कौन-कौन से मार्ग क्षतिग्रस्त हैं ? क्या सरकार उक्त मार्गों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में सिंचाई विभाग द्वारा किसी मार्ग का निर्माण नहीं कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी से लखनऊ फोरलेन के निर्माण एवं उरई स्थित कालपी के पास फोरलेन का निर्माण कराने के सम्बन्ध में

10-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी से लखनऊ फोरलेन के निर्माण में जनपद उरई स्थित कालपी के पास फोरलेन का निर्माण कार्य विगत कई वर्षों से अधूरा है जिस कारण वहां से गुजरने वाले वाहन एवं लखनऊ एस0जी0पी0जी0आई0 जाने वाले गम्भीर मरीजों को घण्टों जाम में फंसा रहना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार अधूरे फोरलेन के निर्माण कार्य को पूरा कराने की कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रकरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से सम्बन्धित है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-25 (नया 27) बारा-भोगिनीपुर-उरई खण्ड का निर्माण कार्य BOT (Annuity) के आधार पर वर्ष 2011 में पूर्ण किया जा चुका है, जिसमें कस्बा कालपी में भूमि सम्बन्धी विवाद के कारण 1.7 किमी0 में तत्समय निर्माण नहीं हो सका था। वर्तमान में भूमि सम्बन्धी विवाद की समस्या का समाधान हो गया है। रियायतग्राही द्वारा दोनों तरफ सर्विस रोड का निर्माण किया जा रहा है। सर्विस लेन का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त तथा सक्षम स्तर की स्वीकृति प्राप्त कर सर्विस लेन के बीच में फ्लाईओवर का निर्माण एन0एच0ए0आई0 द्वारा किया जायेगा।

जनपद झांसी के बबीना वि0स0 क्षेत्र राजकीय वेयर हाउस स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में

11-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र में राजकीय वेयर हाउस न होने से क्षेत्र के किसानों को खाद्यान्न भण्डारण हेतु निजी वेयर हाउस पर निर्भर होने के कारण मनमाना शुल्क अदा करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या

सरकार किसानों के खाद्यान्न भण्डारण हेतु ब्लाक स्तर पर राजकीय वेयर हाउस के निर्माण की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

जी नहीं।

राज्य भण्डारण निगम द्वारा गोदाम निर्माण हेतु निर्माण की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है।

कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा बी0ओ0टी0 (Built, Opertate & Transfer) आधार पर 5000 मै0 टन क्षमता के गोदाम सृजन हेतु उ0 प्र0 राज्य भण्डारण निगम को झांसी मण्डल के अन्तर्गत मण्डी समिति, चिरगांव में भूमि उपलब्ध करायी गयी है।

झांसी मण्डल के अन्तर्गत मण्डी समिति, चिरगांव में मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि का मृदा परीक्षण निगम द्वारा करा लिया गया है। राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा गोदाम निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्यवाही प्रक्रिया में है शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के बबीना वि0 स0 क्षेत्र में कैंटोनमेंट क्षेत्र को नगर निगम, झांसी की सीमा में सम्मिलित कराने विषयक

12-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के कैन्टोमेन्ट क्षेत्र को नगर निगम झांसी की सीमा में सम्मिलित किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं।

छावनी बोर्ड का गठन, छावनी अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किया गया है, जो केन्द्र सरकार का अधिनियम है। उक्त अधिनियम में संशोधन/परिवर्धन की कार्यवाही केन्द्र सरकार द्वारा ही की जा सकती है।

जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक बबीना अन्तर्गत ग्राम लहर ठकुरपुरा सम्पर्क मार्ग पर नहर के पुल निर्माण एवं हीरापुर-बुड़पुरा मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुलिया नं0-13/1 के पुनः निर्माण विषयक

13-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक बबीना अन्तर्गत ग्राम लहर ठकुरपुरा सम्पर्क मार्ग पर नहर के पुल के पहुंच मार्ग का निर्माण, ग्राम तौर से राजापुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण, ग्राम हीरापुरा बुड़पुरा मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुलिया नं0 13/1 का पुनः निर्माण, ग्राम पाली पहाड़ी सम्पर्क मार्ग पर पुलिया का

निर्माण, ग्राम बाजना सम्पर्क मार्ग पर पुलिया का निर्माण न होने से क्षेत्रवासियों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग एवं पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्न में वर्णित मार्गों की स्थिति निम्नवत् है :-

1-लहरपुर-ठकुरपुरा सम्पर्क मार्ग पर नहर के पुल के पहुंच मार्ग का नव निर्माण कार्य प्रश्नगत पहुंच मार्ग सिंचाई विभाग के स्वामित्व में है। अतः इस पर कार्यवाही के लिए सिंचाई विभाग को पत्र प्रेषित कर निर्देश दे दिये गये हैं।

2-तौर से राजापुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य राजापुर एवं तौर पूर्व से ही एकल लेपित मार्ग से जुड़े हैं। अतः इसे परस्पर जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी प्रचलित योजना से आच्छादित नहीं है।

3-हीरापुर-बुढ़पुरा मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुलिया नं0 13/1 का पुनः निर्माण कार्य उक्त मार्ग की क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण कार्य करा दिया गया है तथा संतोषजनक हैं आवागमन सुचारु रूप से चल रहा है।

4-पाली-पहाड़ी सम्पर्क मार्ग पर पुलिया रपटा का निर्माण कार्य इस मार्ग के किलोमीटर 3.00 में स्थित पुलिया पर वर्तमान में यातायात सुचारु रूप से चल रहा है। वर्षा ऋतु में यातायात बाधित होता है, जिसके स्थान पर बॉक्स कल्वर्ट के निर्माण हेतु रु0 43.80 लाख की धनराशि आंकलित है। बॉक्स कल्वर्ट की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

5-बाजना सम्पर्क मार्ग पर पुलिया/रपटा का पुनः निर्माण कार्य इस मार्ग के किलोमीटर 4.00 में स्थित रपटा क्षतिग्रस्त एवं सकरा है, जिसके स्थान पर 20 दर 1000 एम0एम0 डाया ह्यूम पाईप के रपटे के निर्माण हेतु रु0 66.47 लाख की धनराशि आंकलित है। रपटे की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में बेतवा नदी परिषद्, राजघाट बांध परियोजना को अध्यक्ष जल आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक सं0 6/4/2013/सीबीडी/14.16, दिनांक 10.01.2018 द्वारा रु0 41 करोड़ में आवंटित धनराशि विषयक

14-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

14-क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष, जल आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक सं0: 6/4/2013/सीबीडी/14.16, दिनांक 10-01-2018 द्वारा रु0 41 करोड़ की धनराशि उ0 प्र0 व म0 प्र0 राज्यों को 20.50-20.50 आवंटित की थी ? यदि हां, तो बेतवा नदी परिषद् राजघाट बांध परियोजना जनपद झांसी के हिस्से की धनराशि कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

बेतवा नदी परिषद् द्वारा संचालित राजघाट बांध परियोजना हेतु अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु रु0 41.00 करोड़ की व्यय अनुमान स्वीकृत किया गया था। इस अनुमान के सापेक्ष उ0 प्र0 व म0 प्र0 राज्य को रु0 20.50-20.50 करोड़ की धनराशि बेतवा नदी परिषद् को दी जानी थी।

उ0 प्र0 राज्य द्वारा बेतवा नदी परिषद् को व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट व्यवस्था रु0 13.00 करोड़ के सापेक्ष रु0 13.00 करोड़ अवमुक्त किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 एवं विकास परिषद् द्वारा संचालित आम्रपाली योजना हरदोई रोड़, लखनऊ के समस्त निर्माण व विकास कार्यों को भारतीय किसान यूनियन द्वारा दिनांक 09.03.2009 से 27.03.2012 तथा दिनांक 05.08.2012 के सम्बन्ध में

15-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा संचालित आम्रपाली योजना, हरदोई रोड, लखनऊ के समस्त निर्माण व विकास कार्यों को भारतीय किसान यूनियन द्वारा दिनांक 09-03-2009 से 27-03-2012 तथा दिनांक 05-08-2012 से 31-01-2014 तक की अवधि में पूर्णतया बन्द करा दिये जाने के कारण उक्त अवधि को शून्य काल मानते हुए सुप्रीम कोर्ट की याचिका संख्या अपील (सिविल) ऑफ 913-914 ऑफ 1998 कानपुर विकास प्राधिकरण बनाम श्रीमती शीला देवी व अन्य में जारी दिशा-निर्देश के अनुसार सम्पत्ति पर आरोपित अनिर्माण शुल्क, पुनर्जीवन शुल्क, विलम्ब/रख-रखाव शुल्क एवं दण्ड ब्याज की देयता को भी सरकार शून्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

उक्त अवधि के सम्बन्ध में उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश संख्या 1195, दिनांक 07.10.2014 द्वारा भारतीय किसान यूनियन की आन्दोलन अवधि दिनांक 09-03-2009 से 27-03-2012 एवं दिनांक 05-08-2012 से 31-01-2014 तक की अवधि में सम्पत्तियों पर आरोपित अनिर्माण शुल्क, विलम्ब/रख-रखाव शुल्क शून्य मानी गयी है साथ ही उक्त अवधि में योजना के समस्त प्रकार की सम्पत्तियों पर मानचित्र स्वीकृत कराने में यह व्यवस्था प्रभावी होगी। दण्ड ब्याज शून्य किये जाने हेतु परिषद् विनियम में प्राविधान नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा आई0जी0आर0एस0-40014618006393, दिनांक 19-02-2018, सं0-40014618013158, दिनांक 01-04-18 एवं सं0-4014613157, पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में

16-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा आई0जी0आर0एस0-40014618006393, दिनांक 19-02-2018, सं0-40014618013158, दिनांक 01-04-18 एवं सं0-40014618015759, दिनांक 14-04-18 तथा सं0-40014618013157 दिनांक 10-06-18 पर दर्ज शिकायत जो कि शिवम धाम खसरा नं0 205 मौजा चमरौली शमसाबाद रोड, आगरा में अवैध रूप से कालोनी के सार्वजनिक रोड पर बाउण्ड्रीवाल एवं गेट लगा कर कुछ लोगों द्वारा रास्ता बन्द करने के सम्बन्ध में है, पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

शिवम धाम कालोनी के सार्वजनिक रोड पर अवैध रूप से बाउण्ड्रीवाल बनाने एवं गेट लगाये जाने विषयक शिकायत प्राप्त होने पर आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 12.09.2017 को उक्त गेट हटवाये जाने हेतु ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करते हुए दीवार एवं गेट को ध्वस्त कर दिया गया।

स्थानीय निवासियों द्वारा पुनः गेट लगाये जाने पर प्राधिकरण द्वारा दिनांक 09.05.2018 को उक्त गेट हटाये जाने की कार्यवाही दौरान स्थानीय निवासियों द्वारा घेराव करते हुए प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया कि गेट एवं दीवार हटाये जाने के कारण वहां चोरी हो रही है तथा आवारा पशु व अराजक तत्व कालोनी में घूमते हैं, जिसके साक्ष्य के रूप में एफ0आई0आर0 की प्रतियां अपने प्रत्यावेदन के साथ प्रस्तुत की गयी, फलस्वरूप प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकी। कालोनीवासियों द्वारा यह सहमति दी गयी है कि दिन में उक्त गेट खुला रखेंगे।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के देवा विहार कालोनी, बरगवां बारा विरवा, कानपुर रोड की सीसी एवं डामर रोड के निर्माण के सम्बन्ध में

17-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के देवा विहार कालोनी, बरगवां, बारा विरवा, कानपुर रोड, का लगभग 200 मीटर सी0सी0/डामर सड़क निर्माण हेतु मा0 नेता विरोधी दल, विधान सभा उ0प्र0 को पत्रांक 251/2017, दिनांक 10-07-2017 के अनुरूप लखनऊ नगर निगम के पत्रांक 613/18, दिनांक 09-02-18 द्वारा प्रस्तुत आगणन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

प्रकरण में संबंधित स्थल का निरीक्षण किया गया। प्रश्नगत स्थल पर सीमेन्ट कंक्रीट की सड़क वर्तमान में निर्मित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के भोलाखेड़ा एवं आस-पास की प्राइवेट कालोनियों में आज तक सीवर, नाली एवं पानी निकलने की समुचित व्यवस्था नहीं होने से नागरिकों को हो रही समस्या के सम्बन्ध में

18-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के भोलाखेड़ा एवं आस-पास की प्राइवेट कालोनियों में सीवर तथा नाली का पानी निकलने की समुचित व्यवस्था न होने के कारण नागरिकों को अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालोनी में सीवर लाइन डालने एवं नाली बनवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

लखनऊ नगर के भोलाखेड़ा एवं आस-पास की प्राइवेट कालोनियों में गृहस्वामियों द्वारा सेप्टिक टैंक का उपयोग किया जाता है। सेप्टिक टैंक के स्लज का मानकानुसार निस्तारण आवश्यक है।

उक्त समस्या के निदान हेतु सेप्टिक टैंक के स्लज के निस्तारण के लिए अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत सेप्टेज मैनेजमेंट हेतु उत्तर प्रदेश के 07 नगरों यथा लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज एवं गाजियाबाद में को-ट्रीटमेंट की योजना स्वीकृति हुयी है। इस कार्य की ई-निविदा आमंत्रित की गयी है। ई-निविदा की स्वीकृति के उपरान्त उक्त को-ट्रीटमेंट का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के जानकीपुरम् कालोनी के सेक्टर-ए में कूड़ा निस्तारण के सम्बन्ध में

19-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की जानकीपुरम् कालोनी के सेक्टर-ए से लगायत सभी सेक्टरों एवं जानकीपुरम् विस्तार तक में कूड़ा एकत्र करने एवं उसे उठाने व निस्तारण हेतु कूड़ा प्रबन्धन स्थल चिन्हित/निर्मित नहीं कराया गया है और न ही कूड़ा निस्तारण की कोई व्यवस्था ही की गयी है जिससे समस्त कालोनीवासियों को कूड़ा निस्तारण में निरन्तर कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालोनी में कूड़ा निस्तारण की समुचित व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नगर निगम, लखनऊ सीमान्तर्गत जानकीपुरम योजना में कूड़ा एकत्रित करने हेतु अस्थायी रूप से कूड़ा पड़ाव स्थापित है, जहां से प्रतिदिन नियमित रूप से कूड़ा उठाये जाने की

कार्यवाही की जाती है। इको ग्रीन कम्पनी द्वारा डोर टू डोर कलेक्शन का कार्य किया जा रहा है तथा पोर्टेबल काम्पेक्टर ट्रान्सफर स्टेशन लगाये जाने की प्रक्रिया चल रही है। संसाधनों की उपलब्धता होने पर पोर्टेबल काम्पेक्टर ट्रान्सफर स्टेशन द्वारा कूड़े का निस्तारण किया जायेगा।

जानकीपुरम विस्तार नगर निगम, लखनऊ की सीमा के बाहर है तथा इसके रख-रखाव एवं सफाई व्यवस्था का उत्तरदायित्व लखनऊ विकास प्राधिकरण का है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् कालोनी के सेक्टर-एच का हस्तानान्तरण नगर निगम को किये जाने के सम्बन्ध में

20-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की जानकीपुरम् कालोनी के सेक्टर-एच का हस्तानान्तरण नगर निगम को कर दिया गया है ? यदि हां, तो हस्तानान्तरण करने के पूर्व उक्त सेक्टर में क्या-क्या एवं कौन-कौन से विकास कार्य कराये गये हैं ? क्या सरकार हस्तानान्तरण से सम्बन्धित समस्त विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनियों का नगर निगम, लखनऊ एवं जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में दिनांक 05.10.2017 को आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अध्यक्षता में आहूत बैठक में लिये गये निर्णयानुसार सड़क पर बी0एम0 व एस0डी0बी0सी0 एवं आश्यकतानुसार सीमेन्ट कंक्रीट का कार्य, आर0सी0सी0 नाली कवर सहित एवं पार्क का सुधार कार्य कराते हुए सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 17.11.2018 के माध्यम से जानकीपुरम आवासीय योजना, सेक्टर-एच का हस्तान्तरण नगर निगम, लखनऊ को किया गया।

जी हां।

विवरण उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के नगर पालिका कुशीनगर के अन्तर्गत मार्च, 2012 से अब तक किये गये कार्यों के सम्बन्ध में

21-श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के नगर पालिका कुशीनगर के अन्तर्गत मार्च, 2012 से दिनांक 21-01-2019

तक कौन-कौन से कार्य कराये गये हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां। जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के नगर पालिका परिषद्, कुशीनगर के अन्तर्गत मार्च, 2012 से दिनांक 21.01.2019 तक कराये गये कार्यों का विवरण निम्नवत् है :-

वित्तीय वर्ष 2012-2013 में-17 कार्य।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में-04 कार्य।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में-53 कार्य।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में-35 कार्य।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में-41 कार्य।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में-61 कार्य।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में 21.01.2019 तक-257 कार्य।

जी हां। विवरण संलग्न है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के वि0स0 क्षेत्र कुशीनगर के नगर पालिका परिषद् में मार्च, 2012 से अब तक संविदा और आउट सोर्सिंग से किये गये भर्तियों के सम्बन्ध में

22-श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के नगर पालिका परिषद् कुशीनगर के अन्तर्गत मार्च, 2012 से दिनांक 21-01-2019 तक संविदा एवं आउट सोर्सिंग से कितने कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां। जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के नगर पालिका परिषद्, कुशीनगर के अन्तर्गत मार्च, 2012 से दिनांक 21.01.2019 तक संविदा पर किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गयी है।

नगर पालिका परिषद्, कुशीनगर के अन्तर्गत मार्च, 2012 से दिनांक 21.01.2019 तक आउट सोर्सिंग के माध्यम से आपूर्ति की गयी मजदूरों की संख्या निम्नवत् है :-

वित्तीय वर्ष 2012-13 में-

मजदूरों की संख्या 60 मजदूर।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में-

मजदूरों की संख्या 80 मजदूर।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में-

मजदूरों की संख्या 80 मजदूर।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में-

मजदूरों की संख्या 80 मजदूर।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में-

मजदूरों की संख्या 90 मजदूर।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में-

मजदूरों की संख्या 126 मजदूर।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में 21.01.2019 तक-मजदूरों की संख्या 324 मजदूर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के वि0 स0 क्षेत्र कुशीनगर के नगर पालिका परिषद् में डूडा के द्वारा मार्च, 2012 से अब तक किये गये कार्यों के सम्बन्ध में विवरण

23-श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के नगर पालिका परिषद् कुशीनगर के अन्तर्गत डूडा (जिला नगरीय विकास अभिकरण) द्वारा मार्च, 2012 से दिनांक 21-01-2019 तक कौन-कौन से कार्य कब-कब कराये गये तथा उक्त कार्यों हेतु कितना धन आवंटित किया गया ? क्या सरकार कार्यवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नगर पालिका परिषद्, कुशीनगर में निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2017-18 तक कोई धनराशि प्राप्त न होने के कारण डूडा, कुशीनगर द्वारा कोई भी निर्माण कार्य नगर पालिका परिषद्, कुशीनगर में नहीं कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनवरी, 2019 तक मुख्य मंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत नगर पालिका परिषद्, कुशीनगर में इण्टरलाकिंग एवं नाली इत्यादि निर्माण कार्य से सम्बन्धित 31 परियोजनाओं हेतु रु0 254.802 लाख की धनराशि डूडा, कुशीनगर को प्राप्त हुई है। तत्क्रम में निविदायें आमंत्रित कर निर्माण कार्य कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

24-श्री नील रतन सिंह पटेल 'नीलू'-

[01ले मंगलवार के अता0प्र0सं0-69 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मुख्य मंत्री कार्यालय में दिनांक 03.01.2019 को प्राप्त आख्या संख्या 1815710000472 पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में

25-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 30-12-2018 के क्रम में मुख्य मंत्री कार्यालय में 03-01-2019 को दर्ज संख्याः 1815710000472 जो कि विकास खण्ड निगोही के ग्राम बरैंचा व ग्राम रतूली के मध्य कैमुआ नाला पर छोटा पुल व ग्राम हमजापुर व डींग के मध्य कैमुआ नाला पर छोटा पुल के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

विकास खण्ड निगोही के ग्राम बरैचा व ग्राम रतूली के मध्य कैमुआ नाले पर 5×6 मी0 स्पान के बाक्स कलवर्ट के निर्माण कार्य हेतु रु0 270.18 लाख तथा ग्राम हमजापुर व डींग के मध्य कैमुआ नाले पर 3×6 मी0 स्पान के लघु सेतु हेतु रु0 179.29 लाख की लागत आंकलित है। लघु सेतुओं का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य मंत्री कार्यालय को प्राप्त दिनांक 03-01-2019 को आख्या संख्याः 18157190000469 पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में

26-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 30-12-2018 के क्रम में मुख्य मंत्री कार्यालय में 03-01-2019 को दर्ज संख्याः 18157190000469 जो कि लिपोलिक भिंड मार्ग शाहजहांपुर पीलीभीत स्टेट हाई-वे पर निगोही में कैमुआ नाला पर सकरे पुल का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

लिपुलेख भिण्ड मार्ग का उक्त भाग राष्ट्रीय मार्ग संख्या 731K घोषित है। मार्ग की डी0पी0आर0 गठित करने हेतु निविदा प्राप्त हो चुकी है। डी0पी0आर0 गठन के समय मानक/ आवश्यकता के अनुसार सेतु के चौड़ीकरण का प्राविधान किया जायेगा।

जनपद शाहजहांपुर के भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा दिये गये पत्रांकः 1677/एल0बी0सी0 दिनांक 14 मई, 2018 के सम्बन्ध में

27-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-04-2018 जो कि ग्राम पंचायत निगोही को नगर पंचायत बनाये जाने

विषयक है, के अनुक्रम में जिलाधिकारी, शाहजहांपुर का पत्रांकः 1677/एल0बी0सी0 दिनांक 14 मई, 2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां। उक्त पत्र द्वारा ग्राम पंचायत निगोही को नगर पंचायत बनाये जाने के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के परीक्षणोंपरान्त ग्राम पंचायत, निगोही, जनपद शाहजहांपुर को नगर पंचायत बनाये जाने के संबंध में आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने की दृष्टि से अनन्तिम, अधिसूचना संख्या 2357/9-1-2018-35टी/18, दिनांक 26.12.2018 निर्गत की गयी है।

जनपद शाहजहांपुर के वि0 स0 क्षेत्र तिलहर में वि0 ख0 निगोही के अन्तर्गत निगोही मार्ग पर कटी सड़क का पुल निर्माण एवं प्रकोष्ठ संख्या मुमस/372/चौंतीस/घोषणा/2018/वाई0एन0 32/2018, क्र0सं0 जी0एच0 11 वाई 000190 पर कार्यवाही के सम्बन्ध में

28-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत तिलहर-निगोही मार्ग पर विरसिंहपुर के आगे कटी सड़क का पुल निर्माण के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री घोषणा प्रकोष्ठ पर दर्ज संख्या मुमस/372/चौंतीस/घोषणा/2018/वाई0एन0 32/2018, क्र0सं0 जी0एच0 11 वाई 000190 लखनऊ दिनांक 2 जुलाई, 2018 पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत सेतु का आगणन गठित कर लिया गया है, जिसकी लागत रु0 1276.39 लाख है। स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के क्रिस्टल बार एण्ड रेस्टोरेन्ट स्थित शिवाजी मार्ग लखनऊ के मालिक के चरित्र का सत्यापन एवं लाईसेन्स के नवीनीकरण के सम्बन्धित में

29-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्रिस्टल बार एण्ड रेस्टोरेन्ट स्थित शिवाजी मार्ग लखनऊ के मालिक के चरित्र का सत्यापन कराये बिना रेस्टोरेन्ट के लाइसेन्स का नवीनीकरण किये जाने के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने विषयक मा0 धर्मवीर सिंह अशोक, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 21-05-2019 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री (श्री जय प्रताप सिंह)-

जी नहीं।

क्रिस्टल बार एण्ड रेस्टोरेन्ट स्थित शिवाजी मार्ग लखनऊ के मालिक के चरित्र का सत्यापन कराये बिना रेस्टोरेन्ट के लाइसेन्स का नवीनीकरण किये जाने के विरुद्ध नियमानुसार

कार्यवाही करने विषयक श्री धर्मवीर सिंह अशोक, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 21-05-2019 इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 को-आपरेटिव बैंक सहायक प्रबन्धकों की नियुक्ति में धांधली, बैलेंसशीट में हेराफेरी एवं डिफाल्टर मिलों को ऋण दिये जाने के सम्बन्ध में कार्रवाई किया जाना

30-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 को-आपरेटिव बैंक सहायक प्रबन्धकों की नियुक्ति में धांधली, बैलेंसशीट में हेराफेरी एवं डिफाल्टर मिलों को ऋण देने की संस्तुति जैसा व्यापक भ्रष्टाचार की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

जी हां।

सहायक प्रबन्धकों की अनियमित नियुक्ति कराने, दो प्राइवेट चीनी मिलों यथा केसर इण्टरप्राइजेज, बरेली एवं सिम्भावली सुगर मिल को ऋण दिये जाने में अनियमितता बरतने तथा किसान सहकारी भवन में स्थित आई0डी0बी0आई0 एवं एक्सिस बैंक को खाली कराकर उ0 प्र0 को-आपरेटिव बैंक को आर्थिक हानि पहुंचाने आदि प्रकरणों में श्री आर0 के0 सिंह, तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 को-आपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ/अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, सहकारिता, लखनऊ को शासन के आदेश संख्या 1772/49-2-2018-145(52)/2017, दिनांक 04.10.2018 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया तथा शासन के आदेश संख्या 1815/49-2-2018-145(52)/2017, दिनांक 10.10.2018 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए श्री मो0 जुनीद, विशेष सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के नगर निगम के सभी जोन क्षेत्र के वार्डों की बस्ती में आवारा कुत्तों का बधियाकरण कराने से सम्बन्धित

31-श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर, एडवोकेट-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर निगम के सभी जोन क्षेत्र के वार्डों की बस्ती आबादी में आवारा कुत्तों का बधियाकरण कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

लखनऊ नगर निगम द्वारा नादरगंज, सरोजनीनगर स्थित कान्हा उपवन गौशाला के पशु चिकित्सालय एवं सलेज फार्म, गोमतीनगर स्थित पशु प्रजनन नियंत्रण केन्द्र में स्वयं सेवी संस्था, ध्यान फाउण्डेशन द्वारा 100 से 150 कुत्तों का बधियाकरण किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त नगर निगम के सभी जोन क्षेत्र के वार्डों की बस्ती, आबादी के आवारा कुत्तों के वृहद् बधियाकरण हेतु ग्राम जराहरा, इन्दिरानगर स्थित पशु चिकित्सालय का निर्माण कराया गया है तथा बधियाकरण की कार्यवाही हेतु कार्यदायी संस्था के चयन के लिए ई-टेण्डरिंग की कार्यवाही क्रियाशील है।

जनपद लखनऊ में फुटपाथ पर हो रहे अतिक्रमण हटवाने के लिए कार्रवाई किया जाना

32-श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर, एडवोकेट-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ की नगर पंचायत गोसाईगंज में अधिशासी अधिकारी द्वारा कस्बे में सड़क के किनारे फुटपाथ पर खोमचा व गुमटी रखकर परिवार चलाने के लिये दुकानें लगाने वाले गरीबों की दुकानें हटवा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि कुछ ही दिनों बाद उसी स्थानों पर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी द्वारा अपने चहेतों की गुमटी रखवा कर फिर अतिक्रमण करवाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर ऐसा करने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई कर अतिक्रमण हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नगर पंचायत गोसाईगंज में जनहित एवं निकाय हित को ध्यान में रखते हुए मुख्य मार्ग के फुटपाथ से लगी हुई नगर पंचायत की कीमती भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। खाली करायी गयी कीमती भूमि पर लोहे की गुमटियां किराये पर आवंटित की गयी हैं। जिसमें नगर पंचायत की राजस्व आय में वृद्धि होगी। दुकान आवंटन में पूरी विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमानुसार ही आवंटन किया गया है। लोहे की गुमटियां रखने के उपरान्त मुख्य मार्ग पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है।

जनपद झांसी के अन्तर्गत एरच बांध परियोजना हेतु 100 करोड़ रुपये का वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट के बावजूद अभी तक कार्य प्रारम्भ न कराये जाने के सम्बन्ध में

33-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के अन्तर्गत एरच बांध परियोजना हेतु 100 करोड़ रुपये का वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में प्रावधान होने के बावजूद अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ ? यदि हां, तो उसके क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त परियोजना पर कार्य प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

जनपद झांसी के अन्तर्गत एरच बांध परियोजना निर्माणाधीन है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 100.00 करोड़ की बजट व्यवस्था है। परियोजना कार्यों की जांच प्रचलित होने के कारण निर्माण कार्य वर्तमान में स्थगित है।

परियोजना कार्यों की जांच माह अप्रैल, 2017 से प्रचलित होने के कारण कार्य बन्द है। कराये गये कार्यों की गुणवत्ता एवं भुगतान की जांच प्राविधिक सम्परीक्षा प्रकोष्ठ (टी0ए0सी0) द्वारा तथा परियोजना के लिए जल उपलब्धता (हाईड्रोलॉजी) की जांच राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच), रूड़की द्वारा की जा रही है। जांच कार्य पूर्ण होने के पश्चात् एरच बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर धनावंटन प्राप्त कर परियोजना के अवशेष निर्माण कार्य जांच परिणाम के अनुसार कराये जायेंगे।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के अन्तर्गत बेतवा नदी पर खिरिया घाट के रपटा के स्थान पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

34-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के अन्तर्गत बेतवा नदी पर खिरिया घाट के रपटा के स्थान पर पुल का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत स्थल पर सेतु जिसकी अनुमानित लागत लगभग रु0 6266.00 लाख है, का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में विश्व बैंक परियोजना से आच्छादित चिरगांव-हमीरपुर मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

35-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विश्व बैंक परियोजना से आच्छादित चिरगांव-हमीरपुर मार्ग का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना के अन्तर्गत हमीरपुर-राठ-गुरसरांय-झांसी मार्ग (राज्य मार्ग सं0 42) का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण 3 पैकेजों (1-हमीरपुर-राठ मार्ग, 2-राठ से गरौठा एवं 3-गरौठा से वाया गुरसरांय-चिरगांव तक) में प्रस्तावित है।

गरौठा से वाया गुरसरांय-चिरगांव तक सड़क निर्माण का कार्य कुल लम्बाई 49.145 किमी0 में प्रगति में है एवं अनुबन्ध के अनुसार कार्य पूर्ण किये जाने की तिथि 14 जनवरी, 2020 है।

शेष दोनों पैकेजों में मार्ग का निर्माण विश्व बैंक के साथ ऋण की कार्यवाही पूर्ण होने एवं प्रदेश सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

36-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

[01ले गुरुवार के अता0प्र0सं0-16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद शाहजहांपुर में विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम बिछौली से ग्राम भरतापुर तक कच्चे मार्ग को डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में

37-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम बिछौली से ग्राम भरतापुर तक ग्राम पराझरसा, बरैचा मार्ग से ग्राम नवीपुर होते हुये ग्राम हटादलेलपुर मार्ग, तिलहर-निगोही मार्ग से ग्राम पैंतापुर तथा ग्राम चक्रमली मार्ग से ग्राम कुकहा महमूदपुर तक का मार्ग कच्चा व क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

(1) ग्राम बिछौली पूर्व में ही ग्रामीण श्रेणी के लेपित मार्ग से जुड़ा है तथा ग्राम भरतापुर पूर्व से ही ग्रामीण श्रेणी के लेपित मार्ग से जुड़ा है। अतः इन्हें परस्पर जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

(2) पराझरसा-बरैचा मार्ग से ग्राम हटालेलपुर पूर्व से ही ग्रामीण श्रेणी के लेपित मार्ग से जुड़ा है। ग्राम नवीपुर की आबादी 250 से कम होने के कारण इसको जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

(3) ग्राम पैतापुर पूर्व से ही दिउरिया मार्ग के कि0मी0 1 से जुड़ा है। अतः इसे दूसरी ओर (तिलहर निगोही मार्ग) से जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

(4) ग्राम चक्रमली मार्ग से ग्राम कुकहा-महमूदपुर तक ग्रामीण श्रेणी का लेपित मार्ग है। चक्रमली मार्ग के आबादी भाग में 200 मीटर क्षतिग्रस्त मार्ग पर सी0सी0 मार्ग के कार्य हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को शासनादेश संख्या 15/2019/43/35-4-2019, दिनांक 08.01.2019 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर में वि0 ख0 सिंधौली के अन्तर्गत ग्राम पंचपेडा गन्दा नाला पेंटिंग रोड से ग्राम कीरतपुर मार्ग तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण करवाने की मांग

38-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में विकास खण्ड सिंधौली के अन्तर्गत ग्राम पंचपेडा गन्दा नाला पेंटिंग रोड से ग्राम कीरतपुर मार्ग कच्चा तथा क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद शाहजहांपुर में विकास खण्ड सिंधौली के अन्तर्गत ग्राम पंचपेडा गन्दा नाला पेंटिंग रोड से ग्राम कीरतपुर तक लम्बाई 1.50 कि0मी0 ग्रामीण श्रेणी का कच्चा/खडंजा स्तर का मार्ग है, परन्तु ग्राम कीरतपुर पूर्व से ही गढ़ा-पिलखना सम्पर्क मार्ग से जुड़ा है तथा ग्राम पंचपेडा गन्दा नाला पेंटिंग रोड पूर्व से ही मुडिया-कोटावारी मार्ग के कि0मी0 4 से लेपित मार्ग से जुड़ा है। अतः इन्हें परस्पर जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

वि0 स0 क्षेत्र केराकत के ब्लाक मुफ्तीगंज के ग्राम अमरा में शारदा नहर पर निर्मित पुल के मरम्मत करवाने की मांग

39-श्री दिनेश चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के ब्लाक मुफ्तीगंज के ग्राम-अमरा में शारदा नहर पर निर्मित पुल क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

जी नहीं। पुल के पैरापेट आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं, जिसकी मरम्मत का कार्य एक माह में करा लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र केराकत के ग्राम पलिया में शारदा सहायक खण्ड-36 पर निर्मित पुल के मरम्मत करवाने की मांग

40-श्री दिनेश चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के ग्राम-पलिया में शारदा सहायक खण्ड-36 पर निर्मित पुल क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

जी हां।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के अन्तर्गत ग्राम पलिया में निर्मित पुल की परियोजना का प्राक्कलन तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर उक्त कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र बबीना के ब्लाक चिरगांव के अन्तर्गत ग्राम बमनुवा से ग्राम वकायन तक सम्पर्क मार्ग निर्माण कराया जाना

41-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक चिरगांव के अन्तर्गत ग्राम बमनुवा से ग्राम वकायन तक सम्पर्क मार्ग जीर्ण-शीर्ण होने से क्षेत्रवासियों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां। ग्राम बमननुआ, बमनुआ से रौरा सम्पर्क मार्ग से एवं ग्राम बकायन, बकायन सम्पर्क मार्ग से पूर्व से ही लेपित मार्गों से जुड़े हुए हैं। पूर्व से जुड़े गांवों को परस्पर जोड़ने की कोई योजना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत संचालित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र बबीना के ब्लाक चिरगांव के अन्तर्गत ग्राम मोड़कला रेलवे फाटक से ग्राम निवी तक सम्पर्क मार्ग निर्माण कराया जाना

42-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक चिरगांव के अन्तर्गत ग्राम मोड़कला रेलवे फाटक से ग्राम निवी तक सम्पर्क मार्ग

काफी जीर्ण-शीर्ण स्थिति में होने के कारण क्षेत्रवासियों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां। ग्राम मोडकलां तथा ग्राम निवी पूर्व से ही अलग-अलग लेपित मार्गों से जुड़े हुए हैं। मोडकलां रेलवे फाटक से निवी तक मार्ग की लम्बाई 2.00 किमी0 है जो कच्चे स्तर (मिट्टी स्तर) का मार्ग है। परन्तु प्रश्नगत ग्राम एकल लेपित मार्गों से जुड़े हैं। अतः इन्हें परस्पर जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र बबीना के ब्लाक चिरगांव के अन्तर्गत ग्राम विठरी से ग्राम लेवा तक सम्पर्क मार्ग निर्माण कराया जाना

43-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के ब्लाक चिरगांव के अन्तर्गत ग्राम विठरी के ग्राम लेवा तक सम्पर्क मार्ग जीर्ण-शीर्ण होने के कारण क्षेत्रवासियों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां। बिठरी से लेवा तक मार्ग की लम्बाई 2.600 किमी0 है जो कच्चे स्तर (मिट्टी स्तर) का मार्ग है। ग्राम बिठरी व ग्राम लेवा पूर्व से ही लेपित मार्ग से जुड़े हैं। अतः इन्हें आपस में एक दूसरे से जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र बबीना के ब्लाक चिरगांव के ग्राम छिरौना अतवेई मार्ग के पहुज नदी पर सेतु निर्माण कार्रवाई किया जाना

44-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के ब्लाक चिरगांव के अन्तर्गत ग्राम छिरौना अतवेई मार्ग पर मुड़ेई के नजदीक पहूज नदी पर सेतु का निर्माण न होने से क्षेत्रवासियों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़

रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में पहूज नदी पर सेतु निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

प्रश्नगत ग्राम मुड़ई के पूर्व निर्मित रपटे के स्थान पर आर0सी0सी0 बॉक्स कलवर्ट के निर्माण की शासनादेश संख्या 19/2018/127/23-9-2018-06 नाबार्ड (सेतु)/17, दिनांक 21.03.2018 द्वारा रु0 43.80 लाख की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। आर0सी0सी0 बॉक्स कलवर्ट का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं पहुंच मार्ग का कार्य प्रगति पर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली में बिजवाड़ा राजवाहा ककड़ीपुर से लेकर माखर राजवाहे तक पटरी का निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में

45-श्री सहेन्द्र सिंह रमाला-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली में बिजवाड़ा राजवाहा ककड़ीपुर से लेकर माखर राजवाहे तक लगभग 28.359 किमी0 पटरी का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

प्रश्नगत राजवाहे पर सड़क निर्माण हेतु एक परियोजना तैयार की जा रही है। धन की उपलब्धता के अनुसार सड़क का निर्माण कराया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर की नगर पालिका परिषद्, मुंगराबादशाहपुर में नियमित अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना

46-श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर की नगर पालिका परिषद् मुंगराबादशाहपुर में 2 वर्षों से नियमित अधिशासी अधिकारी की तैनाती न होने व 80 किमी0 दूर स्थित शाहगंज नगर पालिका के अधिकारी को प्रभार दिये जाने के कारण आमजन को होने वाली समस्या व विकास कार्यों के प्रतिकूल प्रभाव के दृष्टिगत क्या सरकार उक्त नगर पालिका परिषद् में नियमित अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

यथाशीघ्र।

उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) प्रशासी सेवा के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी के रिक्त पदों के सापेक्ष प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने के सम्बन्ध में नियुक्ति की कार्यवाही अन्तिम चरण में है। प्रतिनियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण होते ही नगर पालिका परिषद्, मुंगरा बादशाहपुर में नियमित अधिशासी अधिकारी की तैनाती कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली में पानीपत, कैराना पुल से बिडौली करनाल पुल तक यमुना नदी के तटबंध को गड्ढामुक्त कराने विषयक

47-श्री नाहिद हसन-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि करनाल-बिडोली यमुना पुल से वाया बिडोली-बसेड़ा-चौतरा-फतेहपुर-मंडावर रामड़ा होकर पानीपत-कैराना यमुना पुल तक यमुना नदी के तटबन्ध पर बने मार्ग को सरकार गड्ढा मुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त तटबंध के सर्विस रोड को गड्ढामुक्त करने हेतु परियोजना बनाई गई थी परन्तु धनाभाव के कारण कार्य सम्भव नहीं हो सका।

वर्तमान में सर्वेक्षण कराकर उक्त मार्ग/तटबंध की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार हेतु परियोजना निर्मित कर स्वीकृति की कार्यवाही प्रगति में है।

प्रश्न नहीं उठता।

बिडोली-चोसाना मार्ग जनपद शामली व गंगोह-अंबेहटा मार्ग को गड्ढामुक्त कराने के लिए कार्य किया जाना

48-श्री नाहिद हसन-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिडोली-चोसाना मार्ग जनपद शामली व गंगोह-अम्बेहटा मार्ग जनपद सहारनपुर को सरकार गड्ढा मुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद शामली के अन्तर्गत बिडौली-चौसाना मार्ग पूर्ण रूप से गड्ढामुक्त है व गंगोह अम्बेहटा मार्ग एस0एन0जी0टी0 मार्ग के किमी0 33 (अम्बेहटा) से किमी0 44 (गंगोह) मार्ग को पूर्व में पूर्ण रूप से गड्ढामुक्त किया जा चुका था, परन्तु मार्ग की सम्पूर्ण सतह में क्रेक हो जाने एवं दिनांक 22.01.19 को हुई वर्षा के कारण मार्ग पर पुनः कुछ नये पैच बन गये हैं, जिनकी मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के परियोजना अधिकारी, डूडा पर लगे विभागीय कार्यों में अनियमितता के सम्बन्ध में जानकारी

49-श्री पारसनाथ यादव-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परियोजना अधिकारी डूडा गोरखपुर नगर निगम गोरखपुर में कब से तैनात हैं तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत आवासों के निर्माण एवं आवंटन आदि में गम्भीर अनियमितता की शिकायतें वर्ष 2018 में प्राप्त हुयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की उच्च स्तरीय जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), गोरखपुर में दिनांक 31.12.2016 से तैनात हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (शहरी) मिशन योजनान्तर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बी0एल0सी0) घटक के अन्तर्गत लाभार्थियों द्वारा स्वयं आवासों का निर्माण कराया जा रहा है तथा भागीदारी में किफायती आवास (ए0एच0पी0) घटक के अन्तर्गत आवासों का निर्माण गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। ए0एच0पी0 घटक में आवासों का आवंटन जिलाधिकारी द्वारा गठित टीम की जांचोपरान्त किया जाना है। जनपद गोरखपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (शहरी) मिशन योजनान्तर्गत अनियमितता की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

विरेन्द्र यादव, वि0 स0, सदस्य, गाजीपुर के पत्र दिनांक 29.05.2018 एवं प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र दिनांक 16.05.2018 के सम्बन्ध में

50-श्री पारसनाथ यादव-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान एम0डी0 उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 लखनऊ के विरुद्ध वीरेन्द्र यादव, विधायक जनपद गाजीपुर का पत्र दिनांक 29-05-2018 एवं प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र 16-05-2018 के सम्बन्ध में आयुक्त एवं निबन्धक कार्यालय की आख्या प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

जी नहीं।

प्रकरण के संदर्भ में शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उ0 प्र0, लखनऊ द्वारा शिकायती-पत्रों एवं वर्तमान प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत उनके पक्षों का परीक्षण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के टाउन एरिया जीयनपुर-गोरखपुर मार्ग पर ओवर ब्रिज के निर्माण के सम्बन्ध में

51-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के टाउन एरिया जीयनपुर-गोरखपुर मार्ग पर जाम लगने से यात्रियों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में ओवर ब्रिज का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्नगत मार्ग राज्य मार्ग श्रेणी का है, जिसकी चौड़ाई 10.00 मी0 है। मार्ग पर यातायात सुचारु रूप से संचालित हो रहा है तथा जाम की कोई समस्या नहीं है।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज मेन रोड से हेगाईपुर होते हुये नसीरपुर तक सड़क निर्माण विषयक

52-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज मेन रोड से हेगाईपुर होते हुये नसीरपुर तक का मार्ग जर्जर होने से आम जनमानस को आवागमन में काफी कइिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत/निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

उक्त मार्ग की मरम्मत हेतु रु0 49.60 लाख की धनराशि आंकलित है, जिसकी स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के अहरौला बाजार से कप्तानगंज मुख्य मार्ग सड़क तक का चौड़ीकरण कराने के सम्बन्ध में

53-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के अहरौला बाजार से कप्तानगंज मुख्य मार्ग सड़क तक का चौड़ीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्नगत मार्ग अन्य जिला मार्ग है। उक्त मार्ग 3.00 मी0 से 3.60 मी0 चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत निर्मित है तथा 05 वर्षीय अनुरक्षण में है। अनुरक्षण अवधि समाप्त होने की तिथि 05/2020 है। अनुरक्षणीय अवधि में कोई अन्य कार्य अनुमन्य नहीं है।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महराजगंज के शिवपुर-महुला-गढ़वल बांध के नीचे रपटा पुल के निर्माण हेतु

54-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महराजगंज के शिवपुर महुला गढ़वल बांध के नीचे रपटा पुल न होने से बुढऊ बाबा का स्थान के दर्शन करने में क्षेत्रवासियों को परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर रपटा पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत स्थल बांध के अन्दर नदी के तरफ स्थित है। मार्ग अथवा रपटा निर्माण कार्य हेतु असाध्य श्रेणी में होने के कारण निर्माण सम्बन्धित कार्यवाही औचित्यपूर्ण नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

वि0 स0 क्षेत्र पुरकाजी के ग्राम रतनपुरी व रामनगर के बीच सोलन नदी पर सेतु निर्माण विषयक

55-श्री प्रमोद उटवाल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के गांव रतनपुरी व रामनगर के बीच धू-धू नदी पर अस्थाई पाईल सेतु का निर्माण सरकार कब तक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर के वि0 स0 क्षेत्र पुरकाजी के मुजफ्फनगर-सिझौना मार्ग का चौड़ीकरण कराया जाना

56-श्री प्रमोद उटवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के मुजफ्फरनगर सिझौना मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

मुजफ्फरनगर-सिसौना मार्ग अन्य जिला मार्ग श्रेणी का मार्ग है, जिसकी कुल लम्बाई 5.53 किमी0 एवं चौड़ाई 3.00 मीटर है। मार्ग पर यातायात घनत्व (पी0सी0यू0 10211 एवं सी0वी0डी0 641) अधिक होने के कारण मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है, जिसकी आंकलित लागत रु0 1163.16 लाख है। मार्ग की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर के वि0 स0 क्षेत्र पुरकाजी में पचेण्डा लिंक मार्ग पर निर्माण कार्य के सम्बन्ध में

57-श्री प्रमोद उटवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के गांव पचेण्डा में पचेण्डा लिंक मार्ग का निर्माण कार्य गांव सरवट के सरवर फाटक पर फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य, डा0 एन0 रोड छपार सिमर्थी तेजलहेड़ा तथा कन्हेड़ा होते हुये हरी नगर तार मार्ग पर निर्माण कार्य कब तक सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्न में उल्लिखित समस्त मार्ग पूर्व से निर्मित हैं, जिनकी स्थिति निम्नवत् है :-

1-गांव पचेण्डा में पचेण्डा लिंक मार्ग-यह मार्ग ग्रामीण श्रेणी का है जिसकी लम्बाई 1.600 कि0मी0 एवं चौड़ाई 3.00 मी0 है। वर्तमान में मार्ग क्षतिग्रस्त है। मार्ग की विशेष मरम्मत हेतु रु0 13.57 लाख की धनराशि आंकलित है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

2-गांव सरवट के सरवट फाटक पर फ्लाई ओवर का निर्माण-उत्तर प्रदेश, राज्य सेतु निगम लि0 सेतु इकाई, मेरठ द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या में यह अवगत कराया गया है कि सरवट गांव की तरफ सड़क की चौड़ाई 18.00 मी0 उपलब्ध न होने के कारण सेतु का निर्माण सम्भव नहीं है।

3-डी0एन0 रोड छपार-सिमर्थी, तेजलहेडा तथा कम्हेडा होते हुए हरीनगर मार्ग- यह मार्ग अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है जिसकी कुल लम्बाई 20.00 कि0मी0 है जिसमें 12.570 किमी0 लम्बाई पी0एम0जी0एस0वाई0 के अधीन अनुरक्षणाधीन है जिसकी दशा

संतोषजनक है। शेष 7.430 किमी0 लम्बाई (चैनेज 7.570 किमी0 से चैनेज 15.000 किमी0), लोक निर्माण विभाग के अधीन है। लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत आबादी भाग में किमी0 9.10 (150) एवं 12(310) अर्थात् कुल लम्बाई 1.46 किमी0 में विशेष मरम्मत के अन्तर्गत सी0सी0 रोड की स्वीकृति माह 11/2018 में प्रदान की गयी है। जिसका कार्य प्रगति पर है। लोक निर्माण के अधीन मार्ग का अवशेष भाग गड्ढामुक्त है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर की वि0स0 क्षेत्र पुरकाजी के गांव रथेडी-सरवर फाटक से गांव रथेडी तक मुख्य मार्ग बनवाने विषयक

58-श्री प्रमोद उटवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के गांव नसीरपुर व गांव रथेडी-सरवर फाटक से गांव रथेडी तक मुख्य मार्ग का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां। प्रश्नगत मार्ग की विशेष मरम्मत हेतु आंकलित धनराशि रु0 56.00 लाख है। उक्त स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर की वि0स0 क्षेत्र पुरकाजी के गांव बझेड़ी रेलवे फाटक का मुख्य मार्ग बनवाने विषयक

59-श्री प्रमोद उटवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के गांव सिसौना से बझेड़ी रेलवे फाटक का मुख्य कावड़ मार्ग का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग मुजफ्फरनगर-सिसौना मार्ग अन्य जिला मार्ग श्रेणी का मार्ग का ही एक भाग है, जिसकी कुल लम्बाई 5.53 किमी0 एवं चौड़ाई 3.00 मीटर है। मार्ग पर यातायात घनत्व (पी0सी0यू0 10211 एवं सी0वी0डी0 641) अधिक होने के कारण मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है, जिसकी आंकलित धनराशि रु0 1163.16 लाख है। मार्ग की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

पत्र संख्या ख-6 नम्बर-द 512651, दिनांक 09-01-2019 के सम्बन्ध में जानकारी

60-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का सिंचाई विभाग बुलन्दशहर द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्ग की टी0ए0सी0 से जांच कराये जाने विषयक पत्र संख्याः ख-6 नम्बर-512651, दिनांक 09-01-2019 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

शासन के पत्र दिनांक 24.01.2019 द्वारा मुख्य प्राविधिक परीक्षक, प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, सिंचाई विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ को मा0 विधायक के पत्र में उल्लिखित कार्यों की जांच कराकर जांच आख्या 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराने के आदेश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत आने वाले मजरों को काली सड़क से जुड़वाने एवं पत्र दिनांक 29.08.2019 पर की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में

61-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत आने वाले मजरों को काली सड़क से जुड़वाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29-08-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां। पत्र में वर्णित मार्गों की स्थिति निम्नवत् है :-

1-चूहरपुर मजरा, बड़ौदा लम्बाई 0.80 कि0मी0-इस कार्य की लम्बाई 0.80 कि0मी0 एवं लागत रु0 35.43 लाख का दो लेन मार्गों पर 5.00 कि0मी0 की परिधि में स्थित अनजुड़ी बसावटों को पक्के मार्ग से जोड़ने की योजना के अन्तर्गत आंकलित कर ली गयी है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

2-ख्वाजपुर मजरा, चौकी लम्बाई 0.90 कि0मी0-इस कार्य की स्वीकृति शासनादेश सं0 05/2019/आ0-81-04 अन्य/2018, दिनांक 21.01.2019 द्वारा लम्बाई 0.75 कि0मी0 एवं लागत रु0 31.67 लाख की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है।

3-बक्सुआ मजरा, सुनपेड़ा लम्बाई 0.60 कि0मी0-इस कार्य की स्वीकृति शासनादेश सं0 05/2019/आ0-81/23-9-2018-04 अन्य/2018, दिनांक 21.01.2019 द्वारा लम्बाई 0.60 कि0मी0 एवं लागत रु0 28.70 लाख की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है।

4-जफरपुर (धनपुरा) मजरा, अजयनगर लम्बाई 1.00 कि0मी0-इस कार्य की स्वीकृति शासनादेश सं0 05/2019/आ0-81/23-9-2018-04 अन्य/2018, दिनांक 21.01.2019 द्वारा लम्बाई 1.00 कि0मी0 एवं लागत रु0 58.00 लाख की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

बजाज शुगर मिल कुन्दुरखी, गोण्डा पर गन्ना किसानों को बकाया मूल्य दिलवाये जाने के सम्बन्ध में

62-श्री सुभाष त्रिपाठी 'एडवोकेट'-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बजाज शुगर मिल कुन्दुरखी गोण्डा पर गन्ना किसानों का कितना गन्ना मूल्य बकाया है ? क्या सरकार गन्ना किसानों को बकाया गन्ना मूल्य दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

दिनांक 01.02.2018 की स्थिति के अनुसार पेराई सत्र 2017-18 के अन्तर्गत बजाज शुगर मिल कुन्दुरखी, जिला गोण्डा पर कुल देय गन्ना मूल्य रु0 331.25 करोड़ के सापेक्ष रु0 297.88 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है जो कुल देय का 89.93 प्रतिशत है। वर्तमान में चीनी मिल पर रु0 33.37 करोड़ अवशेष है।

अवशेष गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान हेतु बकायेदार चीनी मिल को दिनांक 30.11.2017, 02.02.2018, 13.04.2018 एवं 07.05.2018 को नोटिसें निर्गत की गई हैं। इसके अतिरिक्त समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर आहूत समीक्षा बैठकों में भी त्वरित गन्ना मूल्य भुगतान कराये जाने हेतु सभी बकायेदार चीनी मिल को निर्देशित किया गया है। राज्य सरकार गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराने हेतु पूर्णतः सजग एवं कटिबद्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र दरियाबाद के अन्तर्गत एल्गिन-चरसडी तटबन्ध पर दो वर्ष पूर्व कटे बन्धे पर स्लोप बोल्डर पिचिंग कराने के सम्बन्ध में

63-श्री सतीश चन्द्र शर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र दरियाबाद के अन्तर्गत एल्गिन-चरसडी तटबन्ध पर दो वर्ष पूर्व कटे बन्धे पर जनहित में स्लोप, बोल्डर पिचिंग का कार्य पूर्ण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां। एल्गिन ब्रिज चरसरी तटबंध की सुरक्षा हेतु जनपद गोण्डा में घाघरा नदी के बायें तट पर किमी0 27.400 से किमी0 27.600 के मध्य तथा किमी0 36.720 से 36.900 के मध्य बोल्डर से लांचिंग एप्रन एवं पिचिंग का निर्माण कार्य लागत रु0 1036.54 लाख की परियोजना तैयार की गयी है। परियोजना के सक्षम स्तर से अनुमोदित होने एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत विकास खण्ड दरियाबाद ब्रांच पर टूटे पुलों के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में

64-श्री सतीश चन्द्र शर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र दरियाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड दरियाबाद ब्रांच (नहर) पर वर्षों पूर्व बने टूटे पुलों (खत्रीपुर, शेखवापुर, नूरपुर) को जनहित में पुनर्निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

प्रश्नगत परियोजना प्राक्कलन स्वीकृत होने के उपरान्त वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर नहर बन्दी अवधि में मरम्मत/पुनर्निर्माण का कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के वि0 स0 क्षेत्र नगर पंचायत, केराकत में स्ट्रीट रोड लाइट, नाली निर्माण के सम्बन्ध में

65-श्री दिनेश चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत की नगर पंचायत केराकत में स्ट्रीट/रोड लाइट, नाली निर्माण आदि कार्यों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र क-6 नं0-008274 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

जिलाधिकारी, जौनपुर से आख्या/आगणन सहित प्रस्ताव मांगा गया है। आगणन प्राप्त होने पर यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के अवर अभियन्ता द्वारा सुल्तानपुर सामान्तर शाखा के सुरापुर से शाहगंज तक पैराफेट का निर्माण कराने में हुई अनियमितता व पत्र संख्या क-008929, दिनांक 20.12.2018 पर कार्रवाई के सम्बन्ध में

66-श्री दिनेश चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में सुल्तानपुर सामान्तर शाखा के सुरापुर से शाहगंज तक पैराफेट का निर्माण कार्य में की गई अनियमितता की जांच कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र क-6 नं0-008929, दिनांक 20-12-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

शासन के पत्र संख्या 129/19-27-सिं0-7-23(29)/2018, दिनांक 04.02.2019 द्वारा श्री सुजीत कुमार, अवर अभियन्ता के विरुद्ध सुल्तानपुर सामान्तर शाखा के सुरापुर से शाहगंज तक पैराफेट निर्माण कार्यों की टी0ए0सी0 जांच हेतु मुख्य प्राविधिक परीक्षक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को आदेशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

67-श्री वीर विक्रम सिंह, ''प्रिंस''-

[01ले मंगलवार के अता0प्र0सं0-68 के अन्तर्गत स्थानानतरित]

बभनान चीनी मिल द्वारा मिल का कचरा फैलाकर प्रदूषण फैलाने के सम्बन्ध में

68-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बभनान चीनी मिल द्वारा मिल का कचरा खुले में डालकर प्रदूषण फैलाने के कारण बाजार के लोग परेशान हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्रवाई करेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

दिनांक 30.01.2019 को उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय एवं नगर पंचायत, बभनान के प्रतिनिधि द्वारा किये गये संयुक्त निरीक्षण में मै0 बभनान चीनी मिल्स का कचरा खुले में नहीं पाया गया।

जनपद कुशीनगर के वि0स0 क्षेत्र कुशीनगर के नगर पालिका परिषद्, कुशीनगर के प्रदूषित जल को ई0टी0पी0 प्लान्ट लगाकर सिंचाई योग्य बनाने के सम्बन्ध में

69-श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर की नगर पालिका परिषद् कुशीनगर का प्रदूषित जल इकट्ठा होकर भूमिगत जल को प्रदूषित कर रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदूषित जल हेतु ई0टी0पी0 प्लांट लगा कर जल को सिंचाई योग्य बना कर प्रभावित क्षेत्र को इस समस्या से निजात दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नगर पालिका परिषद्, कुशीनगर क्षेत्रान्तर्गत आवश्यकतानुसार जल निकासी की व्यवस्था की गयी है।

एस0टी0पी0 का निर्माण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पालिका परिषद्, कुशीनगर क्षेत्र में अभी एस0टी0पी0/ई0टी0पी0 प्लान्ट लगाये जाने की कार्य योजना विचाराधीन नहीं है।

जनपद अलीगंज के मिलों की क्षमता 1250 टीसीडी से 5000 टीसीडी करने एवं प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या क-6/116674, दिनांक 22.01.2019 पर कार्रवाई के सम्बन्ध में

70-श्री अनिल पाराशर-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिले मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के निकट साथ शुगर मिल के सुचारु संचालन एवं मिल की क्षमता 1250 टी0सी0डी0 से 5000 टी0सी0डी0 कर नई मिल स्थापना एवं उपलब्ध गन्ना का समायोजन करने की व्यवस्था करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क-6/116674 दिनांक 22-01-2019 प्रमुख सचिव गन्ना विकास उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्रवाई हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

जी हां।

चीनी मिल साथा के सुचारु संचालन हेतु प्रयास किये जा रहे हैं तथा चीनी मिल वर्तमान में पहले से ठीक चल रही है। चीनी मिल साथा की हानियां रु0 400.83 करोड़ नेटवर्थ ऋणात्मक होने के कारण 1250 टीसीडी से 5000 टीसीडी क्षमता विस्तार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। गन्ना आयुक्त के आदेश संख्या 533/सी/क्रय/2018-19/लखनऊ, दिनांक 29.01.2019 के अनुपालन में चीनी मिल समिति साथ के अटारी, कुराना, रामनगर, छज्जूपुर, नगला बिजना, महगौरा, सोफा, नगला जटान एवं दरगवां क्रय केन्द्रों का गन्ना सहकारी चीनी मिल, अनूपशहर को आवंटित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में निर्माणाधीन मेडिकल कालेज हेतु पैण्ड शोल्डर से प्रारम्भिक आगणन, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एवं प्रेषित पत्रांक संख्या ख-6 नं0 288993, दिनांक 09/08/2018 पर कार्रवाई के सम्बन्ध में

71-श्री मनीष असीजा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में निर्माणाधीन मेडिकल कालेज हेतु पैण्ड शोल्डर से प्रारम्भिक आगणन, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एवं धनावंटन हेतु अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित पत्रांक ख-6 नं0 288993 दिनांक 09-08-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

जनपद फिरोजाबाद में निर्माणाधीन मेडिकल कालेज हेतु फिरोजाबाद-जलेसर मार्ग पूर्व से ही दो लेन पर अवस्थित है एवं मार्ग की पी0सी0यू0 (5/2018) दो लेन पेव्ड शोल्डर हेतु निर्धारित मानकों से कम होने के कारण उक्त कार्य की स्वीकृति का औचित्य नहीं पाया गया।

उपर्युक्तानुसार।

[12.20]

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्‌गार

श्री अध्यक्ष-

लम्बे समय तक सदस्य रहने वाले, ऐसे कुछ पूर्व सदस्यों के निधन की सूचना प्राप्त हुई है। सदन स्वभाविक रूप से शोकाकुल है।

श्री चन्द्रप्रकाश त्रिवेदी इस सदन के भूतपूर्व सदस्य उनका 1 जनवरी, 2006 को निधन हुआ। श्री चन्द्र प्रकाश त्रिवेदी वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र रुदौली, जिला बाराबंकी से निर्दलीय सदस्य के रूप में विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे।

इसी प्रकार जौहरी लाल त्रिवेदी जी भूतपूर्व सदस्य का निधन 16 सितम्बर, 2017 हो गया श्री त्रिवेदी जी वर्ष 1977 में जनता पार्टी, 1985 में लोकदल व 1989 में जनता दल के टिकट पर, निर्वाचन क्षेत्र सरसौल,जिला कानपुर से इस सदन में निर्वाचित होकर आए थे।

इसी प्रकार भूतपूर्व सदस्य श्री भूपेन्द्र नाथ शर्मा का 3 नवम्बर, 2018 को निधन हो गया वह 1989 में जिला बरेली से निर्दलीय सदस्य के रूप में इस आदरणीय सदन के सदस्य निर्वाचित होकर आए थे।

इसी प्रकार भूतपूर्व सदस्य श्री बाबू लाल का निधन 2 जनवरी, 2019 को हो गया। श्री बाबू लाल वर्ष 1980 में निर्दलीय, वर्ष 1985 में कांग्रेस (आई0) तथा वर्ष 1989 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र, महोबा तत्कालीन जिला हमीरपुर से इस आदरणीय सदन के सदस्य रहे थे ।

इसी प्रकार श्री माइकल चन्द्रा का निधन 14 जनवरी, 2019 को हो गया श्री माइकल चन्द्र वर्ष 2012 में निर्वाचन क्षेत्र धनौरा जिला ज्योतिबाफुले नगर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर इस आदरणीय सदन के सदस्य निर्वाचित हुए थे।

इसी प्रकार श्री राजनाथ यादव का निधन 4 फरवरी, 2019 को हो गया श्री राजनाथ यादव जी वर्ष 2004 में निर्वाचन क्षेत्र सैदपुर, जिला वाराणसी से समाजवादी पार्टी के टिकट पर इस आदरणीय सदन के सदस्य निर्वाचित हुए थे।

मैं इन सभी भूतपूर्व सदस्यों के प्रति शोक व्यक्त करता हूं। पूरा सदन शोकाकुल है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि दो मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिए मौन खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष-

मैं इस सदन की भावनायें उनके परिजनों तक पहुंचा दूंगा।

श्री मनोज कुमार पारस-

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

[12.25]

औचित्य के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष-

पहले नियम-301 के बारे में बता दें। मा0 सदस्य श्री सुखदेव राजभर जी की नियम 300 की सूचना है। मा0 सदस्य क्या आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं?

नियम-301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना का उत्तर 90 दिनों के अन्दर सम्बन्धित सदस्यों को दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने नियम 300 की सूचना पिछले सत्र में भी दी थी। मैंने यह सूचना किसी शौक के लिए नहीं दी थी। इस बार मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने अपना उत्तर दिया है कि इनका व्यक्तिगत मामला रहा होगा और सभी सदस्यों को मिल चुका है। इसमें समय-समय पर आपके निर्देश हैं कि अगर किसी सदस्य ने नियम-301 की सूचना दी है और मा0 अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत हो गयी है, उसके 90 दिन के अन्दर मा0 सदस्य को उस विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है उनको सूचित किया जायेगा। अगर सूचित नहीं हो पाया है तो मा0 संसदीय कार्यमंत्री सभी मा0 सदस्यों की सूचनाओं को सूचीबद्ध करके सदन के पटल पर 90 दिन के बाद रखेंगे। आप निर्देश संख्या 14(3) देखें, उसमें आपके यहां तक निर्देश हैं कि उस अधिकारी के खिलाफ मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी दण्डात्मक कार्रवाई करेंगे या मा0 अध्यक्ष जब चाहें संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को समीक्षा करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। अभी फिर मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सबकी सूचनायें पहुंच गयी हैं। मैं वोटिंग नहीं कराना चाहता हूं, लेकिन मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी अब तक जो परम्परा रही है कि नियम-301 की जितनी सूचनायें होती हैं, सूचीबद्ध करके उत्तर में आप लिख दें कि सूचना प्राप्त या अप्राप्त। हम परम्परागत सभी संसदीय कार्यमंत्री सूचनाओं को सूचीबद्ध करके पटल पर रखते थे। कभी-कभी हम लोगों को पिजन होल में भी मिल जाता था, लेकिन अब तक देखा गया है कि नियम-301 की जितनी सूचनायें हैं, उनको संकलित करके प्राप्त या अप्राप्त कोई सूची पटल पर नहीं रखी गयी है। यहां तक 14(3) में मा0 अध्यक्ष जी के निर्देश हैं कि दण्डात्मक कार्रवाई हो और अधिकारियों की मीटिंग बुलाई जाए। आज मैं सदन में इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि अधिकारियों ने प्रश्नों के बारे में, सूचनाओं के बारे में पूरा का पूरा हम लोगों को हंसी का पात्र बना दिया है। प्रश्नों का जो उत्तर आ रहा है मा0 मंत्री जी कस्टोडियन बनकर खड़े होते हैं, जो भी उलटा-सीधा जवाब दे दिया जाता है। मा0 मंत्री जी की बाध्यता है कि मैं अपने अधिकारी का संरक्षण करें या कितना लड़ सके कि इस अधिकारी को बचा लूं। नियम-301 में भी वही है, सूचनायें इतनी महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन आज अधिकारी लापरवाही कर रहा है। मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी बता दें कि अब तक आपने कोई सूचनायें सूचीबद्ध करके प्राप्त हुई हैं या अप्राप्त हुई हैं या विभाग द्वारा सूचनायें प्राप्त हुई हैं, कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। आप बता दें कि आपने सदन के पटल पर रखी हैं। मैं आलोचनात्मक

नहीं कह रहा हूं। यह संसदीय परम्परा रही है और कभी-कभी मा0 अध्यक्ष जी विभागावार अधिकारियों की मीटिंग बुलाते थे कि आपने इन सूचनाओं का जवाब नहीं दिया है और कोई कार्रवाई नहीं की है, इसलिए मैं इस पर दण्डात्मक कार्रवाई करूंगा, यह निर्देश संख्या 14(3) में निर्देश हैं, इसलिए मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी इसको गम्भीरता से लें। सूचनाओं की ग्रेविटी को बढ़ायें, इसका महत्व बढ़ायें। पहले विधान सभा में एक प्रश्न लगता था तो पूरे जिले के अधिकारी थर-थर कांपते थे और आज तो अधिकारी दिन भर सोते रहेंगे और रात में उलटा-सीधा जवाब बनाकर भेज देंगे और मा0 मंत्री उसके लिए लड़ते-झगड़ते हैं, जवाब देते हैं, मा0 अध्यक्ष जी भी थोड़ी मदद कर देते हैं। इसको आप गम्भीरता से लें। यह ब्यूरोक्रेसी आज डेमोक्रेसी को रद्द करना चाहती है, इस गरिमा, को सूचनाओं को प्रश्नों का मजाक बनाकर भेज रहे हैं। अधिकारी बोलते हैं कि ऐसे प्रश्न तो बहुत आते हैं, ऐसी सूचनायें तो बहुत सी लगती हैं। हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। आप इस बोली को बन्द करवाइये और जिन लोगों ने जवाब नहीं दिया है, घोषणा करें कि मैं उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई करूंगा।

श्री सुखदेव राजभर-

तब जाकर सदन की ग्रेविटी बढ़ेगी, सदन की सूचनाओं का माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशों का तब महत्व बढ़ेगा मुझे इतना ही कहना है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें एक सप्ताह का समय होता है उत्तर का।

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)**-

माननीय अध्यक्ष जी माननीय राजभर जी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं आपकी पीठ पर भी विद्यमान रह चुके हैं उनका व्यक्तिगत रूप से भी मैं सम्मान करता हूं। उनकी बात को यथावत ऐसे ही स्वीकार करता हूं। लेकिन मेरे पास लिखित सूचना है कि सदन 22 तक समाप्त हुआ 22 के पहले 20 तारीख को 20.12.2018 को सदन की जितनी भी सूचनाएं पहले से लम्बित थीं वह पटल पर रख दी गईं और जहॉ तक इस सत्र का सवाल है आपने जिस बात को कोड किया उस निदेश में स्पष्ट रूप से दिया है अगर आप अनुमति दें तो पढ़ दें यह निदेश संख्या 14-3 है जिसमें है कि प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ होने के एक सप्ताह के अन्दर संसदीय कार्यमंत्री द्वारा एक सूची सदन के पटल पर रखी जाएगी। जिसमें पिछले सत्र में सदन के संज्ञान में लायी गई सूचनाओं पर शासन द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण होगा मेरा अनुरोध है कि जो अभी समय सीमा है वह हमारे पास है फिर भी माननीय सदस्य की भावना का सम्मान करते हुए जितना जल्दी हो सकेगा उसको उपलब्ध करा देंगे और किसी भी ऐसे अधिकारी को जो लाइन पर नहीं है जो नियमों के खिलाफ चलता है उसके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। पिछली बार भी दो लोगों को चेतावनी दी गई हम सम्बंधित विभाग को लिखते हैं जिस सम्बंधित विभाग ने दिया। साथ ही साथ मैं एक बात की जानकारी और दे दूँ कि प्रश्नों के उत्तर के बारे में आपने कहा हम जो भी प्रश्न हम लोग अनुमोदित करते हैं उसे बाकायदा पढ़कर ही करते हैं। क्योंकि कभी कभी टाइप की मिस्टेक भी होती है संख्या की मिस्टेक होती है तारीख की मिस्टेक होती है यह हो जाता है इसलिए बिना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पढ़े नहीं करते और अक्सर अगर आप हमारी फाइल देखेंगे तो उसमें बाकायदा इस बात के लिए क्वैरी भी होती है और नोट शीट के ऊपर लिखते भी हैं कि इसकी पुनरावृत्ति न होने पाए। फिर भी माननीय सदस्य वरिष्ठ सदस्य हैं हम उनकी भावना का सम्मान करते हैं और समय से पहले इसको रखवा दी जाएगी।

श्री रितेश पाण्डेय-

मान्यवर, नियम 300 की सूचना मैंने दी थी

श्री अध्यक्ष-

मेरे पास नियम 300 की एक सूचना केवल राजभर जी की प्राप्त हुई थी।

श्री मनोज पारस-

मान्यवर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

[12.33]

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

मैं नियम-301 की सूचनाएं ले रहा हूं।

आज नियम-301 के अन्तर्गत कुल 34 सूचनायें प्राप्त हुई। जिसमें 20 माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयी।

पहली सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर के गांगनौली के बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल प्रा0 लि0 द्वारा किसानों का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर में जीर्ण-शीर्ण अतिथि गृह को लो0नि0वि0 द्वारा पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री बृजेश कुमार प्रजापति की जनपद बांदा में खाद्य एवं रसद विभाग के अधीन संभागीय खाद्य नियंत्रक एन0एफ0एस0ए0 योजना में हो रही अनियमितता के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना डा0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के कतिपय पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री विनोद कुमार कटियार की जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर अन्तर्गत भोगनीपुर एवं बहेड़ी में शवदाह केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद के अन्तर्गत कतिपय मार्गों की मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री अमिताभ बाजपेयी की कृषि उत्पादन शुल्क समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्रीमती जयदेवी की उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के अन्तर्गत सभी ग्राम पंचायतों, न्याय पंचायतों एवं विकास खण्डों में शवदाह केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री लालजी वर्मा की जनपद अम्बेडकर नगर अन्तर्गत अकबरपुर-इल्तिफातगंज मार्ग की मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री सुखदेव राजभर की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज अन्तर्गत ग्राम आमगांव से अरनौला तक मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकर नगर के विकास

खण्ड अकबरपुर अन्तर्गत ग्राम सभा सैदापुर सम्मनपुर से मोहिउद्दीनपुर दलित बस्ती तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री रितेश पाण्डेय की जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड जलालपुर अन्तर्गत मालीपुर रेलवे स्टेशन से जलालपुर कस्बा तक मार्ग का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री अजय कुमार 'लल्लू' की जनपद कुशीनगर के यू0 पी0 शुगर कम्पनी लिमिटेड, सेवरही में कार्यरत दैनिक मजदूरों का बोनस एवं मजदूरी में की गयी कटौती बहाल कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री प्रमोद उटवाल की जनपद मुज्जफरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी अन्तर्गत ग्राम दतियाना कच्चा नाला को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री उज्जवलरमण सिंह की जनपद प्रयागराज के अन्तर्गत ग्राम खजुरी कलां, तहसील कोरांव की द्वितीय चक्र की त्रुटिपूर्ण चकबन्दी वर्ष 2013 प्रथम चक्र 1977-78 के बन्दोबस्ती भूचित्र पर न होने के कारण चकबन्दी निरस्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री धनन्जय कनौजिया की जनपद बलिया के तहसील बेल्थरा रोड अन्तर्गत थाने एवं पुलिस चौकी को सुचारु रूप से चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री नफीस अहमद की जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महराजगंज में ग्राम सभा नेतानगरी, तहसील सगड़ी में पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद में सफेद मिट्टी का तेल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा बीसवीं सूचना श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी की जनपद बांदा में चीनी मिल की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयी।)

निम्न माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार कर दी गयी।

क्रम सं0	नाम	क्रम सं0	नाम
1	डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल	8	श्री मसूद अख्तर
2	श्री प्रभात कुमार वर्मा	9	श्री संजय प्रताप जायसवाल
3	श्री जवाहर लाल राजपूत	10	श्री आजाद अरिमर्दन
4	श्री रवीन्द्र जायसवाल	11	श्री हाकिम लाल बिन्द
5	श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिन्स'	12	श्री शाहआलम उर्फ गुड्डू जमाली
6	श्री प्रेम सागर पटेल	13	श्री उमाशंकर सिंह तथा
7	श्री बम्बा लाल	14	श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया

जनपद सहारनपुर के गांगनौली के बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किसानों का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र कुमार निम-

[महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र में बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल प्रा0 लि0, गांगनौली, जनपद सहारनपुर पर गन्ना किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है। गन्ना किसानों द्वारा अपने गन्ने का भुगतान किये जाने हेतु काफी समय से मांग की जा रही है, परन्तु इस मिल द्वारा अभी तक भुगतान नहीं किया जा रहा है। इससे किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। जबकि सरकार द्वारा गन्ना का भुगतान सही समय पर कराने के निर्देश दिये गये हैं, परन्तु इस मिल के मनमानी रवैये से किसान परेशान और आन्दोलित हैं। यदि समय पर गन्ना का भुगतान नहीं कराया गया तो किसानों के उग्र रूप को देखते हुए कोई अप्रिय घटना भी घट सकती है। किसानों के गन्ने का भुगतान अविलम्ब कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शीघ्र गन्ना भुगतान कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर में जीर्ण-शीर्ण अतिथि गृह को लोक निर्माण विभाग द्वारा पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[महोदय, जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत नगर बीसलपुर एवं नगर विलसण्डा में लोक निर्माण विभाग का अधीनस्थ एक-एक अतिथिगृह है जिनसे सम्बद्ध लगभग 1.50-1.50 एकड़ भूमियां हैं तथा यह अतिथिगृह अर्न्तजनपदीय मार्गों पर है जहां से सामान्यतः ठहरने वालों की अधिकाधिक संख्या रहती है। जिसमें निर्मित भवन अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण एवं ठहरने की स्थिति में नहीं है। इन निरीक्षण भवनों की भूमियों पर अतिक्रमण भी किये जाने की सम्भावनायें हैं। इन दोनों अतिथिगृहों के पुनर्निर्माण की नितान्त आवश्यकता है। इनके पुनर्निर्माण की कार्रवाई विभाग द्वारा बार-बार की गयी है परन्तु वित्तीय संसाधन का अभाव कहकर पुनर्निर्माण सम्भव नहीं हो सका है। इन निरीक्षण भवनों के पुनर्निर्माण हेतु बार-बार प्राक्कलन भी तैयार किया जाता रहा है परन्तु उपयुक्त विचारण नहीं किया गया है। दोनों निरीक्षण भवनों का पुनर्निर्माण होना नितान्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन में चर्चा करायी जाये तथा उक्त उल्लिखित दोनों निरीक्षण भवनों के पुनर्निर्माण हेतु प्रभावी कार्रवाई की जाये।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बांदा में खाद्य एवं रसद विभाग के अधीन संभागीय खाद्य नियंत्रक एन0एफ0एस0ए0 योजना में हो रही अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से नियम-301 के अन्तर्गत लोकमहत्व के निम्न विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। खाद्य एवं रसद विभाग के अधीन संभागीय खाद्य नियंत्रक, चित्रकूटधाम, संभाग, बांदा में गत दिनांक 15/11/2018 को एन0एफ0एस0ए0 योजना अन्तर्गत हैंडलिंग/परिवहन कार्य की निविदाओं में भारी अनियमितता कर संभागीय खाद्य नियंत्रक व संभागीय विपणन अधिकारी द्वारा जमानत धनराशि का 7.5 प्रतिशत न लेकर 100 रुपये के स्टाम्प में अनुबन्ध कर लाखों रुपये के सरकारी राजस्व को क्षति पहुंचाई गयी है। जिनमें क्रमशः जनपद हमीरपुर में नियुक्ति आदेश सं0 1744, दिनांक 14/12/2018 के 04 ब्लाक/केन्द्र में जमानत राशि रु0 1751000/-, जनपद बांदा में नियुक्ति आदेश सं0 1738, दि0 13/12/2018 में 05 ब्लाक/केन्द्र जमानत राशि रु0 2101700/-, जनपद महोबा के 05 ब्लाक/केन्द्र नियुक्ति आदेश सं0 1816, दिनांक 22/12/2018 में कुल जमानत राशि रु0 1273100/-, के सापेक्ष निर्धारित जमानत स्टाम्प न लेकर मात्र 100 रुपये के स्टाम्प में अनुबन्ध जारी किये गये हैं। मेरी जानकारी के अनुसार की गयी टेंडर प्रक्रिया में कुल जमानत राशि पर 7.5 फीसदी स्टाम्प अनुबंध में लिये जाते हैं। ऐसी स्थिति में तीनों जनपदों की नियुक्तियों मे तकरीबन 3 लाख 84 हजार 236 रुपये के स्टाम्प चोरी कर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त दोनों अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के कतिपय पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 श्याम बिहारी लाल-

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एवं अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

जिला बरेली के विधान सभा क्षेत्र 122, फरीदपुर के अन्तर्गत निम्नलिखित पुलों का निर्माण जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। क्षेत्र की जनता को कई कि0मी0 घूमकर जाना पड़ता है। उक्त पुल निम्नवत हैं :-

1-ग्राम मिर्जापुर से सिमरा केशोपुर कैलाश नदी का पुल।

2-ग्राम नगरियाकला से शेरा बछलिया मार्ग (जनपद बदायूं) पर रामगंगा नदी का पुल।

3-हसनापुर से टिसुआ पर कैलाश नदी का पुल।

नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर अन्तर्गत भोगनीपुर एवं बहेड़ी में शवदाह केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनोद कुमार कटियार-

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर के ब्लाक अमरौधा के अन्तर्गत भोगनीपुर एवं बहेड़ी में कोई शवदाह केन्द्र नहीं बने होने के कारण क्षेत्रीय जनता को अपने परिजनों का शवदाह करने में अत्यधिक परेशानी होती है। क्षेत्रीय जनता का स्थानीय प्रशासन से बराबर मांग रही है कि उक्त स्थानों पर शवदाह केन्द्रों का निर्माण कराया जाय, परन्तु काफी समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त अभी तक उपरोक्त स्थानों शवदाह केन्द्र का निर्माण नहीं हो सका है, क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से उपरोक्त स्थानों पर शवदाह केन्द्रों का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद के अन्तर्गत कतिपय मार्गों की मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जनपद सीतापुर के महमूदाबाद में 1-महमूदाबाद-भगौली-बाराबंकी मार्ग, 2-महमूदाबाद-पैतेपुर-मीरा नगर-बेलहरा मार्ग, 3-गोडैचा-सदरपुर-विसवा मार्ग, 4-मरखानपुर गन्ना क्रय केन्द्र से पोखरा कलां देवियापुर मार्ग काफी जर्जर व कम चौड़ा है। उपरोक्त मार्गों पर ट्राफिक बहुत ज्यादा है। जिससे लोगों का आना-जाना कठिन हो जाता है। जनहित की समस्या को देखते हुए उपरोक्त मार्गों का चौड़ीकरण और उच्चीकरण कराया जाना अतिआवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त सड़क का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण का कार्य कराये जाने हेतु सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

कृषि उत्पादन मण्डी शुल्क समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमिताभ बाजपेयी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत स्व0 चौधरी चरण सिंह जी ने वर्ष 1984 में कृषि उत्पादन मण्डी शुल्क की स्थापना इस भावना से की थी कि उत्तर प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का मूल्य मिल सके तथा बिचौलियों को इससे दूर रखा जाय, लेकिन उनकी भावना को साकार नहीं होने दिया जा रहा है उसका मण्डी शुल्क समाप्त किया जाना आवश्यक है। सुपारी, जीरा जो उत्तर प्रदेश की उत्पादित वस्तु नहीं है सुपारी आसाम, बंगाल, कर्नाटका, केरल

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आदि देशों से आता है उसे भी मण्डी शुल्क समाप्त किया जाना आवश्यक है। लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2018 की अधिसूचना संख्या 17/2018/698/80-1-2018-600(3)/211 टीसी, दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 को सुपारी पर 1 प्रतिशत मण्डी शुल्क एवं 5 प्रतिशत विकास सेस निर्धारित किया गया है। जिसको विभाग द्वारा व्यापारियों से जबरन वसूली की जा रही है। जनहित से जुड़ा हुआ विषय है और लोक महत्व का है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण पर सदन का ध्यान किये जाने की मांग करता हूं।]

उ0 प्र0 के सभी जनपदों के अन्तर्गत सभी ग्राम पंचायतों, न्याय पंचायतों एवं विकास खण्डों में शवदाह केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती जयदेवी -

[महोदय, सदन के माध्यम से अनुरोध करना है कि उ0 प्र0 के समस्त जनपदों के अन्तर्गत सभी ग्राम पंचायतों, न्याय पंचायतों तथा विकास खण्ड में हिन्दू समाज के लिए कोई भी श्मशान घाट सुरक्षित नहीं है, जिसके कारण गरीब, असहाय व भूमिहीन लोगों को शवों के अन्तिम संस्कार करने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न को सदन में उठाते हुए अनुरोध करना है कि उ0 प्र0 के समस्त जनपदों की ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, विकास खण्डों में ग्राम पंचायत की सुरक्षित भूमि में श्मशान घाट बनवाये जाने की मांग करती हूं।]

जनपद अम्बेडकरनगर अन्तर्गत अकबरपुर-इल्तिफातगंज मार्ग की मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लालजी वर्मा-

[महोदय, अकबरपुर-इल्तिफातगंज मार्ग, जिला अम्बेडकरनगर का प्रमुख मार्ग है, प्रतिदिन उक्त मार्ग से हजारों ट्रक, जीप तथा अन्य साधन आते-जाते हैं। उक्त मार्ग की चौड़ाई मात्र 3 मीटर लेपित है तथा जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो गयी है। जिसके कारण आम जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए उक्त मार्ग को लोक निर्माण विभाग द्वारा 7 मीटर चौड़ा हाट मिक्स के द्वारा बनाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज अन्तर्गत ग्राम आमगांव से अरनौला तक मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखदेव राजभर-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा दीदारगंज, आजमगढ़ में दीदारगंज थाने से आमगांव होते हुए का ग्राम अरनौला तक का मार्ग काफी क्षतिग्रस्त हो गया है। जबकि इस मार्ग से तमाम जनता का आना-जाना रहता है तथा इसका महत्व और हो जाता है कि जौनपुर सीमा को जोड़ता है, कई बार इस मार्ग का निर्माण एवं

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मरम्मत किये जाने हेतु जनता ने मांग की परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज आवागमन दुर्लभ हो गया है। क्षेत्रीय जनता में काफी असंतोष व्याप्त है। जनता किसी भी समय आन्दोलित हो सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करता हूं।]

जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड अकबरपुर अन्तर्गत ग्राम सभा सैदापुर, सम्मनपुर से मोहिउद्दीन दलित बस्ती तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम अचल राजभर-

[महोदय, जिला अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र 281, अकबरपुर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा सैदापुर-सम्मनपुर मार्ग पर गयादीन बालिका विद्यालय के पश्चिम सड़क से मोहिउद्दीनपुर दलित बस्ती तक (ल0 लगभग 1.0 कि0मी0) तक की सड़क अत्यन्त जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है। जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त जर्जर मार्ग का पिच निर्माण कराये जाने हेतु कई बार अनुरोध किया गया है परन्तु अभी तक क्षतिग्रस्त जर्जर सड़क का पिच निर्माण नहीं हो सका है, जिससे क्षेत्रीय जनमानस में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।]

जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड जलालपुर अन्तर्गत मालीपुर रेलवे स्टेशन से जलालपुर कस्बा तक मार्ग का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रितेश पाण्डेय-

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

अवगत कराना है कि जनपद अम्बेडकर नगर के जलालपुर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड जलालपुर के अन्तर्गत मालीपुर रेलवे स्टेशन से जलालपुर कस्बा तक मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे आवागमन हेतु बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता को प्रदेश के बाहर एवं अन्य जनपदों में जाने के लिए मालीपुर रेलवे स्टेशन एवं सड़क मार्ग के लिए भी मालीपुर ही मुख्य केन्द्र है। उक्त मार्ग पर भारी यातायात का दबाव बना रहता है। उक्त मार्ग के निर्माण कार्य हेतु अनेकों बार सम्बन्धित विभाग को अवगत कराया गया, लेकिन अधिकारियों के उदासीनता के चलते अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिससे क्षेत्रीय जनता/किसानों का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है। स्थिति विस्फोटक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद शाजहांपुर के 133, तिलहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जनहित में पक्के जर्जर एवं गड्ढायुक्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में मार्ग निम्नवत है :-

1-ग्राम गुरगवां से पराझरसा होते हुए बरैंचा तक मरम्मत ल0 लगभग 7 कि0मी0, विकास खण्ड निगोही।

2-ग्राम महाऊदुर्ग से जलालाबाद तक मरम्मत ल0 लगभग 1.5 कि0मी0, विकास खण्ड सिंधौली।

3-ग्राम बड़ागांव से रहदेवा तक मरम्मत ल0 लगभग 4 कि0मी0, विकास खण्ड पुवायां।

4-ग्राम मुड़िया पमार से पिपरिया दास तक मरम्मत ल0 लगभग 5 कि0मी0, विकास खण्ड सिंधौली।

5-रेलवे फाटक गुलचम्पा से हाजीपुर तक मरम्मत ल0 लगभग 2 कि0मी0, विकास खण्ड तिलहर।

6-नेशनल हाईवे दोदराजपुर से कुआडांडा तक मरम्मत ल0 लगभग 3 कि0मी0, विकास खण्ड तिलहर।

7-ग्राम डभौरा तिराहे से समधाना चौराहे तक मरम्मत ल0 लगभग 2 कि0मी0, विकास खण्ड तिलहर।

8-ग्राम समधाना से संतोषपुर तक मरम्मत ल0 लगभग 2 कि0मी0, विकास खण्ड तिलहर।

9-नेशनल हाईवे से ग्राम धनेला तक मरम्मत ल0 लगभग 1.5 कि0मी0, विकास खण्ड तिलहर।

10-शाहजहांपुर निगोही स्टेट हाईवे से अरेली नहर पटरी पर कटिया बुजुर्ग तक मरम्मत ल0 लगभग 5 कि0मी0, विकास खण्ड निगोही।

11-ग्राम भूड़खेडा चौराहे से पुवायां तक मरम्मत ल0 लगभग 6 कि0मी0, विकास खण्ड पुवायां।

12-ग्राम कोरोकुइंया नहर पुल से रेहरिया पुल तक मरम्मत ल0 लगभग 3 कि0मी0, विकास खण्ड सिंधौली।

13-ग्राम सतनुआ तिराहे से भटपुरा तक मरम्मत ल0 लगभग 1.5 कि0मी0, विकास खण्ड निगोही।

14-ग्राम चमरुआ से बरौरा तक मरम्मत ल0 लगभग 1.5 कि0मी0, विकास खण्ड निगोही।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

15-ग्राम खेरासंडा से गंगाजमुनी होते हुए भर्री बसन्तपुर तिराहे तक मरम्मत ल0 लगभग 3 कि0मी0, विकास खण्ड निगोही।

उपरोक्त मार्गों के संबंध में मेरे द्वारा एवं क्षेत्रीय जनता द्वारा अनेकों बार लिखित एवं मौखिक शिकायत करने के बाद भी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी। जनहित में उपरोक्त मार्गों का बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई कराने की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के यू0 पी0 शुगर कम्पनी लिमिटेड, सेवरही में कार्यरत दैनिक मजदूरों का बोनस एवं मजदूरी में की गयी कटौती बहाल कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

[महोदय, जनहित एवं लोकमहत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर में दी यू0 पी0 शुगर कम्पनी लि0, सेवरही, जनपद कुशीनगर में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवा पेराई सत्र प्रारम्भ होने से पेराई कार्य बन्द होने तक ली जाती है। पेराई सत्र 2015 तक उक्त सभी दैनिक मजदूरों को रेगुलर कर्मचारियों के समान ही वेतन, अवकाश, बोनस एवं अन्य भत्ते व सुविधायें मिलती थी। परन्तु 2016 से नये प्रबन्धक के आ जाने पर दैनिक मजदूरों की उपरोक्त सभी सुविधायें व भत्ते बन्द कर दिये गये तथा दैनिक वेतन में भी प्रतिमाह कटौती कर दिया जाने लगा जिससे मिल के दैनिक मजदूरों में भारी असंतोष व आक्रोश व्याप्त है। प्राथमिकता के आधार पर सेवरही चीनी मिल के दैनिक मजदूरों का बोनस एवं मजदूरी में की गयी कटौती बहाल किये जाने व उन्हें मिल में कार्यरत नियमित कर्मचारियों के समान भत्ते, अवकाश एवं अन्य सुविधायें दिलाये जाने हेतु निर्देशित किया जाना है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल सेवरही चीनी मिल के दैनिक मजदूरों की मांगों को स्वीकार किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी अन्तर्गत ग्राम दतियाना कच्चा नाला को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रमोद उटवाल-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के अन्तर्गत गांव दतियांना में कच्चा नाला जिसकी लम्बाई लगभग 1.50 कि0मी0 है। उक्त नाले की चौड़ाई लगभग 10 फीट है तथा खुला नाला होने के कारण सदैव बच्चों के नाले में गिरने का भी डर बना रहता है तथा गांव में बीमारी फैलने का भय बना रहता है। उक्त नाले को पक्का करना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद प्रयागराज के अन्तर्गत ग्राम खजुरी कलां, तहसील कोरांव की द्वितीय चक्र की त्रुटिपूर्ण चकबन्दी वर्ष 2013 प्रथम चक्र 1977-78 के बन्दोबस्ती भूचित्र पर न होने के कारण चकबन्दी निरस्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उज्जवल रमण सिंह-

[महोदय, आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि प्रयागराज के अन्तर्गत ग्राम खजुरी कलां, तहसील कोरांव की द्वितीय चक्र की त्रुटिपूर्ण चकबन्दी वर्ष 2013 प्रथम चक्र चकबन्दी वर्ष 1977-78 के बन्दोबस्ती भूचित्र पर न होने के कारण ग्राम के कास्तकारों में काफी रोष एवं विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

मौजा खजुरी कलां में चकबन्दी प्रक्रिया जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-4क(1) के प्रकाशन के साथ शुरू हुई और प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण आकार पत्र 23 पर पूर्ण कर धारा-52(1) का प्रकाशन आनन-फानन में दिनांक 24.08.2013 को कर दिया गया है। त्रुटिपूर्ण पुष्टिकृत भूचित्र अ0प0 23 (चकमैप) होने के कारण समस्त अभिलेख त्रुटिपूर्ण है। जिसकी पुष्टि काश्तकारों की शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 08.09.2014 के द्वारा आहूत जांच आख्याओं से हो गया है। किन्तु बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, प्रयागराज द्वारा अधिकारियों एवं सरकार को गुमराह करने, आधारहीन तथा भ्रामक आख्या प्रेषित करते रहे। जबकि चकबन्दी विभाग के मुख्य अनुरेखक की आख्या दिनांक 07.04.2015 और आयतीकरण अधिकारी की आख्या दिनांक 27.05.16 के आधार पर बन्दोबस्ती अधिकारी, चकबन्दी की संस्तुति पर जिलाधिकारी, प्रयागराज द्वारा आदेश दिनांक 16.07.16 द्वारा बन्दोबस्ती भूचित्र 2013 धारा 52 के प्रकाशन के बाद भी निरस्त कर दिया संशोधित भूचित्र 2013 तैयार कराया गया इसके बाद आकार पत्र 23 संशोधित बन्दोबस्ती भूचित्र 2013 स्थल एवं खतौनी के रकबों में मेल नहीं खाता है। लेखपाल राजस्व विभाग एवं राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक 18.12.17 एवं 30.06.18 से स्पष्ट हो गया है कि पूरी चकबन्दी प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है। लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक की संयुक्त आख्याओं को आधार मानते हुए तहसीलदार, कोरांव ने अपनी संस्तुति में स्पष्ट किया है कि शिकायतकर्ता की शिकायत सत्य है। अभिलेख त्रुटिपूर्ण है। जिससे सरकारी सम्पत्तियों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। चकबन्दी निरस्तीकरण अथवा संशोधन हेतु आख्या सेवा में प्रेषित है। तहसीलदार, कोरांव की आख्या दिनांक 07.07.2018 को आधार मानते हुए उप जिलाधिकारी, कोरांव ने अपनी आख्या दिनांक 16.07.18 को जिलाधिकारी, प्रयागराज को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। किन्तु चकबन्दी निरस्त नहीं हुई। इसके बाद भी बन्दोबस्त अधिकारी, प्रयागराज की आख्या तथ्यहीन, आधारहीन एवं भ्रामक होने के कारण यदि आवश्यक हो तो राजस्व विभाग से पुनः आख्या आहूत कर चकबन्दी निरस्त करने का कष्ट करें। चूंकि चकबन्दी का आधार आकार पत्र 23 पुष्टिकृत भूचित्र होता है। उसी से समस्त अभिलेख तैयार किया जाता है। जबकि आकार पत्र 23 ही त्रुटिपूर्ण है तो अभी तक चकबन्दी निरस्त क्यों नहीं किया गया है।

उक्त प्रश्नगत प्रकरण की कई शिकायतें ग्राम के काश्तकारों की ओर से की गई एवं ग्रामवासियों में काफी रोष है। कार्रवाई न होने से सरकार की छवि धूमिल हो रही है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बलिया के तहसील बेल्थरा रोड अन्तर्गत थाने एवं पुलिस चौकी को सुचारु रूप से चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धनन्जय कनौजिया-

[अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 357, बेल्थरा रोड, जनपद बलिया के अन्तर्गत बेल्थरा रोड तहसील जोकि 1995 से क्रियान्वित है, जोकि बलिया जिले के आखिरी छोर पर स्थित है और देवरिया एवं मऊ जिलों को जोड़ता है। यहां पर तीन जनपदों की सीमाओं पर स्थित होने से कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर सी0ओ0 सर्कल के रूप में स्थापित किया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है, जिसके अन्तर्गत 3 थाने एवं 2 पुलिस चौकी को सुचारु रूप से संचालित किया जा सके।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महराजगंज में ग्राम सभा नेतानगरी, तहसील सगड़ी में पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नफीस अहमद-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम सभा नेतानगरी, विकास खण्ड महराजगंज में नेता नगर सम्पर्क मार्ग पर पुलिया के न होने से समस्त ग्रामवासियों को गांव से बाहर स्कूली बच्चों व गर्भवती महिलाओं व मरीजों को आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और लोक महत्व का है। क्षेत्रीय जनता द्वारा बार-बार मांग की जा रही है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए पुलिया का निर्माण कराये जाने की मांग सरकार से करता हूं।]

जनपद फिरोजाबाद में सफेद मिट्टी का तेल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष असीजा-

[नगर फिरोजाबाद में लम्बे समय से कांच चूड़ी के उत्पादन का व्यापार परम्परागत रूप से किया जाता है। विश्व प्रसिद्ध कांच चूड़ी निर्माण में मिट्टी के तेल (केरोसिन आयल) का अनिवार्यता से प्रयोग होता है। कैरोसिन आयल की आपूर्ति नगर फिरोजाबाद में वैधानिक ढंग से नहीं होने के कारण कांच चूड़ी उद्योग से जुड़े निर्माता/व्यापारी/श्रमिक मजबूरीवश इसे खुले बाजार से कालाबाजारियों से लेने को बाध्य होते हैं।

बिना केरोसिन आयल (मिट्टी के तेल) के कांच चूड़ी की जुड़ाई नहीं हो सकती है एवं व्यावसायिक रूप से सफेद मिट्टी के तेल की उपलब्धता न होने के कारण चाहे-अनचाहे कांच चूड़ी उद्योग में संलिप्त लाखों मेहनतकश चूड़ी जुड़ाई श्रमिक (जुड़ैय्या) विधि विरुद्ध परिस्थितियों में घिर जाते हैं। पूर्व में मेरे द्वारा लगातार शासन में पैरवी करने के चलते राज्य सरकार द्वारा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सफेद मिट्टी के तेल के विपणन/विक्रय हेतु उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को नोडल एजेंसी नामित करते हुए मैसर्स सौरभ पेट्रो इण्डिया प्रा0 लि0, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा जनपद फिरोजाबाद में आपूर्ति के लिए भेजे सफेद मिट्टी के तेल को कालाबाजारी में बेच दिया गया एवं इस मामले की शिकायत होने पर शासन ने संज्ञान लेते हुए मैसर्स सौरभ पेट्रो इण्डिया प्रा0 लि0 के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कार्य कराने का अनुमोदन निरस्त कर दिया।

तभी से फिर पुरानी स्थिति बन जाने के कारण फिरोजाबाद में कांच चूड़ी निर्माता/व्यापारी चूड़ी जुड़ाई मजदूर बेहद असुविधा का सामना करने को मजबूर हो गया है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल प्रभाव से नगर फिरोजाबाद के कांच चूड़ी उद्योग के लिए ''सफेद मिट्टी का तेल'' की उपलब्धता कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद बांदा में चीनी मिल की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी-

[महोदय, कृपया मैं आपका ध्यान उपरोक्त अति लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

महोदय, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि बांदा जिले में गन्ना कृषि योग्य तीन तहसीलों में जमीनें हैं जैसे अतर्रा, नरैनी, गिरवां, करतल, खुरहण्ड, बिसण्डा, महुआ आदि क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर धान की पैदावार भी होती है और व्यापक पैमाने पर इन क्षेत्रों में राइस मिलें भी स्थापित हैं, जिसका धान की पैदावार के सम्बन्ध में खाद्य एवं रसद विभाग से आंकड़ा भी प्राप्त किया जा सकता है।

महोदय, पूर्व में इन क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर गन्ना की खेती होती थी और कृषक गुड़ भी तैयार करते थे लेकिन अब वह लागत न निकलने के कारण कम हो गई है, यदि यहां पर सर्वे कराकर एक गन्ना/चीनी मिल की स्थापना हो जाये तो यहां का किसान खुशहाल व समृद्ध हो जायेगा।

विभिन्न किसानों के संगठन व जनपद के किसानों के द्वारा गन्ना/चीनी मिल स्थापित करने की मांग निरन्तर कई वर्षों से की जा रही है लेकिन पूर्व की सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया।

अतः मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जनपद बांदा में किसानों के व्यापक हितों/लाभ के दृष्टिगत एक गन्ना/चीनी मिल की स्थापना की जाये।]

(इसी मध्य सदस्य श्री मनोज कुमार पारस तथा श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव के अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर व्यवधान।)

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[12.36]

पांच करोड़ की विधायक निधि के अन्तर्गत विधायक द्वारा प्रस्ताव दिये जाने के दो माह उपरान्त भी स्टीमेट न बनाये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न

***श्री मनोज कुमार पारस**-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

अब व्यवस्था का प्रश्न किसलिये ? आज सभी लोगों को बोलना है इसलिये आप लोग एक मिनट कृपा कर दें। माननीय श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर आज विचार व्यक्त होने हैं। पहले भारतीय जनता पाटी के मा0 सदस्य..

श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, एक मिनट में मेरी बात सुन लें। आप हमें एक मिनट बोलने दें।

श्री अध्यक्ष-

आप मेरा वाक्य पूरा नहीं होने दे रहे हैं। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। आप जबरदस्ती कर रहे हैं।

श्री मनोज कुमार पारस-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

यह सदन बहुत कायदे से चल रहा है। सभी मा0 सदस्य बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। बहुत सुन्दर सदन चल रहा है तो उसमें बीच-बीच में उस विषय पर पहले ही अनावश्यक रूप से बहुत शोर हो चुका है। जो आपका विषय है उस पर पहले ही कह दिया कि नेताओं की बैठक में इस पर विचार व्यक्त करेंगे। मा0 नेता प्रतिपक्ष, राम गोविन्द जी विस्तार से उस पर बोल चुके हैं, सरकार बोल चुकी है तो उसमें अब और क्या जोड़ा जा सकता है और उस विषय पर कोई चर्चा भी नहीं हो रही है। हमनें कहा है कि नेताओं की बैठक में उस विषय पर बात करेंगे।

श्री मनोज कुमार पारस-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा विषय दूसरा है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव-

मान्यवर, आपके भी हस्ताक्षर हैं। यह मा0 विधायकों से जुड़ी समस्या है।

श्री अध्यक्ष-

आपसे मेरा बहुत आदरपूर्वक निवेदन है कि आप जो भी बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा। यह कार्रवाई का भाग नहीं होगा। हमारे कहीं हस्ताक्षर हैं, मा0 राम गोविन्द जी के कहीं हस्ताक्षर हैं, मा0 खन्ना जी के कहीं हस्ताक्षर हैं तो उन हस्ताक्षरों के आधार पर यहां नियम 300 में या कोई औचित्य का प्रश्न उठाया जायेगा, ऐसा कदाचित न परिपाटी है और न ही माना जाता है।

श्री मनोज कुमार पारस-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा विषय हम सभी विपक्ष के मा0 विधायकों से संबंधित है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

आप जनता से जुड़ी जो बहस है उस पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं।

श्री मनोज कुमार पारस-

मा0 अध्यक्ष जी, विपक्ष के मा0 विधायकों से जुड़ा हुआ मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने पिछली बार जो 05 करोड़ की घोषणा की थी।

श्री अध्यक्ष-

इस पर तो विस्तार से बात हो गई थी। अभी इस पर सब लोग बोले थे और मा0 राम गोविन्द जी भी बोले थे। मा0 राम गोविन्द जी के बोल देने का मतलब है कि विपक्ष की राय आ गयी है। अब इस पर आपको स्पेशली क्या बोलना है।

श्री मनोज कुमार पारस-

मान्यवर, अभी मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा कि कल प्रस्ताव के लिये मांग लिये गये थे। वह प्रस्ताव दिये हम लोगों को दो-दो महीने हो गये, लेकिन जिले में इस्टीमेट बनने के लिये भी हम लोगों के प्रस्ताव नहीं गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। यह पांच करोड़ वाली बात बहुत विस्तार से यहां आ गयी है। आपने इसे पुनः दोहराया, ठीक है। मैं इसको सुन रहा हूं और खारिज नहीं कर रहा हूं। अब आप बैठें।

(इस मध्य सदस्य श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव के अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर।)

श्री अध्यक्ष-

आपका विषय आ गया है।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, वह मकान के लिये नहीं कह रहे हैं, वह निधि के लिये कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आज निधि के लिये कौन सी आवश्यकता है। यह आज एजेण्डे पर कैसे आ गया।

श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, आप हमें सुन तो लें। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने समिति के गठन के लिये एक पत्र मा0 मुख्य मंत्री जी को लिखा है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप दोनों सदनों की एक कमेटी बनवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

आप अब बैठिये।

मद संख्या-08, मा0 श्री सुनील कुमार शर्मा जी प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

[12.36]

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री सुनील कुमार शर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि ''यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 05 फरवरी, 2019 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।''

मा0 अध्यक्ष जी, माननीय श्री राज्यपाल महोदय ने समवेत् दोनों सदनों को सम्बोधित करते हुए सरकार की नीतियों का जो उल्लेख किया है मैं उनका पुरजोर समर्थन करता हूं। मा0 योगी जी के नेतृत्व वाली यह सरकार ऐसी सरकार है जो जनता की सरकार है और जनता के लिये है, जिसका एकमात्र ध्येय लोक कल्याण है और जो राग-द्वेष से परे सबका साथ और सबका विकास की नीति पर कार्य कर रही है। पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी ने अन्त्योदय का सपना देखा था जिसमें समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के उत्थान की बात कही गयी थी। मान्यवर, आज उस सपने को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मा0 नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री मा0 योगी जी ने पूरा करने का कार्य किया है।

मा0 योगी जी की सरकार सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः के आदर्श पर चलकर किसानों, मजदूरों, गरीबों, वंचित और उपेक्षित वर्गों के उत्थान के लिए नीति निर्धारण से कार्य कर रही है। उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी, स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय निर्माण तथा सूक्ष्म लघु एवं उद्यम उद्योगों की स्थापना में देश में, प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। सौभाग्य योजना में उत्तर प्रदेश विद्युत संयोजन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर रहा है। इसी प्रकार गन्ना, गेहूँ, आलू, दूध व अन्य उत्पादनों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। कौशल विकास नीति को लागू करने वाला भी उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है और देश में डी0बी0टी0 के माध्यम से कृषि निवेशों पर अनुदान के भुगतान में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। मा0 योगी जी की सरकार लोक कल्याण और जनकल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मैं बड़े कष्ट के साथ कल की एक घटना पर अपनी बात कहना चाहता हूँ। कल सदन में मा0 श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर जो प्रदर्शन विपक्षी सदस्यों के द्वारा किया गया वह नितान्त अशोभनीय व अलोकतांत्रिक है। यह लोकतंत्र की परम्पराओं में ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कि विपक्षी दल मा0 नरेन्द्र मोदी जी की और मा0 योगी जी की लोकप्रियता से उनके जो लोक कल्याणकारी कार्य है इसके कारण जो उनकी लोकप्रियता देश और प्रदेश में बढ़ रही है उससे भयभीत हो गयें हैं और भयभीत होकर इस प्रकार के जो क्षेत्रवाद, जातिवाद और परिवारवाद में डूबे हुए राजनैतिक दल हैं वह इकठ्ठा होकर उनका विरोध कर रहे हैं और इस हद तक पहुँच गये हैं कि मर्यादाओं को भूलकर महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जिस प्रकार कागज के टुकड़े, गोले, कागज के हवाई जहाज बनाकर फेकें गये हैं वह पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है और पूरे प्रदेश में और देश में इसकी निन्दा हो रही है, सब लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के मा0 मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी लोक कल्याण के लिए, जनहित के लिए निरन्तर कार्य कर रहे हैं। देश की पुरातन संस्कृति को स्थापित करने का कार्य उनके द्वारा और उनकी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ ''लीक छोड़ तीनहु चले, सायर सिंह सपूत'' हमारे मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी सिंह भी हैं और भारत माता के सच्चे सपूत भी हैं। उन्होंने देश की पुरातन संस्कृति को पुनःस्थापित किया है, जिसकी पिछली सरकारों ने भरपूर उपेक्षा की थी।

उत्तर प्रदेश की सरकार ने मा0 योगी जी के नेतृत्व में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया और फैजाबाद का नाम बदल कर अयोध्या करके हमारी प्राचीन संस्कृति को पुनर्जीवित करने का काम मा0 योगी जी ने किया है उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा होनी चाहिए।

(सत्ता पक्ष द्वारा मेजें थपथपाई गयीं) मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रयास से जहां यूनेस्को ने कुम्भ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर माना है वहीं मा0 योगी जी की सरकार द्वारा वर्तमान में प्रयागराज में चल रहे कुम्भ को एक ऐतिहासिक कुम्भ का रूप दिया गया है। आज अखबारों की सुर्खियों में टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर प्रयागराज में चल रहे कुम्भ की सर्वत्र चर्चा है और देश में ही नहीं विदेशों में, बाहर के मुल्कों में भी आज कुम्भ की चर्चा है, कि ऐसा भी कुम्भ होता है। अन्यथा आज से पहले कुम्भ कब हुआ, कब खतम हो गया और कब शुरू हो गया लोगों को पता तक नहीं चलता था। हां पता एक बात का जरूर चलता था कि सैफई में महोत्सव चल रहा है जहां फिल्म अभिनेत्रियां आकर नृत्य कर रही है। सैफई महोत्सव की तो चर्चा होती थी लेकिन उत्तर प्रदेश में पहली बार देश में और पूरी दुनिया में इस कुम्भ की चर्चा हो रही है इसके लिए मा0 योगी जी की सरकार बधाई के पात्र है। (सत्ता पक्ष द्वारा मेजें थपथपाई गयीं) सम्पूर्ण भारत और विदेशों से आने वाले लोग कुम्भ में स्नान करने के लिए जाते हैं और देखते हैं कि तीन सौ हेक्टेयर जमीन पर विस्तार से कुम्भ का पर्व मनाया जा रहा है जहां ढाई सौ किलोमीटर सड़कों का जाल बनाया गया है, 22 पुल हैं चालिस हजार जगमगाती एल0ई0डी0 लाइटें हैं और एक लाख बाइस हजार पांच सौ शौचालय बनाकर कुम्भ को साफ-सुथरा और दिव्य बनाने का काम मा0 योगी जी की सरकार ने किया है और यदि कोई श्रद्धालु या व्यक्ति नाव से संगम में स्नान करने जाना चाहता है और उनकी संख्या लाखों में है तो भी उनके लिए सुरक्षा जैकेट वहां पर मौजूद है। ऐसी व्यवस्था की गई कि जब श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाते हैं तो चौपर के द्वारा फूलों की वर्षा होती है और उसको जो भी देखता है वही कहता है कि यह तो अद्भुत है, अकल्पनीय है और अविस्मरणीय है। तुलसीदास जी ने कहा है कि ''पूजहिं माधव पद जल जाता, परसि अक्षय वट हरषहिं गाता'', अक्षयवट के दर्शन के बिना माघ का स्नान और कुम्भ का स्नान अधूरा माना जाता था। सदियों से अक्षय वट किले में कैद में था और लोग उसके दर्शन नहीं कर पाते थे जिसके कारण श्रद्धालुओं और तीर्थ यात्रियों को अपने तीर्थ का पूरा लाभ नहीं मिल रहा था। उनकी यात्रा पूर्ण हो, उनका तीर्थ का संकल्प पूर्ण हो, इसके लिए अक्षय वट और सरस्वती कूप को दर्शन के लिए खोलने का उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो निर्णय लिया है उसके लिए मैं माननीय योगी जी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को बार-बार धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश की यह पहली सरकार है जिसने सरकार बनते ही उत्तर प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36000 करोड़ रुपये का ऋण माफ करके ऋण मोचन योजना में अन्नदाता को राहत पहुंचाने का काम किया है। किसानों के उत्थान और कल्याण के लिए योगी जी की सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत 43 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का काम इस सरकार ने किया है। सरकार ने 52.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद कर 72 घण्टों में उसका भुगतान किसानों को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से करने का ऐतिहासिक काम किया है अन्यथा पिछली सरकारों में बिचौलिये हावी रहते थे और किसानों का शोषण होता था। यह किसानों की सबसे हितैषी सरकार है। हमारी सरकार द्वारा गन्ना मिलों को समय से चलवा कर गन्ना की पेराई कराई गई। पहली दफा ऐसा हुआ है कि यदि किसान का एक गन्ना भी खेत में था तो जून तक मिलों को चलवा कर गन्ना पेराई को सुनिश्चित कराया गया जिसके लिए माननीय गन्ना मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं

बधाई देता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कृषि निवेश पर जो देय अनुदान है उसे डायरेक्ट डी0बी0टी0 के माध्यम से किसानों के खातों में भुगतान कराने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूं। बाण सागर नहर परियोजना को पूर्ण कराकर एक लाख सत्तर हजार किसानों को लाभान्वित करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ''वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड पराई जाणे रे'' अर्थात् जो दूसरे की पीड़ा जानता है वही वैष्णव है। गांधी जी के वाक्य को चरितार्थ करने का यदि किसी ने काम किया है तो वह भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। जो लोग निराश्रित और गरीब हैं और जिनके सिर पर छत नहीं है उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निःशुल्क मकान देने की योजना श्री नरेन्द्र मोदी जी लाये हैं। इस योजना के अंतर्गत अगर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को यदि जोड़ दिया जाये तो 19 लाख आवास उपलब्ध कराने का ऐतिहासिक कार्य उत्तर प्रदेश में हुआ है इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को बार-बार धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मान्यवर, वर्षों से इस देश का वो व्यक्ति जिसके पास साधन नहीं थे और वह गरीब था लेकिन वह सवर्ण जाति में पैदा हुआ था जिसके कारण वह आरक्षित श्रेणी में नहीं था और उसके साथ न्याय नहीं हो रहा था तो उसको न्याय देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है और पहली बार 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था उन गरीब सवर्णों के लिए की गई है। माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने अनारक्षित श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को आरक्षण देने का काम बिना किसी के आरक्षण में कटौती किये हुए किया है और इसे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने लागू करके गरीबों को न्याय देने का जो कार्य किया है उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में एक समय वह था जब थानों को ठेकेदार चलाते थे और जो अपराधी माफिया और गुण्डे होते थे वह थानों में बैठ करके चाय पीते थे। मान्यवर, प्रदेश में गुण्डाराज व्याप्त था, लेकिन मा0 योगी जी के आने के बाद अपराधियों पर शिकंजा कसा गया है।

गुण्डा तत्वों को जेल में डाला गया है। भू-माफियों पर मुकदमें कायम किये गये हैं जिससे आज पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण बना हुआ है। आज प्रदेश की जनता अपने आपको भयमुक्त महसूस करती है और रात को 12 बजे चाहे सलमा हो, संगीता हो या सोफिया हो वह बेहिचक उत्तर प्रदेश की गलियों में सिर उठाकर जा सकती हैं। उसे किसी भी प्रकार का डर नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार के द्वारा शहरों में 24 घण्टे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे तथा तहसील मुख्यालयों पर 20 घण्टे बिजली देने का काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लगभग डेढ़ लाख मजरों में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत उनको विद्युतीकृत किया गया है। 94 लाख नये विद्युत के कनेक्शन दे करके एक कीर्तिमान स्थापित किया गया है और प्रदेश में सड़कों का जाल भी बिछाया जा रहा है। मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस-वे, लखनऊ से गाजीपुर तक पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे तथा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण की योजना को उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्वीकृति दी है। मान्यवर, सड़कों का जाल, विद्युत आपूर्ति और अपराध नियंत्रण के कारण उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास का एक वातावरण बना हुआ है। आज इण्डस्ट्रलिस्ट

आ करके यहां निवेश करना चाहते हैं। वह फैक्ट्रियां लगाना चाहते हैं तथा निवेशकों को निवेश करने के लिए सिंगल विण्डो सिस्टम दे करके उनको एक वातावरण सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है जिसका परिणाम है कि मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा 61 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का शिलान्यास किया जा चुका है और वह इनवेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में जारी है। प्रदेश में जहां उद्योग उजड़ रहे थे आज पुनः उद्योगों के स्थापित होने का काम तथा नये उद्योग लगाने का काम हो रहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार मा0 योगी जी की सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद है। मान्यवर, जन स्वास्थ्य के लिए जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर 8 नए मेडिकल कॉलेज बनाने का काम तथा 4 मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक निर्माण का कार्य और हमारे जो जिला अस्पताल हैं उनको आधुनिक मशीनों से जोड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना के अंतर्गत 13 लाख 81 हजार 720 लोगों को जो नितांत गरीब हैं और अपना इलाज नहीं करा सकते थे, लेकिन आज इन गरीब लोगों को गोल्डन कार्ड दिया गया है। अब इन गोल्डन कार्ड को ले जाकर के किसी अच्छे से प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख रुपये तक का वह इलाज करा सकते हैं। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को पुनः साधुवाद देता हूं और बहुत-बहुत बधाई देता हूं। मान्यवर, निराश्रित महिलाएं, वृद्धजन तथा दिव्यांग पेंशन के लिए कई-कई बार फार्म भरते थे, लेकिन उनको पेंशन नहीं मिलती थी। वह परेशान रहते थे और पटवारी रिपोर्ट नहीं लगाता था। पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है कि मा0 योगी जी के निर्देश पर जिलों में विधान सभा स्तर पर जिले के सारे अधिकारी तथा पटवारी तक बैठकर कैंप लगा रहे हैं। चाहे निराश्रित महिलाएं हों, वृद्ध हों या दिव्यांग हों उनकी पेंशन बनाने का काम किया जा रहा है। इससे अधिक जन-कल्याणकारी कार्य और क्या हो सकता है ? इसके साथ-साथ ही सामूहिक विवाह योजना में पात्रता की सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गयी है उसके लिए मैं सरकार को बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। यह एक ऐतिहासिक कदम है कि 2 लाख रुपये की आय सीमा वालों को भी सामूहिक विवाह में अब उनकी पात्रता मानी जाएगी। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार एक जनपद, एक उत्पाद की जो योजना लेकर आई है उससे परम्परागत लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। अभी तक लगभग 78 हजार लाभार्थियों को 75 हजार करोड़ रुपये का ऋण दिया जा चुका है। पारम्परिक कारीगरों, बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, नाई, मोची, दर्जी, मिस्त्री के उत्थान के लिए विश्वकर्मा सम्मान योजना प्रारम्भ करने से इनको सम्मान मिलेगा, रोजगरा मिलेगा तथा हमारे जो परम्परागत ग्रामीण उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिलेगा और उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड का गठन करने से कारीगरों और शिल्पियों के व्यवसाय में वृद्धि होगी।

मैं कहना चाहता हूं कि मेरी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 09 शहरों को हवाई यात्रा से जोड़ने का काम किया। जिसमें मुरादाबाद, अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट, म्यूरपुर, झांसी, बरेली के हवाई अड्डे सम्मिलित हैं और जो प्रस्तावित हैं वह अयोध्या, कुशीनगर, सहारनपुर, गाजीपुर के प्रस्तावित हैं और मान्यवर, मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को बधायी देना चाहता हूं कि मेरी साहिबाबाद विधान सभा क्षेत्र में बहुत जल्दी ही हिण्डन पर डोमेस्टिक हवाई अड्डा शुरू होने वाला है। फरवरी के अन्त में या मार्च के शुरू में शुरू होने वाला है। इससे शहरों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और लोगों को सुविधा होगी और प्रदेश इससे तरक्की करेगा। मैं

सौभाग्यशाली हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में हवाई अड्डा भी और मेट्रो भी फरवरी के अन्त तक शुरू हो जायेगी। उसका उद्घाटन होने वाला है। बाकी अन्य शहरों में मेट्रो का कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मान्यवर, इससे विकास को बहुत गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों को, लोक कल्याणकारी कार्यों को महामहिम राज्यपाल द्वारा सदन में उल्लिखित किया उसके लिए मैं महामहिम का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और सदन के सभी सदस्यों के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। धन्यवाद।

श्री शीतल पाण्डेय-

मान्यवर, शर्मा जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। जब से पूज्य योगी जी की सरकार आयी है तब से प्रदेश का बहुमुखी विकास हुआ है। जहाँ इस सरकार के आने के पहले सड़कों पर गड्ढा था चलना दुर्लभ था। बच्चे, स्त्री और बूढ़े आये दिन दुर्घटना के शिकार होते थे। पूज्य योगी जी ने आते ही उन्होंने घोषणा किया कि जिन सड़कों पर गड्ढा है उसको गड्ढामुक्त कर दिया जाये। आज जब हम गोरखपुर से लखनऊ आते हैं तो पहले पांच-छः घण्टा लगता था लेकिन आज इतनी फर्राटेदार सड़क बन गयी है कि हम साढ़े चार घण्टे में लखनऊ आ जाते हैं। सड़कों का विकास हुआ है, सड़कें अच्छी हुयी हैं। आपके राज में तो जहां से अंधेरा शुरू होता था सब लोग जान जाते थे कि उत्तर प्रदेश है। आज 24 घण्टे बिजली मिल रही है। अगर हम लोग ट्रेन से दिल्ली से या बाहर से आ रहे हों और अंधेरा शुरू हो रहा हो तो कहते थे कि उत्तर प्रदेश है। यह आपके राज की व्यवस्था है और वर्मा जी आपके राज में तो कानून व्यवस्था को तो आपके विधायक ने हाथ में ले लिया था। हमारे गोरखपुर के अभियन्ता के यहां बन्दूक ले करके पहुंच गये थे और उनसे चन्दा वसूलने को धमका रहे थे। अखबारों में निकला था। आपके यहां कानून व्यवस्था टोटल बिगड़ी हुयी थी। आप मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराइये लेकिन अपनी विफलताओं पर।

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मा0 सदस्य, कृपया माननीय अध्यक्ष जी को सम्बोधित करते हुये बोलिये।

***श्री शीतल पाण्डेय-**

माननीय अध्यक्ष जी, इनके राज में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं थी। मान्यवर, डी0एम0, एस0एस0पी0 सभी इनके दरबारी थे, जनता की आवाज नहीं सुनते थे। सपा के राज्य में मंत्री हमारे भाई जे0पी0 मूवमेण्ट के श्री राम गोविन्द चौधरी जी रहे हैं। सपा के शासनकाल में डी0एम0, एस0एस0पी0 को बंधक बना दिया जाता था और एक दरोगा को जीप से घसीट करके 2 किलोमीटर ले जाया गया, कानून व्यवस्था जंगल राज में तब्दील थी, हर जिले में डी0एम0 और एस0एस0पी0 से बात करने के लिए ठेकेदार तैनात हो गये थे और इनके दल द्वारा अन्य दलों के साथ सौतेलेपन का व्यवहार किया जाता था। जब से हमारी सरकार आई है हम समान दृष्टि से चाहे वह किसी दल का हो, चाहे वह किसी जाति का हो, चाहे वह किसी धर्म का हो हम सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। कृषि के क्षेत्र में जहां किसान को उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिलता था, सपा-बसपा राज में क्रय केन्द्रों को बन्द कर दिया गया था,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था। जब से पूज्य योगी जी की सरकार आई है तब से किसान अपने उत्पाद को क्रय केन्द्र ले जाते हैं, उसका भुगतान जल्दी हो जा रहा है, आज किसान के चेहरे पर लाली है, उनके घरों में खुशहाली है और उनकी थाली भरी हुई है। आपके राज में किसानों के सामने रोटी-विहीन थाली आती थी। हम थाली भर के गरीबों को दे रहे हैं। अब गरीब खुशहाल है, आज मजदूर खुशहाल है, आज व्यवसायी खुशहाल है। आपके राज में व्यवसायी कांपता था कि कहीं से कोई सपा का न आ जाये। अगर बच्चा रोता था तो मां उससे कहती थी कि चुप हो जा सपा का नेता आ रहा है। इतना आतंक था कि बच्चा चुप हो जाता था, अधिकारियों में डर था। मैं आपकी सरकार के गुणों की ही बात कर रहा हूं। जनता की कोई भलाई नहीं होती थी। आपकी सरकार में लोगों ने ग्रुप बना लिये थे, वह ग्रुप ठेका, दुकान एवं पट्टा आदि पर जबरदस्ती कब्जा कर लेते थे। आज हम लोग स्वतंत्र हैं, व्यापारी स्वतंत्र है, कर्मचारी काम कर रहा है, सारे लोग खुशहाल हैं, मजदूर खुशहाल है, कानून व्यवस्था एकदम अच्छी है। आपके राज में औरतों का सड़को पर चलना दुर्लभ था, एक वकील कचहरी जाता था, घर वापस आयेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी, एक मास्टर स्कूल जाता था, घर वापस आयेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी, एक डॉक्टर अस्पताल जाता था, वह घर वापस आयेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। योगी राज में डॉक्टर 4 बजे, 5 बजे अपने घर पहुंच जा रहा है, कर्मचारी अपने घर पहुंच रहे हैं, अपने परिवार के साथ खुशहाली मना रहे हैं। आपके राज में परिवार आशंकित था कि हमारा बेटा, हमारा पति घर वापस आयेगा या नहीं। आज हमारे शासनकाल में कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है, कहीं पर भी एक इंच की गड़बड़ी नहीं है। यदि पुलिस किसी के साथ अत्याचार करती है, एस0एस0पी0 रैंक से ले करके अफसर तक यदि हमारी जनता के साथ अन्याय करते हैं तो उनको 10 घण्टे में दण्ड मिल जाता है।

(इसी मध्य 01 बजकर 08 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

जिलाधिकारी अगर हमारी जनता की समस्याओं को नहीं सुनते हैं, आनाकानी करते हैं, उन्हें भी हम चेतावनी देते हैं, बाद में उन्हें ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहां पानी नहीं मिलता है। आज हमारे शासन में सारा तंत्र ठीक चल रहा है, जनता खुशहाल है। आपके राज में स्कूल, कॉलेज बन्द रहते थे, हुड़दंगई जैसा माहौल था जैसे कल आपने सदन में हुड़दंग किया। इसका असर बच्चों पर पडता है। आपके आचरण का असर विद्यार्थियों पर पड़ेगा और इसी का कारण है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज बन्द थे, खैर आप लोगों से पढ़ाई का क्या मतलब। स्कूल, कॉलेज बन्द थे, पढ़ाई नहीं होती थी और हमारे नेताजी जो हमारे भी नेता रहे हैं, कहते थे कि पढ़ने-लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, परीक्षाएं गंभीरता से न लो पास हो जाओगे। क्या भविष्य हमारे नौजवानों का वो बनाना चाहते थे। पहले हमारे उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं भी साक्षात्कार के लिए जाता था और अगर उससे पूछ लेते थे कि किस स्टेट के हो तो यदि वह उत्तर प्रदेश कहता था तो उसे तुरन्त कहा जाता था, अच्छा आप जाइए।

ऐसा क्यों, क्योंकि पढ़ाई नहीं होती थी। अंग्रेजी के दुश्मन समाजवादी लोग थे, अंग्रेजी का ज्ञान नहीं देते थे, इण्टरव्यू के लिए जनरल किताबों की कमी थी, पढ़ाई नहीं होती थी। आज कहीं भी साक्षात्कार के लिए कोई भी विद्यार्थी जाता है तो वह गर्व से कह रहा है कि हम

उत्तर प्रदेश के हैं, क्योंकि उसकी पढ़ाई में गुणवत्ता आई है, उसका नॉलेज बढ़ा है, शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाई शुरू हुई है। आपके राज में प्राइमरी स्कूल अध्यापक छात्रविहीन हो गए थे। केवल वहां पर गांव के लोग गप-शप करते थे। आज किसी भी प्राइमरी स्कूल में चले जाइए, इस सरकार के यश का प्रभाव है, सरकार के अनुशासन-आदेश का प्रभाव है कि प्राइमरी स्कूल का अध्यापक समय से दस बजे पहुंच जा रहा है। जो गारजियन प्राथमिक स्कूल से ऊब गए थे और बच्चों को दूसरे विद्यालय में भेजते थे। आज प्राइमरी स्कूल का सौंदर्यीकरण हुआ है, उनको कॉन्वेन्ट स्कूल जैसे कपड़े दिए गए हैं, जूता दिया गया है, मोजा दिया गया है, पढ़ाई हो रही है। आज गारजियन भी खुशहाल है। आपके राज में आपने एक खाकी वर्दी पहना दी थी, जिस तरफ से बच्चे जाते थे, ऐसा लगता था कि होमगार्ड्स की सेना जा रही है। हमने विद्यार्थियों को अच्छी ड्रेस दी है जो कॉन्वेन्ट आदि स्कूलों में भी उतनी अच्छी ड्रेस नहीं है। आज कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा है, किसान अपने उत्पादन का उचित मूल्य पा रहा है। आज बाजार व्यवस्था उत्तम है। आपके राज में बाजार भयभीत थी लेकिन आज व्यापारी भी खुशहाल है। हमारे मित्र ने धन्यवाद प्रस्ताव पर जो वक्तव्य दिया है उसका मैं समर्थन करता हूं, समर्थन इसलिए करता हूं क्योंकि, पहले विधान सभा का सत्र चलने ही नहीं दिया जाता था, इतनी हुडदंगई होती थी, विपक्षियों को धमकाकर बाहर भेज दिया जाता था, लेकिन आज हम लोग आप लोगों का स्वागत करते हैं, आपकी बात सुनते हैं और हम लोग लोकतंत्र का सम्मान करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जब लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होगा, विपक्ष विचारों से युक्त होगा, जब विपक्ष के पास सकारात्मक प्रोग्राम होगा तो विपक्ष हमारी रचनात्मक भूमिका में साथ देगा। लेकिन जो कल की हुड़दंगई हुई, उसने तो चौराहे की हुड़दंगई को भी फेल कर दिया। यह बताइये कि एक दिन सदन चलने में कितना पैसा खर्च होता है ? जनता का पैसा है, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है। आपके राज में कभी सदन चलने नहीं पाता था। आपके राज में जो नया विधायक आता था, वह बिना कुछ बोले, बिना कुछ सीखे वापस 05 साल बाद चला जाता था। लेकिन हमारे यहां चाहे इस पक्ष का हो, चाहे उस पक्ष का हो, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं और हम सबको बोलने का मौका देते हैं। आपको भी क्विश्चन उठाने का मौका देते हैं। क्विश्चन उठाने का मौका इतना सुन्दर होता है लेकिन क्विश्चन तब किया जाता है, जब समस्याएँ हों। हमारे जो लल्लू जी हैं, ये तो बेचारे समस्या समाधान ये दो शब्द जानते ही नहीं, केवल बढ़ा-चढ़ाकर, अतिशयोक्ति करके, एक चीज को सौ बता करके इस विधान सभा में पेश करते हैं। आप जानते हैं कि यह सदन झूठ बोलने का सेण्टर नहीं है, तथ्यों पर आधारित यहां मैटर रखना चाहिए और आप जो कुशीनगर के बारे में बोलते हैं, आप जानते हैं, क्या हम लंका के रहने वाले हैं ? मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा और कुशीनगर, देवरिया, महराजगंज, बस्ती, गोण्डा इन सबके बारे में जानते हैं, बलिया के तो आप हमारे गुरू ही थे। उस समय जौनपुर और मिर्जापुर तक के लड़के आते थे, कन्धे से कन्धा मिला करके उस विश्वविद्यालय में रहा जाता था। आज आप लोग घर से ही सोचकर आते हैं कि आज सदन नहीं चलने देंगे, आज हंगामा करेंगे क्योंकि आप लोगों के पास कोई विचार है ही नहीं, जनता की कोई समस्या नहीं है, क्या होगी, क्योंकि आप जनता से कान्टेक्ट ही नहीं करते, ऊपर-ऊपर रहते हैं, समाजवादी पुलाव पकाते हैं और लल्लू भाई, आप तो इनके इशारे पर अपना अस्तित्व ही गायब कर देते हैं। सबसे पुरानी कांग्रेस, जिसका

110-115 साल का इतिहास है और आप दो दिन की पार्टी के इशारे पर नाचने लगते हैं। आपको मैं बहुत बढ़िया जानता हूं, आप वक्ता हैं, आप हमारे विश्वविद्यालय से सम्बन्धित भी रहे हैं। लेकिन जब मैं देखता हूं कि आप थोड़ा ट्रैक से बाहर जा रहे हैं तो हमें थोड़ा शर्म अपने विद्यार्थी जीवन का आता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है और आप हमारे घर के हैं, आपका खूब नाम हो, आप खूब बोलें लेकिन तथ्यों के साथ, झूठ के पुलिंदों के साथ नहीं। अन्त में अध्यक्ष जी, मैं अपने साथी, जिन्होंने श्री राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना वक्तव्य दिया है, उसका समर्थन करता हूं। समर्थन इसलिए करता हूं, मा0 राम गोविन्द जी, आपने ही कहा है कि मैं दो शब्द बोलता हूं। अध्यक्ष जी, आज प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है, जहां विकास की रोशनी न गयी हो, सड़कें बन रही हैं, किसानों के उत्पादन का उचित मूल्य मिल रहा है।

(समाजवादी पार्टी के किसी सदस्य के बोलने पर।)

अरे भाई, हो सकता है कि आपके वहां सड़क अभी आधी बनी हो, वह पूरी हो जायेगी, वेट कीजिए, वेट कीजिए।

(समाजवादी पार्टी के कुछ सदस्यों के बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त रहिए, नहीं तो टीका-टिप्पणी हो जायेगी।

श्री शीतल पाण्डेय-

हम लोग सम्पूर्ण विचारधारा के हैं, हम लोगों की दृष्टि संकुचित नहीं है, हम लोग ऐसे नहीं हैं कि सैफई और जो बसपा की नेता रही हैं, उनके जिले तक सीमित हो जायें। हम पूरे प्रदेश का विकास करना चाहते हैं, हम पूरे प्रदेश को सम्मान देना चाहते हैं, आप लोगों की संकीर्ण सोच थी जो सैफई और इटावा तक सीमित थे।

श्री अध्यक्ष-

पाण्डेय जी, अभी आप कितनी देर बोलेंगे।

श्री शीतल पाण्डेय-

मा0 यह बात जो मैं कह रहा हूं वह बहुत दिनों से मेरे पेट में रह गई है। यह लोग सही विचार न रख करके केवल खोखले विचार को रखते हैं तो मैं शर्मिंदा हो जाता हूं कि कभी मैं इनका साथी था। हम चाहते हैं कि विपक्ष एक गरिमापूर्वक भूमिका निभाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

पाण्डेय जी का धन्यवाद। मा0 नेता विरोधी दल श्री राम गोविन्द चौधरी जी।

नेता विरोधी दल द्वारा अस्वस्थता के कारण अपने स्थान पर श्री उज्जवल रमण सिंह को संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया जाना

***नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)**-

मा0 अध्यक्ष जी, जैसा कि कल आपसे मैंने आग्रह किया था और पक्ष विपक्ष के साथियों ने भी हमसे कई बार कहा कि आप अधिक बोलिये मत क्योंकि पूरा सदन मेरे स्वास्थ्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को लेकर चिन्तित था इसलिए मैं आपको और मा0 मुख्य मंत्री जी को, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को, मंत्री मण्डल के सभी सदस्य लोगों का और पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों का आभारी हूं। जिन्होंने हमारे स्वास्थ्य को ठीक हो जाने के लिए भगवान से कामना की और दिल्ली-लखनऊ गए और जिसका कारण हुआ कि मैं आपके बीच में हूं। इसलिए मैं अधिक नहीं बोलूंगा। मैं प्रस्ताव रख दूंगा और एक-दो लाइन बोल करके उसके बाद हमारे नेता विरोधी दल का भाषण श्री उज्जवल रमण जी करेंगे। आपसे अनुमति भी ली गई है। मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में उल्लिखित को जोड़ दिया जाए, किन्तु खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है। कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के संबंध में। प्रदेश में निरन्तर बढ़ रहे बलत्कार, डकैती, चोरी, लूट, हत्या आदि को रोकने हेतु के संबंध में। मा0 अध्यक्ष जी, दो-तीन लाइन और बोलूंगा। महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है सरकार की नीतियों का उल्लेख होता है, लेकिन कल जो महामहिम ने अभिभाषण दिया जिसको आपने पढ़ करके हम लोगों को सुनाया वह बिल्कुल असत्य स्वप्लिन परियोजनाओं को सपना दिखाने की प्रदेश की जनता को ठगने और छलने का काम उसके माध्यम से किया गया है। बेरोजगारी, किसान, मजदूर, नौकरी, खाद्य, बीज इन सभी के विषय में कोई उल्लेख ही नहीं किया। एक बड़ी भारी बात उन्होंने कही जो पंजिका के पृष्ठ 28 पर लिखा है कि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रदेश को प्रथम बार 12 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। किसको हुए कब हुए का उल्लेख नहीं है। यह अभिभाषण बिल्कुल सत्य से परे है। प्रस्तावक महोदय को मैं धन्यवाद देता हूं और समर्थक महोदय को भी। प्रस्तावक महोदय ने एक शेर पढ़ा वह भी ठीक ढ़ंग से नहीं पढ़ पाए। वह जो दोहा पढ़े वह इस प्रकार का है- कि लीक छढ़ तीनों चले शायर सिंह सपूत और लीक-लीक तीनों चलें कायर कपटी क्रूर। क्रूर आदमी की भाषा क्रूर ही होगी उसको जनता से कोई लेना-देना नहीं है। मान्यवर, यह बिल्कुल असत्य, किसान विरोधी, जन विरोधी, छात्र विरोधी, महिला विरोधी यह अभिभाषण है।

***श्री उज्जवल रमण सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय के महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो संशोधन प्रस्ताव रखा गया है। राज्यपाल ने जो असत्य का पुलिन्दा जो इस सरकार का जो भाषण पेश किया वह कार्यहीन था, अर्थहीन था और तथ्यहीन था। वह सारहीन था, अर्थहीन था और तथ्यहीन था। कहीं न कहीं राज्यपाल यह भाषण नहीं देना चाहते थे, उनके मन की स्थिति बोलने की नहीं रही होगी। चार-चार द्वारपाल लगाए गए, वे लौटकर जाना चाहते थे लेकिन द्वारपालों के द्वारा उनको रोका गया और उनसे इस भाषण को बुलवाया गया। मुझे नहीं लगता कि यह उनके मन की इच्छा के अनुरूप रहा होगा।

कृषि एवं कृषि शिक्षा मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

आप किस जमाने की बात कर रहे हैं ?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मान्यवर, जमाना बदलता रहता है, एक जमाना आपने भी देखा है और एक दौर आज हम भी देख रहे हैं। यह राज्यपाल का अभिभाषण जिस पर आज मा0 सदस्य शर्मा जी ने शुरुआत में चर्चा की है और मा0 शीतल पाण्डेय जी ने जिसका समर्थन किया है। मैं तो कहना चाहूंगा कि इन दोनों सदस्यों ने अभिभाषण को पढ़ने का काम नहीं किया। अगर पढ़ने का काम किया होता तो अभिभाषण तथ्यों पर आधारित होता। कहीं न कहीं भाषण में तथ्य आते, कहीं न कहीं आप आंकड़े पेश करते कि हम लोगों ने इतना अच्छा काम किया और इसलिए इस भाषण का प्रस्ताव पारित किया जाए। लेकिन कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की जनता के साथ छलावा किया गया, धोखा किया गया और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के, सत्ता पक्ष के लोगों ने ईमानदारी नहीं बरती। पिछले दो सालों में जो कानून-व्यवस्था का हाल है, जो सपने आप दिखाकर आए थे, आपके मा0 सदस्य ने कहा कि सपा के सदस्य आ रहे हैं ये लोग कैसे थे। अब वह उलट हो गया, अब लोग यह कहते हैं कि भाजपा के सदस्य आ रहे हैं। आज पुलिस थानों का क्या हाल है ? मैं नाम नहीं लेना चाहता कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने, जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों ने जिस तरीके से सहारनपुर के एस0एस0पी0 के घर में घुसकर जो ताण्डव किया था उसके बाद क्या कार्रवाई हुई ? हमारे सहारनपुर के मा0 सदस्य ही नहीं उत्तर प्रदेश की जनता भी इस बात की गवाह है और देख रही है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जनता को जरूर आप समझते होंगे कि यह अज्ञानी है, मूर्ख है, पढ़ी-लिखी नहीं है लेकिन जनता सब जानती है और सब समझती है और सही समय आने पर उसका सही और माकूल जवाब जनता द्वारा दिया जाएगा। हो सकता है कि आपको लगता हो कि यह विपक्ष तो सिर्फ 50-60 आदमियों का विपक्ष है और सत्ता की ताकत के अहंकार में आप कहीं न कहीं हमारी आवाज को दबाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं लेकिन जनता इस बात को देख और समझ रही है। मा0 अध्यक्ष जी, राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था में आशातीत सुधार हुआ है। आम आदमी को कोई भय नहीं है, महिलाओं को रात में निकलने में कोई डर नहीं है, गम्भीर अपराधों में विगत वर्षों की तुलना में गिरावट आई है लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका आकलन भी कर लिया जाए कि विगत वर्षों में वर्तमान भाजपा सरकार के समय से अधिक अपराध हुए हैं जो सत्यता से ठीक विपरीत है। समाजवादी पार्टी, लखनऊ ने 31 अगस्त, 2018 तक लगभग 5 महीने की घटनाओं की जानकारी दी जिसमें हत्या, बलात्कार, छेड़छाड़, डकैती, लूटपाट, अपहरण, ठगी, चोरी और साइबर क्राइम की 400 घटनाएं घटित हुई थीं लेकिन आज एक सितम्बर से एक फरवरी तक 5 महीने में इसी क्षेत्र में 521 घटनाएं घटित हुई हैं। साइबर क्राइम की घटनाएं 22 से बढ़कर 40 हो गईं, जो लगभग दोगुनी हैं। डकैती, लूटपाट, अपहरण, ठगी, चोरी, मारपीट 143 से बढ़कर 306 हो गईं। सपा सरकार में जहां बलात्कार के 7 मामले प्रतिदिन होते थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह आंकड़ा रोजाना औसतन 52 पहुंच गया है। यह कैसी सरकार है, यह महिलाओं के प्रति कितनी संवेदनशील है यह आंकड़ा इस बात को दर्शाता है। आज छात्राएं जब तक स्कूल से घर वापस नहीं आतीं उनके अभिभावक उनकी सकुशल वापसी की चिन्ता करते हैं। छात्राओं को रास्ते में जला दिया जाता है। एक नहीं अनेकों घटनाएं इस बात की हुईं। मैं कहना चाहता हूं कि अपहरण कर बलात्कार और हत्या की घटनाओं को

बेखौफ होकर अंजाम दिया जा रहा है। रात तो दूर दिन में महिलाओं और बच्चियों का निकलना दूभर हो गया है तो ये हैं इस सरकार आंकड़े, ये हैं इस सरकार की करतूतें, ये है इस सरकार में, सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों का आचरण। मैं कहना चाहता हूं कि हम क्या नजीर पेश कर रहे हैं ? हम प्रदेश की जनता को क्या बतला रहे हैं ?

मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जनता की गाढ़ी कमाई का जो पैसा है वह आज न बैंकों में सुरक्षित है, न घरों में सुरक्षित है। मुझे प्रसन्नता होती है यदि सही तथ्यों को स्वीकार कर बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, साइबर क्राइम को रोकने के लिए कोई ठोस नीति निर्धारित करने का उल्लेख इस भाषण में किया जाता तो हमको इस बात की खुशी होती। जिस तरह से बुलंदशहर में एक इंस्पेक्टर शहीद होते हैं और जिस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं मैं कहना चाहता हूं कि घटना का अंजाम कुछ और होता। वहां किसी और चीज की तैयारी की गयी थी परंतु जो लोग उसमें शामिल थे उनको गिरफ्तारी के नाम पर बचाने की कोशिश की जा रही थी। जिस तरह से अलीगढ़ में एक संस्था जो आपके अनुसांगिक संगठन हैं उनके द्वारा जिस तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का क्रूर तरीके से उनकी फोटो के आगे रखकर गोली से हत्या की जाती है।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा टोका-टाकी करने पर व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, यह आपत्तिजनक है इसको कार्यवाही से निकलवा दीजिए।

***श्री राम गोविन्द चौधरी**-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रस्तावक महोदय व समर्थक महोदय द्वारा बड़ी कटु बातें जो कही गयी वह सुनने लायक नहीं थीं लेकिन विपक्ष ने इस सदन की मर्यादा को देखते हुए उसे सुनने का काम किया। अब जब विपक्ष बोल रहा है तो आपको क्या हो रहा है।

(सत्तापक्ष तथा विपक्ष के सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान जारी।)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जब आपको बोलने का मौका दिया गया था तब अध्यक्ष जी से बोलने का समय लेते और उस बात का खण्डन करते। सभी अखबारों में, टी0वी0 चैनलों में आया है कि गांधी जी की फोटो पर गोली मारी गयी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन पूरा इस बात का साक्षी है कि हमने स्वच्छ भारत मिशन चलाया। माननीय मोदी जी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक चश्मा प्रतीक रूप से दिया गया है और वह सिर्फ गांधी जी का है। हम बापू का पूरे हृदय से सम्मान करते हैं और किसी प्रकार की ऐसी कोई बात जो अशोभनीय है जिसको यहां लाने का कोई उद्देश्य नहीं है, यह कोई प्रसंग नहीं है। उनके प्रति पूरा देश सम्मान करता है और हमारा दल भी उनके प्रति पूरा सम्मान रखता है इसलिए इसको कार्यवाही से निकलवा दें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

मैं कार्यवाही का अध्ययन कर लूंगा।

(सत्तापक्ष तथा विपक्ष के सदस्यों के टोका-टाकी करने पर व्यवधान जारी)

श्री अध्यक्ष-

अब आप सब एक साथ क्यों बोल रहे हैं उज्जवल रमण जी को बोलने दीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जैसे व्यक्ति अगर इस तरह से टोका टाकी करेंगे, हम बोल रहे हैं आपको उसका जवाब देने का अवसर मिलेगा। हमारी कही हुई बात अमर्यादित तो है नहीं, हम अगर असत्य बोल रहे हैं तो आप उसका अपने जवाब में खण्डन करेंगे। यह निश्चित रूप से असंसदीय नहीं है, कोई अमर्यादित भाषा का इन्होंने प्रयोग नहीं किया। किसी तरह का जो इस सदन में न कहने लायक शब्द इन्होंने प्रयोग नहीं किया। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा कि ऐसे मामले में भी जब हम शांतिपूर्वक सब लोग चर्चा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप उज्जवल रमण जी को बोलने दीजिए।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश का जो माहौल है मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। यह जनपद कोतवाली, मैनपुरी की घटना है और उसका क्राइम नम्बर 879/2018 है जहां संविधान को जलाया गया। संविधान को जलाने की कार्यवाही किन्हीं लोगों ने और किन्हीं तत्वों ने की। उस पर एफ0आई0आर0 दर्ज हुई और राष्ट्रदोह का मुकदमा भी लगा लेकिन आज तक गिरफ्तारी सत्तापक्ष के दबाव में नहीं हुई। मेरा स्पष्ट कहना है कि सत्तापक्ष के दबाव में वह कार्यवाही नहीं हुई। मेरा आप लोगों से यही आग्रह है कि क्या मिसाल आप दे रहे हैं कि जहां राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हो, जहां राष्ट्रपिता को अपमानित किया जाये और किन लोगों के द्वारा अपमानित किया जाये यह सभी हमारे मीडिया के साथियों को मालूम है, हमारे सभी यहां बैठे हुए सदस्यों को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि किस संस्था द्वारा यह कृत्य किया गया। मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं अगर आप बचाने का काम करेंगे तो प्रदेश की कानून व्यवस्था कभी सुधरने वाली नहीं है। सिर्फ दोषारोपण करके कि सपा में ये हुआ, बसपा में ये हुआ, आपके जमाने में ये हुआ, आप सब नीति बनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आपकी पार्टी दलगत भावना से ऊपर उठकर यह कोशिश नहीं कर रही है कि कानून व्यवस्था सुधरे। जब आपके लोग खुद ही एस0एस0पी0, डी0एम0 को अपमानित करने का काम करेंगे। जब आप ही के लोग इस तरीके का कृत्य करेंगे। मैं अपने एक मा0 सदस्य की व्यथा को भी बतलाना चाहूंगा। हमारे नेह नगर के विधायक हैं, जो आजमगढ़ में पड़ता है, मा0 कल्पनाथ पासवान जी। विधायक को जो तनख्वाह मिलती है, अपने उस एकाउण्ट से दस लाख रुपये निकालकर जाते हैं, आजमगढ़। आजमगढ़ में एक-दो घण्टे एक होटल में रुकते हैं और उस होटल में रुकने के बाद अपने घर जाते हैं। उसी दरम्यान उस होटल में उनका दस लाख रुपये

जो कि उनकी तनख्वाह का पैसा था, गायब कर दिया जाता है। जब एफ0आई0आर0 के लिए हमारा पूरा दल एस0एस0पी0 के पास जाता है तो उनकी एफ0आई0आर0 तक नहीं लिखी जाती है। प्रदेश की ऐसी कानून व्यवस्था है, जहां पर दस लाख रुपये हमारे सम्मानित विधायक के गायब हो जाते हैं और एफ0आई0आर0 तक दर्ज नहीं होती और एस0एस0पी0 उनको टरकाने का काम करता है। मैं तो कहना चाहता हूं कि मिसाल देनी हो तो उस एस0एस0पी0 के खिलाफ कार्रवाई करके विधायक के सम्मान को बचाने की आपको कार्यवाही करनी चाहिए, तब हमको लगता कि कानून व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त है। हमारे कानपुर के सम्मानित विधायक, इरफान सोलंकी जी लखनऊ में बैठकर कहीं पर खाना खा रहे थे और ए0डी0जी0, लॉ एण्ड आर्डर की गाड़ी उनकी गाड़ी के पीछे खड़ी थी। सिपाहियों के सामने उनकी गाड़ी का शीशा तोड़कर रुपये, लैपटाप एवं मोबाइल के साथ उनका बेशकीमती सामान चोरी कर लिया गया। इससे पता लगता है कि अपराधी कितने बेखौफ हैं, कितना बेअंदाज तरीका है आपका कानून व्यवस्था को चलाने का। मा0 अध्यक्ष जी, मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि सरकार को अपने अन्दर भी झांककर देखना चाहिए, खाली दोष दे देना कि हमने पहली बार कर दिया, हमने बसपा में इतना कर दिया, भाजपा में इतना हो गया, सपा में इतना हो गया, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैं आप लोगों से यही कहूंगा मा0 अध्यक्ष जी, कि मा0 राज्यपाल से जो अभिभाषण में कहलवाया गया वो एक असत्य बात थी। अब किसानों के बारे में मैं आता हूं। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि सरकार प्रदेश के किसानों के उत्थान व उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने का प्रयास किया है। गेहूं की, धान की रिकार्ड खरीद हुई है। ऑन लाइन भुगतान किया गया है। रिकार्ड गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है। किसानों के अनुदान को डी0बी0टी0 द्वारा उनके खाते में भुगतान करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। यह मा0 राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में कहा है। आज गन्ना किसानों के बारे में बहुत बातें हुईं। मा0 मंत्री जी ने उस पर अपना बड़ा लम्बा-चौड़ा भाषण दिया है। मैं सिर्फ राज्यपाल जी के अभिभाषण पर इतना कहूंगा कि राज्यपाल जी नहीं चाहते थे क्योंकि उनको किसानों की दशा और दुर्दशा दोनों मालूम है।

आज जिस तरीके से छूट्टा जानवर किसानों की फसल को खाने का काम कर रहे हैं। यह बात एक बार नहीं, कई बार इस विधान सभा में आयी है। सब लोगों ने अपनी चिन्ता प्रकट की है। आपने गांव के प्रधान को कह दिया, आपने संबंधित जिलाधिकारी को कह दिया लेकिन कहीं पर चारागाह नहीं है, कहीं पर जानवरों को रखने के लिए कोई बाड़ा नहीं बनाया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर बाड़ा बनाया भी जाता है तो एक जानवर को कम से कम अगर आप खाली भूसा भी खिलायेंगे तो लगभग 40 रुपये का खर्च आयेगा। आपको गाय और गोवंश से मतलब नहीं है, आप तो सिर्फ वोट लेने के लिए उसका उपयोग करना चाहते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से किसानों की फसलों को, गोवंश के और बाकी जानवरों द्वारा चरा गया है। आज किसान तबाह है। उनकी फसल की लागत भी नहीं निकल रही है, मंहगी खाद है और हर कट्टे से 5 किलो निकाला गया । जहां तक डी0ए0पी0 के दाम की बात है तो आप 2014 में कांग्रेस की सरकार का और 2019 के दाम को निकाल कर देख लीजिये, आज 1400 रुपया डी0ए0पी0 का दाम है। यह कैसा शासन आप चला रहे हैं, कैसे किसानों की आमदनी आप दुगनी करेंगे और जो स्वामीनाथन कमेटी ने कहा

था कृषि मंत्री जी भी बैठे हैं वह जानते हैं कि उसका मतलब क्या है इनपुट कास्ट तब आपने न देकर आपने कोई और फार्मूला लगाकर किसानों को ठगने और छलने का काम किया है। सरकार की नीतियों की मार झेलकर किसान टूट जाता है और अपनी फसल औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर हो जाता है। लालजी वर्मा जी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं उन्होंने और नेता विरोधी दल ने भी इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया था कि धान और गेहूं की क्रय केन्द्रों पर खरीद नहीं हो रही है। जितने सत्ता पक्ष के लोग हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश का हाल है, मात्र 20 प्रतिशत सरकारी खरीद खाली होती है और 80 प्रतिशत कहीं न कहीं दलालों के माध्यम से बिचौलियों के माध्यम से की जाती है। जो लोग गांव में रहते होंगे, वह इस बात को अनुभव करते होंगे मैं तो उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज 1100, 1200, 1300 रुपये में धान और गेहूँ खरीदा गया और जो सरकारी रेट एम0एस0पी0 का है, वह बिचौलिये ने बेचने का काम किया है यह है उत्तर प्रदेश के धान क्रय केन्द्रों की व्यवस्था । मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो डी0बी0टी0 की व्यवस्था लागू की गयी, किसान उससे लाभान्वित नहीं होता है उससे लाभान्वित होने वाले लोग कोई और हैं। मैं तो उन लोगों से कहना चाहता हूं कि सरकार को बीज का 3500 रुपये अपनी जेब से देना पड़ता है और तब उसके खाते में दो महीने, तीन महीने, चार महीने बाद पैसा आता है। मैं तो कहना चाहता हूं कि यह सब व्यवस्थायें कागजी व्यवस्थायें हैं और कागजी व्यवस्थाओं से आप किसानों को ठगने और छलने का काम कर रहे हैं। सरकार विभिन्न कम्पनियों के माध्यम से गेहूँ और धान खरीदती है तो यह कम्पनियां अभी तक गेहूं के मूल्य तक का भुगतान नहीं कर सकी हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

आप कितना असत्य बोलेंगे ।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने एक बात कही। उन्नाव जनपद में नेफेड ने गेहूं खरीदा था लेकिन आज 10 महीने बाद भी पूरा भुगतान नहीं हो पाया।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

आप चेयरमैन भी रहे हैं। 10 महीना पहले गेहूँ कहॉ था। गेहूँ तो अभी तुरन्त तैयार हुआ। आप कैसी बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, आप भाषण जारी रखें।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मान्यवर, आज गन्ना किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। जब गन्ने के मूल्य के लिये धरने प्रदर्शन में, जिस तरीके से बिजनौर में गन्ना किसानों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया, कोई न कोई कारण तो रहा होगा और जिस तरीके से शामली जनपद में किसानों पर लाठीचार्ज किया गया तो कहीं न कहीं किसान आन्दोलित है। आज माननीय मंत्री जी ने भी अपने जवाब में स्वीकार किया है कि 6 हजार करोड़ रुपया अभी भी बकाया है और माननीय इलाहाबाद

हाईकोर्ट ने कहा है कि ब्याज सहित 14 दिनों में पैसा दें। लेकिन कहीं न कहीं आपकी मिल मालिकों के साथ सांठ-गांठ है और आप ब्याज बचाकर किसानों को छलने और ठगने का काम कर रहे हैं। किसान लाठी खाता है, किसान मार खाता है, किसान मेहनत करता है और जब उपज का दाम मिलने की बारी आती है तो मिल मालिक का फायदा हो जाता है और किसान ठगा सा ठगा रह जाता है। मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि राज्यपाल महोदय को सही तथ्य नहीं बताये गये नहीं तो राज्यपाल महोदय कभी न इसे पढ़ते, अगर उन्हें बताया जाता कि 48.62 प्रतिशत का मात्र भुगतान हुआ है। माननीय राज्यपाल महोदय को अगर आपने सही तथ्य बताये होते तो राज्यपाल महोदय जो लौटना चाहते थे वह और तेजी में लौट जाते क्योंकि ऐसा असत्य भाषण शायद ही कभी पढ़ा गया होगा। मैं तो चाहता हूं कि आपको स्वीकार करना चाहिये कि इतना पैसा बाकी है उसे हम जल्द से जल्द देने का काम करेंगे लेकिन हमको उम्मीद नहीं है क्योंकि आप किसानों की बात सुनते तो हो लेकिन करते अपने मन की हो। क्योंकि मन की बात कहने वाले लोग हो, किसानों का दर्द समझते तो हो, लेकिन उसका निराकरण करने का प्रयास नहीं करते हो। मैं तो कहना चाहूंगा कि आज जो किसान की हालत है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है। आज नहरों का हाल क्या है ? आप उपज का पैसा नहीं देते, बीज का दाम बढ़ता जा रहा है, खाद में आप 5 किलो निकाल रहे हो। आज व्यवस्था क्या है ?

नहरों की सफाई, माननीय अध्यक्ष जी, आप कहीं पर भी चले जाइये, टेल तक पानी नहीं पहुंचता है, कोई भी नहर देख लीजिए, जो पुराने ट्यूबवेल हैं, आप उनकी हालत देख लीजिए, जितनी नालियां हैं, सब ध्वस्त हैं और सरकार उसकी व्यवस्था करने का काम नहीं कर रही है। सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि नाली के माध्यम से सरकारी ट्यूबवेल द्वारा पानी पहुंचता है। सरकारी ट्यूबवेल आपके खराब हैं नालियां खराब हैं, टेल तक नहरों में पानी नहीं पहुंचता, लेकिन सरकार उसका जवाब नहीं देती, केवल खानापूर्ति करती है। सरकारी धन की बन्दर-बॉट करती है, सरकारी ट्यूबवेल का हाल जो मैंने बतलाया, इसी तरह मैं तो चाहूंगा कि गन्ना किसानों का भुगतान शीघ्र करें, दलालों की रोकथाम करें, गेहूं-धान के अवशेष का भुगतान समयबद्ध ढंग से करें तथा सिंचाई की समुचित व्यवस्था करने के साथ-साथ सिंचाई हेतु मुफ्त बिजली-पानी मुहैया कराने के लिए किसी योजना का जिक्र करते तो हमको खुशी होती। अगर आप बतलाते कि हम कोई नई योजना इसके लिए ला रहे हैं। कई बार माननीय मुख्य मंत्री मंत्री जी, नेता सदन ने भी कहा बाण सागर परियोजना, जो लोग इलाहाबाद जनपद से आते होंगे, कई विधायक लोग भी इलाहाबाद जनपद के बैठे हुए हैं, बाण सागर परियोजना का अगर एक क्यूसेकपानी कहीं पहुंचा हो, किसी के भी क्षेत्र में पहुंचा हो, तो मैं मान जाऊं। मुख्य मंत्री जी की घोषणा है, नेता सदन की घोषणा है, प्रधानमंत्री जी ने देश को उस बाण सागर परियोजना को समर्पित कर दिया। लेकिन किसानों को पानी नहीं मिला। आप वहां के लोगों का दर्द तो समझिये। आप दर्द समझने को तैयार नहीं हैं। किसानों की ऊसर-बंजर जमीन का सुधार का कार्य माननीय मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ करता था। भूमि सुधार निगम बनाया गया था। ऊसर-बंजर भूमि को कृषि उपयोग के लायक बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन आज क्या स्थिति है? मैं तो पिछले साल, डेढ़ साल से अपने क्षेत्र में, पूरे इलाहाबाद में जहां-जहां ऐसे मामले होते हैं, मैं अधिकारियों से

कोशिश करता हूं, लेकिन वह कहते हैं कि इस पर धन आवंटित नहीं हो रहा है। यह कैसी व्यवस्था ? मैं तो कहना चाहता हूं कि आज किसान परेशान हैं, किसान मजबूरी में सरकारी विद्यालयों में आवारा पशुओं को बन्द कर रहा है। आज तक भारत के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ, जब किसी भी विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में आवारा पशुओं को बन्द किया जा रहा हो। कहीं तहसीलों में इनको बन्द किया जा रहा है, कहीं न कहीं यह हमारी व्यवस्था को दर्शाता है। मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा, शायद सरकार के काम में जूँ नहीं रेंगेगी क्योंकि सरकार यह चीज नहीं सुनना चाहती है। लेकिन मैं जरूर कहूंगा, इस अभिभाषण में इसका जिक्र तक नहीं है, अगर सरकार को, अगर भारतीय जनता पार्टी को इसकी चिन्ता होती तो हमको खुशी होती। बेरोजगारी का जो मुद्दा है, माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में आज बेरोजगारी की यह हालत है, सबसे निम्न स्तर की संविदा और ठेकेदारी की नौकरी का भी यदि भूले-भटके विज्ञापन आता हैं तो बी0ए0, बी0टेक0, एम0टेक0, एम0बी0ए0, पी0एच0डी0, डिग्रीधारक आवेदन करते हैं।

आज हालत यह है कि क्लास फोर्थ की वैकेंसी निकाल करके किसी विभाग में देख लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जायेगा कि बेरोजगारी का आलम क्या है ? अभी एन0एस0एस0ओ0 ने जो नया सर्वे किया है, उसमें कहा गया है कि बेरोजगारी 35 सालों में, आपकी सरकार जहां केन्द्र में भी थी और प्रदेश में भी थी, सबसे बड़े स्तर पर बेरोजगारी अगर बढ़ी है तो आपकी सरकार में आज 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ा है। मैं तो सरकार से बस यही कहना चाहता हूं कि सरकार को दर्द को समझना चाहिए। कर्ज लेकर किसान का बच्चा पढ़ाई करता है और कर्ज अदा नहीं कर पाता। बैंक का एन0पी0ए0 बढ़ता जा रहा है, अब तो बैंकों ने भी पढ़ाई के लिए कर्ज देना बन्द कर दिया है। प्रदेश में 5 लाख से अधिक खाली पड़े पद हैं और इसके बावजूद 5 करोड़ बेरोजगार युवा ठोकरें खा रहा है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी के मामले में उत्तर प्रदेश 11वें पायदान पर खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने घोषणा-पत्र में, संकल्प-पत्र में कहा था कि 90 दिन के भीतर लाखों रोजगार देंगे। रिक्त पदों को भरेंगे, पांच वर्ष में 70 लाख रोजगार देंगे, कुछ पूरा नहीं सके। समाजवादी पार्टी की सरकार में जिन पदों की नियुक्ति हेतु सभी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई थीं केवल अन्तिम परिणाम बाकी था उन्हें भी किसी न किसी बहाने रोक दिया गया। जिस तरह से शिक्षामित्रों का हाल आपने किया है सात सौ लोगों ने आत्महत्या की है। शिक्षा मित्र जो आपकी योजना थी जिसे आप लोगों ने शुरू किया था जिसे प्रयागराज जनपद से शुरू किया गया था उस समय तत्कालीन मंत्री जी ने इस योजना को शुरू किया था उस योजना का आपने क्या हाल किया। आज अगर आपको अपनी कलम से फायदा देने की बात होती है तो शिक्षामित्रों को कोई सुनने वाला नहीं है वह दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण में बेरोजगारी दूर करने के नाम पर कौशल विकास का उल्लेख किया गया है जिसमें कहा गया है 4.83 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और लगभग इसके आधे 2 लाख 72 हजार 268 को सेवायोजित किया गया है। अर्थात् प्रशिक्षित युवाओं में से केवल 50 प्रतिशत ही सेवायोजित हुए हैं जिन्हें छोटी-मोटी नौकरी कम्पनियों से बुलाकर दिलायी जाती है और कुछ वर्ष बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, जिससे उनका पूरा भविष्य बर्बाद हो जाता है। सरकारी रिक्त पद पर भर्ती ठेकेदारी

प्रथा से की जा रही है, सरकार 10 प्रतिशत सम्बन्धित ठेकेदार को देती है और ठेकेदार सम्बद्ध युवा के वेतन से जबरन वसूली कर ले रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी सरकार की बेरोजगारी नीति है, रोजगार न देने वाली नीति है और कहीं न कहीं हमारे युवाओं को छलने वाली नीति है। मैं तो कहना चाहता हूं कि आज पूरे भारतवर्ष में 18 से 35 साल तक के सबसे ज्यादा युवा यहां हैं और सबसे ज्यादा परेशान वह युवा हैं। मा0 सदस्यों के पास भी सबसे ज्यादा आवेदन इन्हीं युवाओं के आते होंगे जो रोजगार के लिए दर-दर की ठोकरें खाते हैं। अगर इस अभिभाषण में आपने बेरोजगारी को दूर करने की चिन्ता व्यक्त की होती तो मैं भी खुश होता। मा0 राज्यपाल जी इसी वजह से अभिभाषण को लेकर चिन्तित थे और उसे नहीं पढ़ना चाह रहे थे लेकिन कहीं न कहीं आप लोगों ने मजबूर किया चार-चार द्वारपालों को लगाकर उन्हें रोके रखा।

श्री अध्यक्ष-

अब कृपया समाप्त करें।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मान्यवर, मैं तो केवल महत्वपूर्ण बिन्दुओं को रख रहा हूं कि आज क्या हाल है शिक्षा के क्षेत्र का। मैं केवल तथ्यों को बोल रहा हूं तथ्यों के अलावा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता।

श्री अध्यक्ष-

आपने हमसे कहा था कि हम 10 मिनट बोलेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अभी तो वह नेता विरोधी दल के बदले में बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

नेता विरोधी दल का कोई विकल्प नहीं होता।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

श्री राज्यपाल के अभिभाषण में शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान का जिक्र है, ऑपरेशन कायाकल्प का जिक्र है और दीक्षान्त समारोह का उल्लेख किया गया है, यह महत्वपूर्ण उल्लेख माननीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में किया है। आज प्रदेश के स्कूलों की हालत बद से बद्तर हो गई है। प्राथमिक स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं वह खाना खाने जाते हैं, अगर मिड-डे-मील न हो तो आधे से ज्यादा बच्चे स्कूलों से नदारद हो जाते हैं। आज किसी गांव में अगर स्कूल के बगल में कोई सी0बी0एस0ई0 स्कूल खुल जाय तो किसान वहां अपने बच्चों को पढ़ाना बेहतर समझता है। अभी एक सर्वे हुआ है, जुलाई 2018 के एक सर्वे की रिपोर्ट को मैं बताना चाहता हूं इस सर्वे से पता चला कि जो प्राथमिक विद्यालयों और मिडिल स्कूलों के छात्र हैं उनमें से कक्षा-5 के 74 प्रतिशत छात्र गुणा-भाग करना नहीं जानते हैं। 56 प्रतिशत कक्षा-8 के छात्र अपनी भाषा भी ठीक तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं। मा0 अध्यक्ष जी मैं सिर्फ आंकड़ा बतला दूं बाकी सदस्य अपनी चर्चा में इस बात को कहेंगे। दो में से एक बच्चा असाधारण भाग भी नहीं कर सकता है। मा0 अध्यक्ष जी, 76 प्रतिशत बच्चे पैसे तक

नहीं गिन सकते हैं, 25 प्रतिशत बच्चे ठीक से हिन्दी भी नहीं पढ़ सकते हैं, यह हाल है हमारे व्यवस्थाओं का। सुविधाओं के नाम पर 38.5 प्रतिशत स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, तमाम स्कूलों की जर्जर छतें हैं, दीवालों में दरारें हैं, बच्चों अपने जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने पर मजबूर हैं।

आज शिक्षकों का क्या हाल है ? शिक्षकों की भर्ती न होने के कारण एक शिक्षक के ऊपर पूरा विद्यालय चल रहा है, शिक्षा मित्रों का वेतन/तनख्वाह आपने एक तिहाई कर दिया है, वह भी पढ़ाने में अरुचि करने लगे हैं। आप आज शिक्षक की भर्ती नहीं कर पा रहे हैं, इस तरीके से आपरेशन कायाकल्प के नाम पर रंग-रोदन कराकर सरकारी धन का बन्दर-बांट करने से प्रदेश के बच्चों का कायाकल्प नहीं हो सकता है। मा0 राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में रिक्त पदों के भरने, जर्जर भवनों के निर्माण और शिक्षा के स्तर में सुधार संबंधी अगर कोई ठोस योजना का जिक्र होता, तो हमको खुशी होती। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पूरे सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा ''राज्य कर्मचारी पेंशन बहाली''। आज उत्तर प्रदेश का राज्य कर्मचारी आंदोलित है और वह इस बात पर आंदोलित है कि वर्ष 2004 से हमारी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाये। मा0 अध्यक्ष जी, राज्य कर्मचारी/अधिकारी अपना पूरा जीवन सरकार की सेवा में लगाते हैं। जब सरकारी कर्मचारी कार्य करने में असमर्थता की ओर अग्रसर होता है, तो उसकी सेवानिवृत्ति कर दी जाती है। जीवन के इस पड़ाव पर लोगों को उसके परिवार के दायित्वों के निवर्हन के लिए पेंशन की आवश्यकता है। बच्चों की शादी करना है, मकान बनाना है, जिसे पूरा करने के लिए फण्ड से धनराशि निकालकर खर्च कर देता है, उसके पास जीवन का एकमात्र सहारा है ''पुरानी पेंशन''। ''नई पेंशन स्कीम'' में कर्मचारी की धनराशि बिना उसकी सहमति के बाजार मूल्य पर आधारित कर दी जाती है, यह कहां का न्याय है ? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार आपकी है, आप तत्काल इस पर फैसला करें। मुझे प्रसन्नता होती, अगर राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण में ''पुरानी पेंशन'' बहाल करने का उल्लेख करते। कर्मचारियों की आवाज दबाने के लिए सत्तापक्ष और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्मचारियों के आंदोलन पर रोक लगा रही है, और ''एस्मा'' का प्रयोग कर रही है। ''एस्मा'' जैसा कानून अंग्रेजों के जमाने का कानून था और अंग्रेजों के इस कानून को लागू करके कहीं न कहीं हमारे कर्मचारियों की आवाज को दबाया जा रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो मा0 राज्यपाल महोदय जी ने अपने अभिभाषण में नहीं कहा है उसको मैं कहना चाहता हूं, अगर मा0 राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण में कहते तो बेहतर होता। अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्गों के लिए किसी योजना का उल्लेख मा0 राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में नहीं किया है। जिस तरीके से आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करने की साजिश की जा रही है, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विभागवार आरक्षण व्यवस्था समाप्त कर उसके आरक्षण का अधिकार भी छीना जा रहा है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को एक इकाई मानकर पद रिक्ति के अनुरूप आरक्षण देने की व्यवस्था का उल्लेख होता, तो बड़ी प्रसन्नता होती। हमारी आरक्षण व्यवस्था से यह बड़ा खिलवाड़ है। हमारे जो अति पिछड़े वर्गों के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग हैं, सरकार उनके हितों पर कुठाराघात करने का कार्य कर रही है। अभी

हमारे एक मा0 सदस्य ने इलाहाबाद/प्रयागराज में आयोजित कुम्भ मेले का जिक्र किया है। इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि सदस्यों को जानकारी नहीं है, यह अर्धकुम्भ है। मा0 अध्यक्ष जी, ऐसा महापाप हम लोगों से क्यों करवाया जा रहा है, अर्धकुम्भ को कुम्भ क्यों बनाया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष-

उज्ज्वल रमण सिंह जी अब समाप्त करिये।

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री उज्ज्वल रमण सिंह-

लगता है कि पहली बार गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, यहॉ तो जीवन ही बीत गया डुबकी लगाते-लगाते।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

यह छोरा गंगा किनारे वाले हैं।

श्री अध्यक्ष-

तो आप सिफारिश क्यों कर रहे हैं ?

(सत्तापक्ष की तरफ से एक महिला सदस्य द्वारा खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास किया गया।)

श्री उज्जवल रमण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी मैं सिर्फ कुम्भ पर चर्चा करूंगा। वर्ष 2012-2013 में जो कुम्भ लगा था, उसमें माननीय अखिलेश यादव जी और तत्कालीन नगर विकास मंत्री माननीय मो0 आजम खान साहब ने इतनी बढ़िया व्यवस्था की जिसकी वजह से (सत्तापक्ष के सदस्यों के द्वारा टोका टाकी करने पर शोर/व्यवधान) आपको यूनेस्को का हैरिटेज पुरस्कार प्राप्त हुआ है, वह उसी व्यवस्था की देन है क्योंकि कुम्भ तो अभी लग रहा है। बहुत बढ़िया व्यवस्था मा0 आजम खान साहब और मा0 अखिलेश यादव जी द्वारा किया गया था। मैं तो कहना चाहूंगा कि आज जिस गंगा नदी में आप आचमन की बात कर रहे हैं, मैं अपने सभी सदस्यों से कहूंगा, मा0 नगर विकास मंत्री जी भी बैठे हुये हैं, अभी जा करके देखें तो वह 'नरौरा' और 'टिहरी डैम' का पानी छोड़ कर गंगा नदी का पानी नहीं बनाया जा सकता है। गंगा का पानी अविरल तब होगा जब भागीरथी और अलखनन्दा पर जो बांध बन रहे हैं उससे गंगा को आप मुक्त करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिये।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

आपने नहरों का पानी, बांधों का पानी वहां दिया और उससे लोगों को नहला रहे हैं और पूरे देश को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। गंगा आज कैद है।

(सत्तापक्ष के सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिये, मा0 लालजी वर्मा जी को बुला रहा हूं।

(प्रतिपक्ष के कई सदस्यों ने कहा कि एक मा0 मंत्री श्री मोहसिन रज़ा को नहाने नहीं दिया गया।)

श्री उज्जवल रमण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, एक मा0 मंत्री जी को भी नहाने से रोका गया। इस तरीके का कृत्य हम लोगों के लिए शोभा नहीं देता है। गंगा नदी सबके लिए बनी है, गंगा का आचमन करना, गंगा में नहाना सबका अधिकार है। मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से कुम्भ में अव्यवस्था है, अभी जो मौनी अमावस्या का स्नान हुआ उसके अगले दिन यह बात आयी कि इतने लोग आये कि सारी की सारी आपकी व्यवस्था धरी की धरी रह गयी। यह मैंने नहीं कहा यह अगले दिन कहीं न कहीं समाचार-पत्रों में आया।

श्री अध्यक्ष-

आपने तो यहां कह लिया।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा और सिर्फ दो चीजों की चर्चा करके समाप्त करूंगा। सिर्फ दो बिन्दु हैं, एक बिन्दु हमारे चिकित्सालयों का है। माननीय श्री राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में कहीं न कहीं चिकित्सालयों पर भी चिंता जाहिर की है। आज चिकित्सालयों का जो हाल है, अगर आप सर्वे करवा लें तो दिन-प्रतिदिन सरकारी चिकित्सालयों में मरीज कम हो रहे हैं, वहां कम जा रहे हैं। इसका कारण अगर आप पता करें तो कहीं न कहीं दवाई नहीं है और प्राईवेट पार्टनरशिप के नाम पर आप अस्पतालों को निजी हाथों में देने का प्रयास कर रहे हैं। जो डॉक्टर हमारे चिकित्सा विश्वविद्यालयों में होने चाहिए उनकी भी हालत अच्छी नहीं है। डॉक्टरों की भर्ती नहीं हो पा रही है और जो 'आयुष्मान भारत योजना' है, मैं तो माननीय सदस्यों से कहूंगा कि पता कर लीजिए जब से 'आयुष्मान भारत' लागू हुआ है, कितने लोगों ने 'आयुष्मान भारत' में अब तक इसकी सेवा ली है ? मेरी जानकारी में एक भी व्यक्ति नहीं है।

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों द्वारा टोका-टाकी करने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठे-बैठे टिप्पणी कर रहे हैं, यह अनुचित है।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

अंत में माननीय अध्यक्ष जी, जो विद्युत व्यवस्था है, सरकार इसकी पीठ बराबर थपथपाती है कि हमने 24 घण्टे में ट्रांसफार्मर बदल दिये, 48 घण्टे में ट्रांसफार्मर बदल दिये लेकिन अगर गांवों में रहने वाले लोगों से पूछेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि 15 दिन से 01 महीना लग जाता है ट्रांसफार्मर बदलने में। हुसैनाबाद एक विधान सभा क्षेत्र बॉसडीह में 132 के0वी0ए0 का सब स्टेशन स्थापित किया जा रहा है लेकिन आज तक उसके लिये धन की व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं की गई। मैं कहना चाहता हूं कि यह दोहरी नीति, यह दोहरे नेत्र से सरकार चलाने का तरीका सरकार द्वारा पारित बजट समयबद्ध ढंग से खर्च नहीं हो पा रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मान्यवर, नैमिषारण्य पर है। मान्यवर, मेरी जानकारी के अनुसार नैमिषारण्य धाम में धनराशि स्वीकृत होने के बावजूद भी काम नहीं कराया गया। उसका लिंक मार्ग बहुत जर्जर है। खैराबाद से मछरेहटा होकर नैमिषारण्य जाने वाला मार्ग पता हीं नहीं चलता कि गड्ढा कहां है और सड़क कहां है। यह इस सरकार की दशा है, यह इस सरकार की दुर्दशा है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो संशोधन माननीय नेता विरोधी दल ने रखा है मैं उस पर बल देता हूं और इस सरकार से कहता हूं कि अपने नेत्र खोलकर सम्यक् पूरे समूचे प्रदेश का सर्वांगीण विकास करें तो अच्छा होगा।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी के बाद माननीय अजय जी को बोलना है तो वह तैयार रहें।

***श्री लाल जी वर्मा-**

माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता समाजवादी पार्टी उज्जवल रमण सिंह जी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है, उस पर मैं बल देता हूं। मान्यवर, श्री राज्यपाल का अभिभाषण का मतलब यह होता है कि सरकार अपनी नीयत और दिशा अभिभाषण के माध्यम से पूरे वर्ष का बनाती है परन्तु 30 पेज का यह अभिभाषण जुमला के सिवाय कुछ भी नहीं है। मान्यवर, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर असफल साबित हुई है। अपने असफलता से जनता का ध्यान हटाने के लिये कुम्भ और प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन का सहारा ले रही है। मान्यवर, माननीय महामहिम राज्यपाल ने इस अभिभाषण के माध्यम से विशेष रूप से जो जोर दिया वह कुम्भ का जोर दिया। पूरे प्रदेश में बहुत ही अच्छे ढंग से कुम्भ का जो अर्द्ध कुम्भ है उसको कुम्भ के रूप में अच्छा उसका आयोजन कराने का काम किया। मान्यवर, निश्चित रूप से बहुत से लोग जो कभी इलाहाबाद नहीं गये होंगें। कुम्भ में नहीं स्नान किये होंगें उसका एक राजनीतिकरण करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने इस बार करने का काम किया। कुम्भ एक आस्था का बिन्दु है सभी लोग जो उसमें मानने वाले लोग हैं वह वर्षों से जाते हैं और हमने देखा है मान्यवर, मैं भी इलाहाबाद में पढ़ा हूं। हमने देखा कि लगभग एक महीना वहां लोग कल्पवास करते हैं। लेकिन इस बार उसका राजनीतिकरण किया गया और कुम्भ के सहारे 2019 की वैतरणी पार करने का प्रयास किया गया जिसको प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझने का काम कर रही है। मान्यवर, यह भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी चुनाव के पहले 2017 में इन्होंने एक नारा दिया था 'न गुण्डाराज न भ्रष्टाचार'। मान्यवर, आज प्रदेश में अपराधों की जो स्थिति है वह किसी से छिपी नहीं है। माननीय उज्जवल रमण सिंह ने जिक्र किया सहारनपुर का। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा एस0एस0पी0 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कैद करने का काम किया गया। उनके परिवार को जिस तरीके से कैद करने का काम किया गया। इसी तरह से बुलन्दशहर में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिस तरह से गो-रक्षा के नाम पर गो रक्षकों के द्वारा इन्स्पेक्टर की हत्या करने का काम किया गया। यह कोई एक दो उदाहरण नहीं पूरे प्रदेश के हर जिले में आज भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कानून को अपने हाथ में गिरवी बनाने का काम कर रहे हैं जिसके कारण प्रदेश में अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। माननीय महामहिम राज्यपाल ने अभिभाषण में जोर देने का काम किया विशेष रूप से मान्यवर, उन्होंने इस बात पर जोर देने का काम किया कि हम अपराध पर नियंत्रण कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर देने का काम किया।

आज हमारी जो महिलायें हैं, बच्चियॉ हैं, बालिकायें हैं, वह स्वच्छन्द होकर घर से किसी भी समय बाजार आ जा रही हैं। मान्यवर, लेकिन जो उदाहरण है जो महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है उसका जो उदाहरण है मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ा है कुछ तुलनात्मक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहूंगा। 1.4.16 से 31.1.17 तक, दहेज मृत्यु था 2084, और 1.4.17 से जब से यह सरकार बन गई 31.1.18 तक 2,223, बलात्कार था 2943 पहले, जब यह सरकार बन गई तो उतने ही दिन का 3704, शीलभंग 8159, और इस सरकार के जमाने में 11,404, अपहरण 9,828 था, 1.4.16 से 31.1.17 तक, और इस सरकार के बनने के बाद, 1.4.17 से 31.1.18 तक हो गया 13,226, छेड़खानी 495 और इस सरकार में 987, महिला उत्पीड़न 10,219 और इस सरकार में 13,392, कुल योग मान्यवर, महिला अपराध के मामले में, 33,728 के सापेक्ष 44,936 यानि 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई और फिर भी महामहिम राज्यपाल जी अपने अभिभाषण में ताली बजवाकर इस बात का गुणगान कर रहे हैं कि प्रदेश में महिला आज स्वतंत्र है अपराध उस पर कम हुआ है। जिस तरह से इन्होंने जिक्र किया, मैं बताना चाहूंगा इस सरकार में अभी आगरा में दसवीं की छात्रा को पेट्रोल डालकर जिन्दा जला दिया गया इसके साथ-साथ मान्यवर, आज ही लूट की वारदात हुई। फायरिंग कर सर्राफ पिता पुत्र से जेवर लूटे गए लखनऊ में। दूसरी तरफ मान्यवर मैं जिस विधान सभा से निर्वाचित हूं कटहरी में, अभी दो-तीन दिन पहले छः बजे शाम को ही एक व्यापारी सर्राफ था वह अपनी दुकान बन्द करके जा रहा था छः बजे शाम को मोटरसाइकिल से अपराधी पहुंचे और उसका लाखों लाख का आभूषण छीनकर कट्टा दिखाकर चले गए। मान्यवर, यह अपराध नियंत्रण इनका है और गुण्डा राज खत्म करने की बात करने वाली यह सरकार, गुण्डों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। जिसका परिणाम है कि पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर अपराध बढ़ने का काम हो रहा है। मान्यवर, इसी तरह से सिद्धार्थनगर जिले में थाना इटवा के अन्दर ए0के047 रायफल गायब हो जाती है और ए0के047 रायफल गायब हो गई। थानाध्यक्ष समेत पॉच लोग बन्दी बनाये गए यानि आज थाने से ए0के047 गायब हो रही है और यह सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है कि हम बड़े पैमाने पर अपराध को नियंत्रण करने का काम कर रहे हैं।

मान्यवर, मेरा यह मानना है कि अपराध नियंत्रण केवल भाषण से होने वाला नहीं है। उसके लिए दृढ़ इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। जब तक दृढ़ इच्छाशक्ति नहीं होगी तब तक अपराध नियंत्रण नहीं होगा। साथ ही जब तक पक्षपात पूर्ण निर्णय होगा, आपका जो समर्थक है वह अगर अपराध करता है गो-वंश के नाम पर अपराध करता है नाथूराम के समर्थन में अपराध करता है, महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर गोली चलाने का, अभ्यास दिखाने का काम करता है, संविधान जलाने का काम करता है। मेरा जिला अम्बेडकरनगर है वहां भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी द्वारा जिलाध्यक्ष द्वारा। माननीय अध्यक्ष जी, वहां पर एक अनुसूचित

जाति के अधिशासी अभियन्ता को पकड़ कर मारा जाता है, थाने लाया जाता है, फर्जी एफ0आई0आर0 भी करायी जाती है और उसके बाद भी आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर इस तरह से पक्षपात पूर्ण कार्य होगा तो अपराध भाषण से नियंत्रित होने वाला नहीं है। अपराधी अपराधी होता है, वह किसी भी पार्टी का हो, जब आप निष्पक्ष ढंग से उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे तो प्रदेश में अपराध नियंत्रण का कार्य होगा। अभी हमारे साथी मा0 शीतल पाण्डेय जी इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि जब हमारी सरकार थी तो उस समय अपराधी बड़े पैमाने पर अपराध कर रहे थे। मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं केवल हमारा ही नहीं, यह नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है कि भारत में 2009, 2010, 2011 में अगर अपराध दर के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश उस समय 34वें नम्बर पर था यानी केवल एक स्टेट ऐसा था, जिसमें हमसे कम अपराध था बाकी सारे प्रदेशों से हमारे यहां अपराध कम था और वह इसलिए था कि अपराधी के ऊपर बिना किसी भेदभाव के चाहे वह बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता रहा हो, कोई मंत्री रहा हो, कोई विधायक रहा हो, कोई जिलाध्यक्ष रहा हो, अगर उसने अपराध किया है तो उसके खिलाफ सख्ती के साथ कार्यवाही करने का कार्य बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। सांसद और मंत्री तक को जेल में पहुंचाने का कार्य किया गया। मुझे याद है जब मैं इसी सदन में संसदीय कार्य मंत्री के रूप में था, उस समय के तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष ने एक मुद्दा उठाया, उसी दिन जिस मंत्री के ऊपर आरोप लगा, उनका इस्तीफा लिया गया और इसके साथ ही साथ उनको आजीवन कारावास की सजा हुई थी। इस तरह की कार्यवाही करने का कार्य बहुजन समाज पार्टी की सरकार के समय किया गया था। निश्चित रूप से जब इस तरह से बिना भेदभाव के आप कार्यवाही करेंगे तभी इस तरह के अपराध पर नियंत्रण हो पायेगा।

मा0 राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की पहली लाइन है-मेरी सरकार ''सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः'' के आदर्शों को अपनाते हुए सभी वर्गों विशेष रूप से गरीबों, किसानों, वंचितों, शोषितों और समाज के अन्य उपेक्षित वर्गों के उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार संविधान की मूल भावना के अनुरूप बिना भेदभाव के प्रदेशवासियों को शासन की योजनाओं का लाभ उपलब्ध करा रही है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान एवं महिलाओं सहित समाज के वंचित और उपेक्षित वर्गों का उत्थान सरकार की प्राथमिकता है। 'सबका साथ, सबका विकास' नारा दिया है, लेकिन इस दिशा में कार्य क्या हो रहा है, किसान के बारे में अभी हमारे साथी ने जिक्र किया। मैं बहुत सी बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन आज किसान बेसहारा है। धान के उत्पादन की ठीक से खरीद करने का कार्य नहीं किया गया। हमारे सभी सम्मानित विधायक गांव से आते हैं। हम लोगों के द्वारा पैरवी करने पर हो सकता है कि उसका धान सीधे खरीद लिया जाए और हो सकता है कहीं-कहीं ऐसा हुआ भी होगा। मैं उस पर बहुत जोर नहीं देना चाहूंगा, लेकिन क्या कारण है कि आज भी किसान अपने धान को 1200 और 1300 रु0 कुंतल बेचने के लिए मजबूर है, इसका क्या कारण है? अगर आपने 1750 रु0 में धान की खरीद करने का महामहिम के अभिभाषण में जिक्र किया है कि 43 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। निश्चित रूप से खरीदा गया, लेकिन किस माध्यम से ? किसानों के खाते में पैसा गया, लेकिन किस माध्यम से ? हमने ले जाकर आढ़त पर अपना धान दिया, आढ़तिया ने

हमसे खतौनी ली और उसके बाद हमारी खतौनी पर उसने भुगतान करा दिया और जो हमसे रेट तय था, वह रेट हमें मिल गया। इस तरह से कुछ होगा किसान के नाम पर जो किसान की खतौनी दूसरे की लगी, धान दूसरे का और उसका भुगतान हो गया। खाते में तो भुगतान हुआ, लेकिन वास्तविक किसान को नहीं हुआ और उसी का परिणाम है कि आज किसान निश्चित तौर पर 1200 और 1300 रु0 में धान बेचने को मजबूर है। कोई भी ऐसा जिला नहीं होगा, जिस जिले में 1300 रु0 से ज्यादा धान आज बिक रहा होगा। यह इसलिए है कि किसानों के साथ ठीक से व्यवहार करने का कार्य नहीं किया गया।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अभी गन्ना किसानों की चर्चा हुई। हमारे काबिल गन्ना मंत्री जी जो जवाब कम देते हैं और भाषण ज्यादा देते हैं, उन्होंने जिक्र किया कि हमने 52000 करोड़ रुपये का भुगतान किया। उन्होंने और उल्लेख किया कि हमारी सरकार में सात से लेकर 12 तक 57 हजार करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था हमने 22 महीने में 52 हजार करोड़ का भुगतान कर दिया । बात सही है हुआ होगा मैं कहां मना करता हूं लेकिन उस समय कितना बकाया था उसके सापेक्ष कितना भुगतान हुआ आपके समय में कितना गन्ना मूल्य हुआ उसके सापेक्ष कितना भुगतान हुआ आपने किसान हितैषी का बड़ा ढिढोरा पीटने का काम किया आज गन्ने का दाम एक रुपया प्रति कुंतल भी बढ़ाने का काम नहीं किया गया हमारी एक मात्र सरकार जो 70 वर्षों में थी उसने एक साल में चालीस रुपया गन्ने का दाम बढ़ाने का काम किया था। हमारी एक मात्र ऐसी सरकार है माननीय गन्ना मंत्री जी इसको आप नोट कर लें कि जिसने 14 दिन के बाद भुगतान करने पर ब्याज सहित भुगतान कराने का काम किया है। पहली ऐसी सरकार थी। उसके बाद कहते हैं कि हम बड़े गन्ना के हितैषी हैं 6 हजार करोड़ से ज्यादा बकाया है 48 प्रतिशत से ज्यादा भुगतान नहीं हुआ ढाई सौ दो सौ डेढ़ सौ रुपए में क्रेशर पर गन्ना बेचने के लिए किसान मजबूर हैं दूसरी तरफ रसायनिक उर्वरक को लें पहले 50 रुपए कि0 की बोरी आती थी आपने दाम न ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़े तो पॉच किलो निकाल लिया 45 किलो कर दिया अब डी0ए0पी0 खाद लेना हो कितने में मिल रही है 1450 रुपए बोरी वह भी 45 किलो की बोरी अगर 50 किलो की कर दीजिए तो उसको दाम 1611 रुपए हो जाएगा। एक हजार से बढ़कर 1611 रुपया हो गया इसी तरह से एन0पी0के0 खाद का दाम बढ़ गया बिजली का दाम दो गुना बढ़ गया पहले पांच हार्स पावर का मोटर लगता था निजी नलकूप के लिए उसका दाम 600 रुपए था आज 900 रुपया हो गया उसके बाद पीठ थपथपाते हैं कि हम किसान के हितैषी हैं। मान्यवर, हर स्तर पर बिजली का दाम दो गुना बढ़ा दिया गया और बड़ा पीठ थपथपाने का काम किया गया कि किसान को दिन रात की ठण्डक में सिंचाई न करना पड़े इसलिए दिन में उसको बिजली देने का काम किया जाएगा मैं आज भी गांव में रहता हूं और शुद्ध गांव में रहता हूं मैं डेली देखता हूं सात-आठ बजे लाइन कट जाती है और फिर 12 बजे और 2 बजे के पहले आती नहीं है किसान कब सिंचाई कर लेगा मैं गांव में रहता हूं।

(सत्ता पक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा इस पर असहमति का भाव दिखाने पर)

मैं गलत बयानी नहीं कर रहा हूं। मैं आज भी गांव में रहता हूं आप शायद ही मेरी तरह इंटीरियर गांव में रहते होंगे एक दिन भी ऐसा नहीं है लखनऊ के अलावा जिस दिन में

गांव में न रहता हूं। मैं सुदूर के गांव में रहता हूं। मैं शुद्ध रूप से उससे वाकिफ हूं और बिजली से पूरी तरह से वास्ता रखता हूं। किसी भी शहर में नहीं रहता। यह कहना कि हम दिन में देंगे यह अगर भाषण से बिजली मिलती तो हर सरकार 24 घण्टे बिजली देने का काम करती। आपने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि 24 घण्टा हम अनवरत बिजली देने का काम करेंगे हर घर को लेकिन क्या आज वह मिल रही है। आपने जो अपने संकल्प पत्र में वायदा किया था एक भी वायदे को पूरा करने काम नहीं किया। दूसरी तरफ किसान का जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वह अपनी फसल पैदा कर रहा है आपने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि नीलगाय और अवारा पशुओं से फसल की क्षति रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाया जाएगा वह पर्याप्त कदम क्या है आज फसल की फसल पूरी पहले तो नीलगाय केवल चरते थे आज छुट्टा सांड़ पूरी फसल को बर्बाद कर दे रहे हैं और यह गोवंश के नाम किसान की बरबादी को देखने का काम कर रहे हैं। आपने लोगों को जो सब्जबाग दिखाया उस दिशा में एक भी कदम उठाने का काम नहीं किया । इसी तरह से बिजली का जो दाम था निजी नलकूप का मैंने जिक्र करने काम किया घरेलू कनेक्शन जो एक कि0वाट का 225 रुपया था आपने बढ़ाकर 417 रुपए कर दिया कामर्शियल बिजली दो कि0वाट का 1200 रुपया था उसको बढ़ाकर आपने 2585 रुपए करने का काम किया इस तरह से किसान की कमर तोड़ने का काम किया। दूसरी तरफ आपने वंचित का सवाल किया उपेक्षित का सवाल करने का काम किया आज जिस तरह से पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति को जो संविधान में बाबा साहब के अथक प्रयासों के कारण हमें रिजर्वेशन मिला हमें आरक्षण मिला मण्डल आयोग के तहत आरक्षण मिला। उस आरक्षण को आज पूरी तरह से रद्दी की टोकरी में रखने का काम किया जा रहा है, उसको निष्प्रभावी करने का काम किया जा रहा है। अभी 13 प्वाइंट रोस्टर का जो सवाल है, यूनिवर्सिटी के एक विभाग में वांट निकलेगी, पहला पद जनरल होगा, दूसरा पद जनरल होगा, तीसरा पद जनरल होगा और अगर चार पद होंगे तो चौथा पद ओ0बी0सी0 का होगा, पांचवां पद फिर जनरल होगा, छठवां पद फिर जनरल होगा और सातवां पद एस0सी0 का होगा यानी एक विभाग में अगर 07 पद होंगे तो उसमें एक ओ0बी0सी0 और एक एस0सी0 का पद होगा। उसके रिजर्वेशन के साथ खिलवाड़ करने का काम जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, यह समाज आपको माफ करने वाला नहीं है।

मान्यवर, मैं दूसरी तरफ कहना चाहूंगा कि अभी आपने 05 मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षकों की भर्ती के लिये विज्ञप्ति निकाली है। कुल 360 पदों की विज्ञप्ति निकाली गयी है, जिसमें करीब 105 पद प्रोफेसर के, 140 पद एसोसियेट प्रोफेसर के और 115 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं। अनूसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के रिजर्वेशन के साथ इससे बड़ा खिलवाड़ और क्या हो सकता है कि 360 पदों में शून्य रिजर्वेशन है। यह सरकार पिछड़े वर्ग और अनूसूचित जाति के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। इस पर तो निश्चित रूप से अलग से विचार-विमर्श होना चाहिये। क्या इस तरह आप वंचित समाज के साथ न्याय करने की बात कर रहे हैं? इस तरह से तो आप उनके साथ अन्याय करने का काम कर रहे हैं कि 360 पदों में से एक पद भी न तो अनूसूचित जाति के लिये है और न ही पिछड़ी जाति के लिये है। इस तरह से इसकी धज्जियां उड़ाने का काम किया जा रहा है। इसी तरह से अभी इस सरकार ने उर्वरक के दाम बढ़ाने का काम किया। चिकित्सा शिक्षा के बारे में इन्होंने कहा

कि हम 25 मेडिकल कॉलेज स्थापित करेंगे। आप 08 मेडिकल कॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं वह भी शिक्षकों की कमी को देखते हुए। मुझे तो नहीं लगता कि वह मेडिकल कॉलेज मान्यता प्राप्त कर पायेंगे। इसी तरह से इन्होंने कहा था कि हम 06 एम्स के बराबर का चिकित्सालय स्थापित करने का काम करेंगे, लेकिन अभी तक आपने वह भी करने का काम नहीं किया है। आपने कहा कि प्रत्येक गांव में हम उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करेंगे, लेकिन एक भी गांव में उसकी स्थापना करने का काम नहीं किया है। आपने कहा कि 70 लाख रोजगार के अवसर पैदा किये जायेंगे। मा0 मंत्री जी एक दिन जवाब दे रहे थे कि हमनें दो लाख, ढाई लाख लोगों को कम्पनियों में रोजगार दिलवाने का काम किया, लेकिन 70 लाख का मतलब एक साल में 14 लाख रोजगार होंगे तब जाकर 05 साल में 70 लाख होगा। उस दिशा में आप कितना आगे बढ़े हैं, यह आप बताने का काम करेंगे। इन्होंने कहा था कि जो सरकारी रिक्तियां हैं उसको 90 दिन में भरने का काम करेंगे और आरक्षण के नियमों के अनुसार भरने का काम करेंगे। अभी मा0 उज्जवल रमण सिंह जी ने कहा कि अभी 05 लाख रिक्तियां हैं तो मा0 मंत्री जी, अभी 90 दिन हुए कि नहीं हुए, 90 दिन से ज्यादा बीत गये, लेकिन अभी तक उन रिक्तियों को भरने की दिशा में आपने कोई ठोस कदम उठाने का काम नहीं किया है।

आपने कहा था कि कॉलेज में दाखिला लेने वाले सभी युवाओं को हम मुफ्त लैपटॉप देने का काम करेंगे, लेकिन उस दिशा में भी आपने अभी तक कोई ठोस कदम उठाने का काम नहीं किया है। मा0 मंत्री जी ने सुबह एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि उत्तर प्रदेश के शहरों में जो पात्र व्यक्ति थे, 14 लाख का आवेदन 30 लाख का आया था, हमनें सर्वे कराया तो 14 लाख आवेदन हुए, 09 लाख पात्रता की सूची में आये और उनको पात्रता के आधार पर हमनें आवास आवंटित करने का काम किया और बहुत ढिंढोरा पीटा कि हमनें उनके लिये बहुत ज्यादा पैसा दे दिया। अब भी पॉच लाख बचे हैं। हमारी सरकार थी तो बहन कु0 मायावती जी ने मान्यवर कांशीराम जी शहरी आवास योजना शुरू करने का काम किया। अगर उसकी कॉस्ट जोड़ी जाए तो जमीन की कॉस्ट सहित 20 लाख का मकान निःशुल्क बिना पक्षपात के देने के काम किया। कई शहरों में मान्यवर कांशीराम आवास बने हुए हैं, मेरे ही जिले में बने हुए हैं टांडा में ही बना हुआ है, बड़ा आलीशान आवास बना हुआ है, लेकिन अभी तक उसका आवंटन ही यह सरकार नहीं कर पाई है। इस तरह से कई अन्य जगहों पर भी वह आवास बने हुए हैं जिनका आवंटन करने का काम नहीं किया गया है। आपने कहा 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'। क्या नारे से बेटी बच जायेगी ? उसी बेटी बचाओ का परिणाम है कि इस तरह से काम किया। हमारी सरकार ने बेटी बचाने का काम किया था और महामाया बालिका आशीर्वाद योजना शुरू की थी कि किसी गरीब के घर में बेटी पैदा होते ही उसको लखपति बनाने की योजना चालू करने का काम किया था और उस बेटी को पढ़ाने के लिए कक्षा दस पास करने के बाद कक्षा ग्यारह में 15 हजार रुपये और साईकिल दी जाती थी और कक्षा बाहर में पहुँचने पर दस लाख रुपया देने का काम हमारी सरकार ने किया था। क्या आप इस तरह की कोई योजना ला रहे हैं ? निश्चित रूप से केवल भाषण से हम ''बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'' का नारा बुलन्द नहीं कर सकते हैं। इस दिशा में इस सरकार ने कोई ठोस उपाय करने का काम नहीं किया है। इसलिए आज मैं इस बात को दावे के साथ कहना

चाहता हूँ कि यह सरकार हर मुद्दे पर फेल है। अभी महामहिम राज्यपाल जी ने कहा कि हमने शौचालय बनाकर इज्जत घर बनवाया और 75 जिलों को ओ0डी0एफ0 घोषित किया जा चुका है।

मान्यवर, आप तो अपने गांव जाते ही होंगे और गांव के अन्दर की पतली सड़क की हालत भी देखते ही होंगे उसी से पता चल जाता होगा कि प्रदेश ओ0डी0एफ0 हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं भी अपने गांव जाता हूँ और एक सड़क को छोड़ कर 7-8 किलोमीटर घूम कर जाता हूँ इसलिए घूमकर जाता हूँ क्योंकि ओ0डी0एफ0 की जो शक्ल है वह सड़क पर दिखायी पड़ती है। वह सड़क, सड़क कम दिखायी पड़ती है शौचालय ज्यादा दिखायी पड़ता है। अगर आपने प्रदेश को ओ0डी0एफ0 बना दिया होता तो आपको उसका अनुभव होता हमारे तमाम मा0 सदस्य हैं कोई आलोचना के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरे भी मन में यह धारणा है कि शौचालय विहिन व्यक्ति नहीं होना चाहिए हर घर को शौचालय मिलना चाहिए और सड़क को शौचालय के रूप में प्रयोग कदापि नहीं होना चाहिए लेकिन आप भी जब गांव का दौरा करते होंगे तो आपकी गाड़ी थोड़ी देर में ही टायर पर जो गन्दगी लग जाती होगी उससे बदबू करने लगती होगी। इस तरह से जुमलों के आधार पर तो आपने प्रदेश को ओ0डी0एफ0 घोषित कर दिया है लेकिन वास्तविक धरातल में उस दिशा में कोई ठोस उपाय करने का काम आपने नहीं किया है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह सरकार हर मामले में, हर मुद्दे पर पूरी तरह से असफल साबित हुई है और अब जुमले के आधार पर वैतरणी पार करना चाहती है और इस पूरे अभिभाषण मे जुमलों के अलावा सरकार की नीति का दिशा-निर्देश इसमें नहीं दिया गया है और मैं कह सकता हूँ कि अब इन जुमलों को जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इन्हीं जुमलों का उदाहरण आपने अन्य जगहों पर देखा है। आप गोरखपुर की सीट हार गए, फूलपुर की सीट हार गए और कैराना की सीट हार गए। बड़ा हिन्दू-मुस्लिम उछालने का प्रयास किया गया था और वहां पर भी आप हार गए। जिन पांच जगहों में चुनाव हुए है उन सभी जगहों पर आपको मुँह की खानी पड़ी है इसलिए मुँह की खानी पड़ी क्योंकि जनता सब कुछ समझती है और वह समझ रही है और अब जवाब दे रही है। इसलिए मान्यवर, इन बातों के साथ मैं माननीय नेता विरोधी दल ने जो संशोधन रखा है उस पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मा0 सदस्यों को बोलने के लिए कितना-कितना समय निर्धारित किया गया है ?

श्री अध्यक्ष-

हमने लालजी वर्मा जी से 20 मिनट ही बोलने के लिए कहा था और उन्होंने नियत समय में ही समाप्त किया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

ठीक है, मान्यवर।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष के संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुए यह जो 30 पन्नों का दस्तावेज है इसमें लिखी बातों का दूर-दूर तक धरातल स्तर पर कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। मान्यवर, सरकार ने जो महामहिम राज्यपाल महोदय से इस सदन में असत्य बुलवाया है उसका प्रमाण मैं आपको तथ्य के साथ देना चाहूँगा। इन्होंने स्वच्छता कार्यक्रम को इसमें अंकित किया है कहा है कि 75 जनपद पूरी तरह से शौचमुक्त घोषित हो गये हैं। मेरे पास आकड़ा है मुख्य मंत्री जी जिस जनपद से आते है वह है गोरखपुर, मेरे पास वहां से मांगे गए जनसूचना का आंकड़ा है 55 हजार शौचालय अब तक नहीं बने हैं। अगर ऐसे देखा जाये तो पूरे के पूरे 75 जनपदों में अभी लाखों ऐसे लोग हैं जिनका शौचालय आज तक नहीं बन पाया है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने इन्सेफ्लाइटिस और दिमागी बुखार के आंकड़े दिये हैं। मैंने प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, नेहरू चिकित्सालय, गोरखपुर मेडिकल कालेज से आंकड़े लिये हैं उसके अनुसार एक वर्ष में कुल 997 मरीज भर्ती हुये हैं और कुल 161 मृत्यु हुई हैं। इसी सदन में माननीय नेता सदन ने कहा था कि एक साल में छह मृत्यु हुई हैं। महोदय, कितना अफसोसजनक है कि जब उत्तर प्रदेश के सदन के मुखिया इस सदन में इस तरह असत्य बात को रखेंगे जो महन्त हैं, जो योगी की उपाधि से नवाजे जाते हैं, जो गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं ऐसे लोग भी अगर असत्य सदन में बोलेंगे तो उत्तर प्रदेश में कैसी स्थिति होगी।

श्री अध्यक्ष-

आप व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिये।

***श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

माननीय अध्यक्ष जी, हालात यह हैं कि सदन में यह कहा गया कि वर्ष 2017 में कुल 63 प्रतिशत और 58 प्रतिशत रोगियों की कमी आई है। मेरी जानकारी के अनुसार 2017 में 22.69 प्रतिशत और 2016 में 26.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह इन्सेफ्लाइटिस, दिमागी बुखार ए0ई0एस0 और जे0ई0एस0 की स्थिति है। इस सरकार ने श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पृष्ठ 26 पर बनटॉगिया ग्रामों के विकास की बात कही है। श्री राज्यपाल महोदय से इस तरह असत्य बुलवाया गया कि बनटॉगिया और मुसहर जाति में इन्होंने कहीं से कोई भेद नहीं समझा। बनटॉगिया वह लोग थे जो जंगल और जमीन में वर्षों से रहते थे जो राजस्व ग्रामों के अभिलेखों में दर्ज नहीं थे, जो तमाम सुविधा से महरूम थे। उस गांव के लोगो का नाम बनटॉगिया था ओर मुसहर एक ऐसी जाति है जो कुशीनगर ही नहीं, गोरखपुर ही नहीं, पूर्वान्चल के तमाम जनपदों में वर्षों से स्थापित हैं, जिन्हें मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है, जिन्हें तमाम तरह की सुविधायें पिछली समय में सरकारों ने दी हैं और इस सरकार ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर मुसहर भाइयों का देखा जाये तो 14 सितम्बर को दो मुसहर जंगल फिरकिया में दम तोड़ दिये, रकबा दुर्मापट्टी में मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन मुसहरों ने दम तोड़ दिया, 26 दिसम्बर को चिरइया में एक मुसहर ने और पड़रौना जिला मुख्यालय पर दो मुसहर भाई मर गये इसलिये क्यों कि उनका इलाज नहीं हो पाया। वह भूख से मर गये उनके पास इतने पैसे तक नहीं थे कि उनके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

घर पर भोजन बने। डॉक्टर ने प्रमाणित कापी दिया यह कहते हुए वह टी0बी0 के मरीज थे और हम सब जानते हैं कि टी0बी0 की बीमारी उसी आदमी को होती है जिसके पास खाने को नहीं होता है। इस सरकार ने बनटॉगिया और मुसहरों में कोई फर्क नहीं समझा और यह लिख दिया कि मुसहर जाति के लोगो को कभी मताधिकार देने का अधिकार नहीं था। इस तरह का असत्य इस सदन में रखकर कहीं न कहीं पूरे प्रदेश को गुमराह करने का काम किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर देखा जाये तो हालात यह है कि इन्वेस्टर्स सम्मिट का इतना बड़ा ढिंढोरा पीटा गया। एक चीज तो है कि यह सरकार ब्राण्डिंग में मास्टर है। होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगाकर और फोटो खींचकर वेबसाइट पर डालकर, टी0वी0 पर प्रचार करके कि आइये उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और यह देखिये कि भगवान जी यह चले और गंगा और पूरा रास्ता इधर से ही निकल गया। आज यह हालत हैं। इन्वेस्टर्स सम्मिट में इतने पैसे खर्च किये गये, सम्मिट में इन्वेस्टर्स लोगो को बुलाया गया और नतीजा क्या निकला उसमें भी बहुत सारी कम्पनियां ऐसी निकली जिन पर सी0बी0आई0 जांच चल रही है। बहुत सारी ऐसी कम्पनी थी जिनके पास आय-व्ययक का लेखा-जोखा नहीं था। आज तक एक भी रुपया इन्वेस्टर सम्मिट के नाम पर किसी भी इन्वेस्टर का कहीं भी नहीं लग पाया। पिछली सरकार ने जो सैमसंग कंपनी से करार किया था उसी सैमसंग का नाम लेकर सरकार ने इन्वेस्टर्स सम्मिट में अपनी पीठ थपथपाने का प्रयास किया है। मान्यवर, इसमें सुपर स्पेशियलिटी का जिक्र किया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि किसने बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशियलिटी देने का काम किया था? आदरणीय यू0पी0ए0 कांग्रेस की सरकार ने 500 बेड का हॉस्पिटल दिया था जो आज तक पूरा नहीं हो पाया है और न ही उसका उद्घाटन हो पाया है। मान्यवर, हालात यह है कि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर विहीन स्थिति है। डॉक्टर कहीं नहीं हैं केवल एक बिल्डिंग बची हुई है। मान्यवर, उज्जवला योजना की बात हुई। इस योजना में विद्वान साथी का एक अभिलेख आया था उसको आपने भी देखा था और हमने भी देखा था। जितना इन्होंने गैस सिलेण्डर बांटा 75 प्रतिशत लोगों ने दोबारा जाकर सिलेण्डर लेने का काम नहीं किया। आपने केवल सिलेण्डर बांटा और इतना ही नहीं उनकी सब्सिडी का पूरा पैसा दो साल में रिकवरी करने का काम किया। एक तरफ आप कहते हैं कि हम मुफ्त में सिलेण्डर दे रहे हैं और दूसरी तरफ गैस का पैसा जो 900 रुपया लेते हैं जिसमें पूरी सब्सिडी को रखकर आप उससे पैसा रिकवरी कराने की बात करते हैं। आप उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत की जनता को गुमराह करने की बात करते हैं। मान्यवर, कानून व्यवस्था का आलम यह है कि पूरा प्रदेश अराजकता की भेंट चढ़ा हुआ है।

लूट, डकैती तथा हत्या अपनी चरम सीमा पर है। व्यक्ति अपने घर से निकलेगा और वापस घर पहुंचेगा कि नहीं इसकी कोई निश्चितता नहीं है। आज हालात यह है कि अभी आपने यह देखा कानून व्यवस्था का क्या आलम है ? इन्हीं के विंग के एक संगठन ने गांधी जी का पोस्टर लगाकर उस पर बन्दूक चलाने का काम किया। मान्यवर, हिन्दू सभा के लोग कौन हैं और अब तक उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है और मुझे आज ज्ञात हुआ है कि उनके खिलाफ सिर्फ गिरफ्तारी हुई है। ऐसे लोगों की जिस समय यह घटना हुई है उसी समय गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। हालात यह है कि आज जनता पुलिस को मार रही है और पुलिस जनता को मार रही है। सहारनपुर की घटना अभी कुछ दिन पहले की है जिसमें

इंस्पेक्टर सुबोध को भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला है। यह पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था का आंख खोलने का काम करता है। मान्यवर, आगरा में एक लड़की को जिंदा जला डाला यह कौन सी कानून व्यवस्था है? हालात यह है कि रोज कहीं न कहीं व्यापारी, सर्राफा दुकानदार की लूट की खबर आती है। नोएडा इण्डस्ट्री का हब बना हुआ है, लेकिन अपराध की और लूट की रोज घटना होती हैं। गाजियाबाद हब बना है। कानपुर हब बना है। लखनऊ हब बना है जहां राजभवन के सामने हत्या हो जाती है इससे बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति और क्या होगी ? मान्यवर, कुशीनगर के हालात यह है कि आज ही सुबह मुझे सूचना मिली कि कल रात अवैध शराब पीने से दो लोगों की मृत्यु हो गयी। अवैध शराब खुले आम बिक रही है और यह किसके शह पर बिक रही है ? यह भी सरकार को बताना पड़ेगा। जो महिला अपराध की बात हुई है। पूरे प्रदेश का आंकड़ा आदरणीय उज्जवल रमण सिंह जी ने पेश कर दिया और हमारे बहुजन समाज पार्टी के नेता ने भी अपनी बात को पूरे सदन में रखा।

श्री अध्यक्ष-

आप कोई नई बात हो तो कहिए यह सब तो कह चुके हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, मैं थोड़ी सी बात कहूंगा। मैं केवल गोरखपुर की बात बता दूं जहां से मा0 मुख्य मंत्री जी आते हैं। वर्ष 2016 में 105 रेप हुए थे और वर्ष 2017 में 91 और 2018 में बढ़कर 113 रेप की घटनाओं का जिक्र एफ0आई0आर0 में अंकित है। सरकार कैसे कहती है कि अपराध गिरा है। अपराध कास्को एक्ट 2018 में 173 और 2017 में 75 तथा 2016 में 104 यह रिकार्ड बढ़ा नहीं है तो और क्या है ? 28 प्रतिशत महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ा है। रोज कहीं न कहीं लड़कियों के साथ जिस तरह की घटनाएं आ रही हैं उत्तर प्रदेश अपने आपको शर्मशार महसूस कर रहा है। आप बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी केवल नारों में इस चीज को लाने की यह बात करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह अभिभाषण तो राज्य सरकार का है इससे प्रधानमंत्री का कोई लेना-देना नहीं है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

आज प्रदेश में गुण्डाराज स्थापित है। आज प्रदेश अराजकता में है। आज प्रदेश के लोगों में खौफ और दहशत का माहौल है। इन्होंने किसान की बात की। आज किसान की हालत यह है कि आज किसान खून के आंसू रो रहा है। किसान के गन्ने का दाम नहीं मिल रहा है। 30 सालों के इतिहास पहली बार हुआ है कि गन्ने का समर्थन मूल्य एक रुपया भी बढ़ाने का काम इस सरकार ने नहीं किया है। जो सरकार किसानों पर बड़ी-बड़ी बात करती थी। आज कर्जमाफी के नाम पर यह स्थिति है कि आज मैंने इसी सदन में प्रमाण दिया था मेरे पास हजारों ऐसे प्रमाण हैं कि इस सरकार ने आज तक इन किसानों को कर्जमाफी के दायरे में लाने का काम नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, खाद का दाम बढ़ रहा है और दाम घटाने के नाम पर उसका 05 किलो कम कर दिया है। धान क्रय केंद्र की खरीद की बात इन्होंने की है। अध्यक्ष जी, मैं आपको धान क्रय केंद्र का आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, 2015-16 में

43.43 लाख मी0टन खरीद हुयी थी और इस सरकार में वर्ष 2018-19 में मात्र 43 लाख मी0टन, 2017-18 में 50 लाख मी0टन की बात इन्होंने की थी। आज आलू उत्पादक किसान की क्या हालत है। आज उसकी हालत यह है कि आलू उत्पादक किसान खून के आंसू रो रहा है। 100 करोड़ की घोषणा इसी सदन में हुयी थी और मात्र 07 करोड़ रुपया दिया गया जिसमें 06 करोड़ व्यापारी का है, 01 करोड़ किसान को मिला और किसानों को उसका लाभ आज तक नहीं मिल पाया है। आज आलू की हालत क्या है, आलू के कोल्ड स्टोरेज में भाड़े की स्थिति क्या है। आज आलू की जो लागत मूल्य है उसके सापेक्ष भी सरकार उसका मूल्य घोषित करने की स्थिति में नहीं है। केवल असत्य की बुनियाद पर यह सरकार खड़ी होकर कहीं न कहीं देश और प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, पुरानी पेंशन बहाली प्रदेश के कर्मचारियों की मांग है। और रोज धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी सदन चल रहा है। सचिवालय के ही सारे कर्मचारियों ने इस बात का ऐलान किया है कि 07 तारीख को हम सभा करेंगे। अध्यक्ष जी, हमने इसी सदन में इस बात को उठाया था। सरकार ने कहा था कि हम विचार करेंगे। नई पेंशन स्कीम लाये। वह नई पेंशन स्कीम कहीं से कर्मचारियों के हित में नही है। 60 वर्ष तक नौकरी करने वाला व्यक्ति जब नौकरी से रिटायर होता है तो कहीं न कहीं पेंशन की आवश्यकता होती है। उसकी जीवनचर्या उसी से होती है। जिस बाप के पास पैसा नहीं होता मैंने देखा है अध्यक्ष जी, कि उसको उसका बेटा भी नहीं पूछता। आने वाले दिन में जब कर्मचारी 60 साल कमा लेगा और कमाने के बाद जब घर जायेगा उसके पास पेंशन नहीं होगा तो आने वाले दिन में उसकी स्थिति क्या होगी।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, बस अंतिम बात कहनी है। अध्यक्ष जी, इन्होंने कुम्भ का ढिंढोरा पीटा। अध्यक्ष जी, वेबसाइट पर देखिये। रात का फोटो आयेगा दिन का नहीं आयेगा। रात की रोशनी चमचम-चमचम। शौचालय बनाये गये, शौचालय की हालत क्या है। शौचालय में अध्यक्ष जी, लूट हुयी है। अस्थायी अस्पताल में दवा वैसे ही डम्प पड़ी हुयी है। मानक के विपरीत दवा खरीद हुयी है। कुम्भ के नाम पर करोड़ों रुपये की लूट इस सरकार के लोगों ने किया है। मैं सी0बी0आई0 जांच की मांग करता हूं कि उन तमाम लूट में जो लोग संलिप्त हैं हजारों करोड़ रुपया लूट हुयी है। अध्यक्ष जी, जो एक सामान कामनवेल्थ में घोटाला हुआ था पूरे देश ने देखा था। धीरे-धीरे पर्दा उठेगा अध्यक्ष जी।

(इस बीच श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल के द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर उनका माइक ऑफ था।)

मुझे बोल लेने दीजिए। आप बैठिये। आप बैठिये।

श्री अध्यक्ष-

चन्देल साहब, आप बैठिये। विनोद जी, इनको बैठाइये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, जो ट्वायलेट का निर्माण कम पैसे में हो सकता था। उससे ज्यादा में बनाया गया। जितने सामान उसमें भाड़े के लिये गये। मान्यवर, जितने पैसे से भाड़े का सामान लिया गया है अगर उतने पैसे से नया सामान लिया जाता तो शायद उससे कम में निर्मित हो जाता और पैसा बच भी जाता, लेकिन उससे ज्यादा पैसा लिया गया है। कुम्भ के नाम पर आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, लोग कह रहे थे कि जो कुम्भ में जायेगा वह वहां गंगा में डुबकी लगायेंगे और सरकार का गुणगान करेंगे। इतिहास में पहली बार कुम्भ में एक पण्डाल में आग लग गई, यह पहले कभी-भी नहीं हुआ है। कुम्भ के हालात यह थे कि 17-20 किलोमीटर लोग पैदल चलकर के आये, जो लोग आये उनको भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा, यह जगजाहिर है। आस्था के केन्द्र का राजनीतिकरण किया गया, कभी आस्था के केन्द्र पर कैबिनेट नहीं हुआ है। यह कहीं-न-कहीं आस्था के साथ राजनीतिकरण किया गया है, वोट आस्था पर नहीं मिलता है वोट मुद्दे और विषयों को देखकर मिलता है, वोट जनता के साथ खड़े होने पर मिलता है और आप लोगों ने कहीं-न-कहीं धर्म के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। मैं इस संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि कभी-कभी मेरी वाणी को भी सुन लें क्योंकि जब ऊधर से कटु वचन होता है तो आप मूकदर्शक बने रहते हैं, कभी-कभी हमारी सच्चाई को भी सुन लें ताकि उनकी पोल खुल जाये और सारी स्थिति आपके सामने आ जायेगी।

***श्री नील रतन सिंह पटेल 'नीलू'-**

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। मा0 राज्यपाल जी ने जो अपने अभिभाषण में कहा उसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं, चाहे इलाहाबाद में जिसे आज प्रयागराज का नाम दिया गया है उस प्रयागराज में जो ऐतिहासिक कुम्भ की छटा देखने को मिली, उसको देख करके विश्व के कोने-कोने से तमाम प्रवासी भारतीय आये हुए थे, उनके मन उत्तर-प्रदेश के प्रति जो भाव था वह भाव बदला और पर्यटन के क्षेत्र में इस उत्तर-प्रदेश को ढेर सारी संभावनाएं आने वाले समय में मिलने जा रहीं हैं और एक जनपद एक उत्पादन इस पर मैं कहना चाहूंगा कि आज तमाम जो पिछड़े, दलित समाज के लोग तमाम सामान्य समाज के लोग जो गरीब है जो गांव के खेतों, खलिहानों में रहते हैं। एक जनपद एक उत्पादन उसमें तमाम कुटीर उद्योगों के नाम पर हमारे कुम्हार भाई जो पूर्ण रूप से उनके अन्दर कला थी वह मरती चली जा रही थी लेकिन हमारी सरकार उनको सोलर-चाक दे करके उनके अन्दर की कला को निखरने का काम किया है और उनके उत्पादन को डम्प नहीं होने दिया। इसके लिए हमारी सरकार ने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर चाय पीने के लिए कुल्हड़ का प्रयोग किया जायेगा। किसानों के लिए कहना चाहूंगा कि चाहे सब्जी किसान हो, चाहें धान किसान हों, चाहे गन्ना किसान हों, चाहें गेंहू किसान हों, चाहे आलू किसान हों, हमारी सरकार के द्वारा उनकी फसलों को खरीदने की समुचित व्यवस्था की गई और उनका जो पेमेण्ट था उनको सही समय पर देने का काम किया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बनारस जनपद का रहने वाला हूं, हमारे क्षेत्र पूर्ण रूप से सब्जी किसान का क्षेत्र है और हमारे यहां राजा तालाब में कार्गो सेण्टर की स्थापना करके सब्जी किसानों के लिए एक बहुत बड़ी संभावना देने का काम हमारी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार ने किया है। आज रेलमार्गों के माध्यम से जहां पर सब्जी का उत्पादन नहीं होता है, पूर्वांचल के किसानों का सब्जी जैसे टमाटर हो, चाहे मटर हो, चाहे मिर्च हो, चाहे लौकी हो, चाहे करेला हो, ये तमाम सब्जियां देश के कोने-कोने में पहुंच रही है। मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूं और पूर्वांचल का किसान आज कृषि में उद्योग को देखने का काम कर रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्वच्छता के क्षेत्र में कहना चाहूंगा कि पूरे देश में स्वच्छता अभियान को जिस तरीके से चलाने का काम किया गया, हमने आम इंसानों के बीच में जाकर देखा है अगर कोई कागज का टुकड़ा भी उनके पास होता है तो वे एक बार सोचते हैं कि उसको मैं कहां फेंकने का काम करूं, उसको डस्टबिन में ले जाकर फेंकने का काम करते हैं या जहां पर कूड़े का निस्तारण होता रहता है वहां पर ले जाकर फेंकने का काम करते हैं, यह भाव लोगों के अंदर पैदा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहना चाहूंगा कि हमारे जो हॉस्पिटल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हुआ करते थे उनको प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरह सजाने-संवारने का काम किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्यों के क्षेत्र में यह व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम किया गया है। हमारे क्षेत्र में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की स्थापना होने जा रही है। हमारे क्षेत्र में जहां 6 बेड का हॉस्पिटल हुआ करता था उसे 30 बेड का बनाने का काम किया जा रहा है। उसके अलावा, तमाम सरकारी हॉस्पिटलों की दशा को सुधारने का काम किया जा रहा है। मैं विद्युत क्षेत्र के विषय में कहना चाहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश का किसान दिन में सिंचाई करने का काम कर रहा है। कल जहां विद्युत की चोरी होती थी, अवैध कनेक्शन के माध्यम से कटिया फेंक करके जहां बिजली की चोरी की जाती थी, आज उस पर अंकुश लगाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है। (सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाईं गईं)

आज गरीबों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देकर उन्हें प्रेरित किया गया और उन्होंने बिजली का कनेक्शन लिया है। जो अवैद्य रूप से बिजली जलाने का काम कर रहे थे आज वे नियमित बिजली जलाने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश की दशा बदल रही है, उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर देश-दुनिया के सामने थी, आज उसमें निरन्तर निखार आ रहा है। मैं कानून-व्यवस्था पर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आन्तरिक सुरक्षा को हमारी केंद्र की सरकार ने ठीक करने का काम किया है, हमारे प्रदेश की सरकार ने ठीक करने का काम किया है वह काबिल-ए-तरीफ है। जो थाने जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थे, उन्हें सजाने-संवारने का काम किया जा रहा है। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए आन्तरिक सुरक्षा में लगे हुए सुरक्षाकर्मियों को स्व-चालित असलहे देने का काम हमारी सरकार कर रही है, उससे अपराधियों का मनोबल कमजोर हुआ है और इस उत्तर प्रदेश को छोड़कर ज्यादा से ज्यादा अपराधी बाहर चले गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

बहुत धन्यवाद।

अब इस चर्चा में आज की अन्तिम वक्ता हैं, श्रीमती सरिता भदौरिया जी।

(श्रीमती सरिता भदौरिया के उपस्थित न होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम 51 की सूचनाएं लेता हूं। यह चर्चा कल जारी रहेगी।

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, अवगत कराया गया था कि शायद आज दलीय नेताओं का ही भाषण होगा। सरिता भदौरिया जी बोलने के लिए बैठी थीं, जब उनको यह मालूम हुआ कि केवल दलीय नेता ही बोलेंगे तो शायद इसलिए वह नहीं हैं। मान्यवर, यथावत् चर्चा जारी रहेगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, उन्हें कल बुला लेंगे। अब नियम 51 की सूचनाएं लेते हैं।

[2.55]

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 06.02.2019 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 41 सूचनाएं मिलीं, जिनमें से 17 सूचनाओं को स्वीकार किया गया।

पहली सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की एन0जी0टी0 के आदेशों की आड़ में गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नागरिकों का उत्पीड़न करने एवं आदेशों के विपरीत अपील दर्ज न किये जाने के संबंध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत, दूसरी सूचना श्री लालजी वर्मा की चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में पांच नए स्थापित मेडिकल कालेजों के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत, तीसरी सूचना श्री अजय कुमार लल्लू की जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत बांसी नदी के सुखपुरा स्केप के कतिपय टेल के सिल्ट की सफाई कराये जाने के संबंध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत, चौथी सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा कूड़े के प्रभावी प्रबन्धन हेतु कार्यवाही किये जाने के संबंध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत, पांचवी सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के अन्तर्गत गन्ना किसानों की गन्ना आपूर्ति हेतु की जा रही धांधली को रोके जाने के संबंध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

प्रथम सूचना श्री पंकज सिंह की नोएडा के एक मात्र राजकीय स्नातकोत्तर कालेज में विज्ञान, विधि एवं कला संकाय की कक्षायें संचालित कराये जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, दूसरी सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर में क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत व निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, तीसरी सूचना श्रीमती वन्दना सिंह की जनपद आजमगढ़ के जिला चिकित्सालय में न्यूरो, यूरो व गेस्ट्रो के चिकित्सक की नियुक्ति किये जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

प्रथम सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर के कतिपय ड्रेनों की सफाई कराये जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, दूसरी सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की

जनपद पीलीभीत में वन विभाग द्वारा फेन्सिंग कार्य कराये जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, तृतीय सूचना श्री बम्बा लाल दिवाकर की जनपद उन्नाव में कतिपय स्थानों पर रोड तथा नाली का निर्माण कराये जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, चतुर्थ सूचना श्री उमा शंकर सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा में चयनित ग्राम सभाओं में विद्युतीकरण का कार्य कराये जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, पांचवीं सूचना श्री रितेश पाण्डेय की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर में कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, छठी सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में अण्डखेड़ा साधन सहकारी समिति के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कराये जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, सातवीं सूचना श्री पंकज गुप्ता की जनपद लखनऊ में नगर विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित अमीनाबाद इण्टर कालेज में अध्यापकों को नियमित किये जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, आठवीं सूचना डा0 नीरज बोरा की जनपद लखनऊ के जानकीपुरम् क्षेत्र में प्रस्तावित बस अड्डा निर्माण कराये जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत और नवीं सूचना श्री विनोद कुमार कटियार की जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर के ब्लाक अमरौधा के अन्तर्गत मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

शेष माननीय सदस्यों की सूचनाएं अग्राह्य की गयीं।

अब हम कल 11.00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 02 बजकर 55 मिनट पर गुरुवार दिनांक 07 फरवरी, 2019 के अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 06 फरवरी, 2019

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या-1 का उत्तर पीछे पृष्ठ-16 पर।)

क्रमांक	जनपद का नाम	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19 (माह जनवरी, 19 तक)
1	2	3	4
1	आगरा	595.36	341.52
2	मैनपुरी	363.29	336.84
3	मथुरा	344.42	163.99
4	फिरोजाबाद	343.49	471.29
5	अलीगढ़	306.28	396.30
6	हाथरस	132.15	145.80
7	एटा	78.96	41.92
8	कासगंज	62.28	88.76
9	बरेली	168.30	167.81
10	बदायूं	359.52	280.65
11	शाहजहांपुर	763.47	497.00
12	पीलीभीत	172.13	110.51
13	मुरादाबाद	92.74	79.70
14	सम्भल भीमनगर	49.62	30.29
15	अमरोहा ज्योतिबाफूलेनगर	600.63	365.32
16	रामपुर	179.26	43.86
17	बिजनौर	526.03	486.21
18	झांसी	371.70	362.20
19	ललितपुर	275.18	124.94
20	जालौन	402.78	426.43
21	बांदा	417.91	180.29
22	हमीरपुर	577.32	379.53
23	महोबा	336.11	333.86
24	चित्रकूट	527.01	593.73
25	कानपुर	383.90	343.38
26	रमाबाई नगर (कानपुर देहात)	565.26	406.54

1	2	3	4
27	फरुखाबाद	223.13	162.52
28	कन्नौज	227.37	114.57
29	औरैया	155.99	287.00
30	इटावा	519.09	438.22
31	लखनऊ	663.74	174.32
32	रायबरेली	561.74	397.26
33	हरदोई	398.34	504.80
34	उन्नाव	615.03	129.85
35	सीतापुर	542.31	333.34
36	लखीमपुरखीरी	451.37	707.19
37	फैजाबाद	655.10	481.65
38	अम्बेडकरनगर	571.67	272.70
39	सुल्तानपुर	579.81	591.14
40	बाराबंकी	626.85	578.59
41	अमेठी	741.10	396.33
42	गोण्डा	349.14	320.19
43	बलरामपुर	202.37	119.28
44	श्रावस्ती	640.93	583.32
45	बहराइच	625.41	494.23
46	मेरठ	291.35	240.42
47	बागपत	76.57	68.94
48	गाजियाबाद	92.85	63.68
49	हापुड़	95.45	75.99
50	गौतमबुद्धनगर	321.25	265.94
51	बुलन्दशहर	308.82	343.95
52	सहारनपुर	337.87	224.05
53	मुजफ्फरनगर	274.67	193.15
54	शामली प्रतृद्धनगर	126.17	132.29
55	वाराणसी	310.13	172.24
56	गाजीपुर	139.74	125.24

1	2	3	4
57	जौनपुर	464.01	361.60
58	चन्दौली	617.58	398.30
59	इलाहाबाद	1055.61	742.67
60	कौशाम्बी	115.92	106.10
61	फतेहपुर	113.13	104.35
62	प्रतापगढ़	220.00	519.40
63	संतरविदास नगर	140.26	59.59
64	मिर्जापुर	717.10	491.52
65	सोनभद्र	1415.50	963.70
66	गोरखपुर	252.12	140.88
67	देवरिया	99.20	120.42
68	पडरौना (कुशीनगर)	201.97	143.80
69	महाराजगंज	253.83	174.14
70	बस्ती	304.31	172.49
71	संतकबीरनगर	358.46	269.39
72	सिद्धार्थनगर	224.38	209.41
73	आजमगढ़	262.52	122.19
74	मऊ	111.39	84.23
75	बलिया	240.10	238.34
	कुल योग :	**29289.86**	**21914.54**

नत्थी 'ख'

(देखिये नत्थी 'ख' अता0प्र0खं0-8 का उत्तर पीछे पृष्ठ-38 पर।)

वर्ष 2017-18 में गोपालपुर विधान सभा में कराई गई गड्ढ़ामुक्ति की सूची

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	लम्बाई (कि0मी0)	व्यय की गयी धनराशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4
1	मुबारकपुर-जीयनपुर-बिलरियागंज-महराजगंज मार्ग	8.00	7.00
2	पतिला-गौसपुर सम्पर्क मार्ग	2.00	0.60
3	सैदौली-गरथौली सम्पर्क मार्ग	1.50	0.45
4	विशुनपुर देवारा कदीम मार्ग से देवारा जदीद नौबरार किता-1	7.15	1.79
5	महेशपुर देवारा कदीम से पासीपुर मार्ग	0.82	0.16
6	परशुरामपुर सरदहा-शंकरपुर मार्ग से आराजी अमानी मार्ग-1	2.90	0.73
7	आजमगढ़-बिलरियागंज मार्ग से पटवध कौतुक	1.00	0.30
8	परशुरामपुर-शंकरपुर मार्ग से बुढाबे हिसामद्दीनपुर	2.00	0.50
9	बिलरियागंज-महराजगंज मार्ग से महाजी सिघवारा	1.50	0.45
10	आजमगढ़-बिलरियागंज मार्ग से तेन्दुआ	3.00	0.60
11	आजमगढ़-दोहरीघाट मार्ग से बलिया कल्यानपुर मार्ग	2.40	0.60
12	महराजगंज नौबरार देवारा जदीद से देवारा कदीम मार्ग	2.50	0.75
13	कन्धरपुर से जोलहापुर से कुवां देवचन्द पट्टी मार्ग	0.84	0.25
14	बिलरियागंज मार्ग से बिन्दवल जैराजपुर भलुवाई होते हुए सरैया महराजगंज	5.50	1.65
15	मदनापार सम्पर्क मार्ग	1.50	0.45
16	नसीरपुर फुलवरिया मार्ग के कि0मी0 7.8 से निकलकर असरफपुर गांव तक	1.25	0.20
17	जमीलपुर सम्पर्क मार्ग	1.45	0.44
18	बुढ़ावे हिसामुद्दीनपुर सम्पर्क मार्ग	2.50	0.63
19	देवारा हरखपुरा कटान से भीलमपुर मार्ग	3.65	1.10
20	खरगपुर सम्पर्क मार्ग	4.00	1.20
21	रौसड़ सम्पर्क मार्ग	3.60	1.00
22	जमुआ-हरिरामपुर सम्पर्क मार्ग	1.70	0.51
23	महराजगंज शंकरपुर मार्ग से देवारा हरखपुर मार्ग	2.00	0.50
24	हमीरपुर सम्पर्क मार्ग	1.10	0.22

वर्ष 2017-18 में गोपालपुर विधान सभा में कराई गई गड्ढ़ामुक्ति की सूची

1	2	3	4
25	लंगड़पुर सम्पर्क मार्ग	2.00	0.60
26	मकसूदनपुर सम्पर्क मार्ग	1.50	0.45
27	खानपुर भगतपट्टी सम्पर्क मार्ग	1.50	0.45
28	भगतपुर सम्पर्क मार्ग	0.78	0.23
29	मीरपुर नर्वे सम्पर्क मार्ग	1.70	0.43
30	विजया सम्पर्क मार्ग	1.00	0.30
31	मैगापुर सम्पर्क मार्ग	2.20	0.55
32	मसीरपुर सम्पर्क मार्ग	1.00	0.30
33	जमुना मास्टर के घर से मथुरा ठेकेदार का पुरा होते हुए नई बस्ती तक	2.70	0.81
34	परशुराम शंकरपुर कि0मी0 7 से देवारा तुर्क चारा सम्पर्क मार्ग	1.20	0.36
35	आजमगढ़ कप्तानगंज मार्ग पर पी0सी0एफ0 गोदाम से हरिरामपुर सियर तक	2.20	0.60
36	अगरिपुर मसीरपुर से हाजी पट्टी सम्पर्क मार्ग	0.80	0.24
37	बिलरियागंज महराजगंज मार्ग से मोलनापुर पृथ्वीपाल सम्पर्क मार्ग	0.75	0.23
38	जैगहा बनकट मार्ग के कि0मी0 1 से शेखुपुर सम्पर्क मार्ग	0.45	0.14
39	जयराजपुर बस स्टाप से हाजी याकूब मार्ग से जयराजपुर राजभर बस्ती	0.30	0.09
40	आजमगढ़ बिलरियागंज मार्ग कि0मी0 12 से नई बस्ती फत्तेपुर सम्पर्क मार्ग	0.70	0.20
41	अराजी अमानी मार्ग कि0मी0 1 से सैदपुर कोमल यादव का पुरा सम्पर्क मार्ग	0.91	0.20
42	सुरजीपुर मार्ग कि0मी0 2 से ससना विश्वनाथपुर सम्पर्क मार्ग	0.60	0.18
43	जैगहा बिन्दवल जयराजपुर परशुरामपुर मार्ग के कि0मी0 5 से जयराजपुर अनु0 बस्ती उत्तरी सम्पर्क मार्ग	1.05	0.32
44	देवारा कदीम खंजरपुर सम्पर्क मार्ग	1.00	0.30
45	नौबरार देवारा जदीद किता-1 लक्ष्मण लाल की छावनी सम्पर्क मार्ग	0.20	0.06

वर्ष 2017-18 में गोपालपुर विधान सभा में कराई गई गड्ढ़ामुक्ति की सूची

1	2	3	4
46	चेवता अनुसूचित बस्ती सम्पर्क मार्ग	1.00	0.30
47	देवारा हरखपुर चन्द्रिका यादव सम्पर्क मार्ग	1.70	0.51
48	कुम्भवट अनुसूचित बस्ती सम्पर्क मार्ग	2.00	0.60
49	नरोत्तमपुर सुरेमन बस्ती सम्पर्क मार्ग	0.85	0.26
50	अखरचन्दा सुभाउ का पुरा सम्पर्क मार्ग	0.50	0.15
51	औती गौरी बिन्दवल मार्ग पर कायाड़ नदी पर पुल के निर्माण कार्य	3.16	0.95
52	महराजगंज देवारा जदीद में नकीहवा ताल पर आर0सी0सी0 पुल का निर्माण	2.91	0.87
53	कप्तानगंज महराजगंज मार्ग कि0मी0 1 से रौसड़ मार्ग से भितेहरा राजभर बस्ती एवं अनुसूचित बस्ती सम्पर्क मार्ग	1.60	0.48
54	महुला गढ़वल मार्ग कि0मी0 5 से नौबरार देवारा जदीद किता-1 उल्टरहवा जियावन का पुरा सम्पर्क मार्ग	1.10	0.33
55	नसीरपुर सम्पर्क मार्ग कि0मी0 1 से नहर की पटरी होते हुए भगवानपुर सम्पर्क मार्ग	1.30	0.39
56	परशुरामपुर शंकरपुर मार्ग कि0मी0 8 से देवारा तुर्कचारा सहाय का पुरा ग्राम सम्पर्क मार्ग	1.70	0.51
57	आजमगढ़ बिलरियागंज मार्ग कि0मी0 12 से नसीरपुर सम्पर्क मार्ग	0.60	0.18
58	नसीरपुर फुलवरिया मार्ग कि0मी0 3 से मुहम्मदपुर सम्पर्क मार्ग	0.60	0.18
59	नौबरार देवारा जदीद किता-1 मुरली पहलवान का पुरा सम्पर्क मार्ग	0.50	0.15
60	नौबरार देवारा जदीद किता-1 मार्ग कि0मी0 6 से ददन लाल की छावनी सम्पर्क मार्ग	1.70	0.51
61	लंगड़पुर सामान्य बस्ती सम्पर्क मार्ग	1.05	0.32
62	पी0एस0एस0 रोड से कोटिया मार्ग के कि0मी0 3 से महाजी सिघवारा नोनिया का पूरा (टेढ़वा) सम्पर्क मार्ग	1.50	0.45
63	बिन्दवल भर बस्ती सम्पर्क मार्ग	1.00	0.30
64	अकबरपुर सम्पर्क मार्ग कि0मी0 1 से देवरिया अबुसईद सम्पर्क मार्ग	0.50	0.15

वर्ष 2017-18 में गोपालपुर विधान सभा में कराई गई गड्ढ़ामुक्ति की सूची

1	2	3	4
65	नसीरपुर फुलवरिया मार्ग कि0मी0 3 से जलालुद्दीन पट्टी सम्पर्क मार्ग	0.46	0.14
66	नसीरपुर फूलवरिया मार्ग कि0मी0 2 से छिछोरी मुस्लिम बस्ती सम्पर्क मार्ग	0.75	0.23
67	दुर्जी धौरहरा सम्पर्क मार्ग	1.65	0.50
68	देवारा जदीद पी0एम0जी0एस0वाई0 मार्ग से चकनायक अनुसूचित बस्ती सम्पर्क मार्ग	1.00	0.30
69	ग्राम हमीरपुर से देवारा कदीम नहरूमपुर होते हुए खंजरपुर तक लेपन कार्य	4.00	1.20
70	स्व0 ईसदत्त स्मारक महाविद्यालय से सरकारी समिति के दाहिने महेशपुर का पुरवा होते हुए महराजगंज शंकरपुर पक्की सड़क लेपन	2.70	0.81
71	बिलरियागंज महराजगंज से गोसाईपुर मार्ग	2.15	0.65
72	खड़गपुर से बरौली मार्ग	2.22	0.67
73	महरूपुर यादव बस्ती सम्पर्क मार्ग	0.55	0.17
74	नुरूद्दीनपुर मार्ग से अनुसूचित बस्ती-1 सम्पर्क मार्ग	1.60	0.48
75	बनकट जैगहा बिन्दवल जयराजपुर होते हुए कन्धरापुर मार्ग	18.00	1.50
76	कप्तानगंज महराजगंज मार्ग	1.00	1.61
77	जयराजपुर परशुरामपुर गोपालपुर इण्टर कालेज होते हुए सरदहा भीमवर तक	7.00	4.50
78	महराजगंज राजेसुल्तानपुर मार्ग	0.80	0.64
79	बनकट जैगहा बिन्दवल जयराजपुर होते हुए कन्धरापुर मार्ग	4.50	2.89
	योग . .	**162.05**	**53.00**

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
आजमगढ़।

पी0एस0यू0पी0-108 विधान सभा-02-08-2019-631 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।